



सत्यमेव जयते

भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
राज्य के वित्त

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार  
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4

**भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**राज्य के वित्त**

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष**

**हरियाणा सरकार  
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4**

---

**विषय सूची**

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
<b>अध्याय-1</b>		
<b>राज्य सरकार के वित्त</b>		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियां	1.3	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	14
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	15
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	16
व्यय की गुणवत्ता	1.7	22
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	25
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	29
ऋण प्रबंधन	1.10	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	34
निष्कर्ष	1.12	37
सिफारिशें	1.13	38
<b>अध्याय-2</b>		
<b>वित्तीय प्रबंधन और बजट नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	39
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	39
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	40
खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां	2.4	44
बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम	2.5	45
चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	48
निष्कर्ष	2.7	50
सिफारिशें	2.8	50

अध्याय-3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	51
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	52
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	53
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	53
दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	54
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.6	55
निष्कर्ष	3.7	56
सिफारिशें	3.8	56

## परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	59
1.2	भाग-क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	प्रस्तावना	60
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	63
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	1.3	64
1.5	भाग-क: वर्ष 2016-17 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2017 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.1.1 1.9.2	66 68
1.6	वर्ष 2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1	69
1.7	वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति	1.8.3	70
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी	1.8.4	71
1.9	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी सांझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे	1.8.5	72
2.1	2016-17 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.1	74
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी	2.3.3	76
2.3	उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.5	77
2.4	प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण	2.3.6	78
2.5	मार्च 2017 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण	2.3.7	87
2.6	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.8	89
2.7	वर्ष 2016-17 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना	2.4.1	90
2.8	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए	2.5.3 (i)	91

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.9	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (ii)	92
2.10	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (iii)	93
2.11	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (iv)	95
2.12	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (v)	96
2.13	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ गया था	2.5.3 (vi)	99
2.14	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आऊटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (vii)	100
2.15	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था	2.5.3 (viii)	104
2.16	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (ix)	105
2.17	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (x)	106
2.18	पूर्वानुमानित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई	2.6.1 (ii)	107
2.19	पिछले तीन वर्षों की सत्त बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.1 (iv)	108
2.20	2016-17 के दौरान अनुदान संख्या 11 (खाद्य एवं आपूर्ति) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण	2.6.1 (v)	109
2.21	स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया	2.6.2 (iii)	110
2.22	पिछले तीन वर्षों की सत्त बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.2 (iv)	111
2.23	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय के वेग के मामले	2.6.2 (v)	113

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.1	31 मार्च 2017 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.1	114
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	3.2	116
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	120
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	123
3.5	दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2017 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन	3.5	124
3.6	सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे	3.5	125
	<b>शब्दावली</b>		
	पारिभाषिक शब्दावली		127
	संकेताक्षरों की शब्दावली		129

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 3 "वित्तीय रिपोर्टिंग" चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

# कार्यकारी सार

## कार्यकारी सार

### पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

**अध्याय-1** वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2017 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाइम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

**अध्याय-2** विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, खजानों की कार्यप्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

**अध्याय-3** हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

### लेखापरीक्षा परिणाम

#### अध्याय 1

##### राज्य सरकार के वित्तः

2016-17 के दौरान ₹ 52,496.82 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 4,940.27 करोड़ (10.39 प्रतिशत) तक बढ़ गईं। ₹ 34,025.68 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नि.वि.) (₹ 40,199.51 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 47,024 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्यों के क्रमशः 15.36 प्रतिशत तथा 27.64 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2016-17 के लिए कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,308 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के 43.83 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नि.वि. (₹ 8,308 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण के 25.42 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,483 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-16 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ से 15 प्रतिशत तक बढ़कर 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ हो गया तथा चौ.वि.आ. (₹ 50,334 करोड़) के मानकीय निर्धारण से अधिक था किंतु म.अ.रा.नि.वि. (₹ 69,397 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था। नान-प्लान घटक (₹ 46,284 करोड़) राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था जो मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 48,482.76 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा सबसिडियों ने गैर-योजनागत राजस्व व्यय का 83 प्रतिशत संघटित किया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 10,542 करोड़), 2015-16 से 27.25 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 8,934 करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 10,490 करोड़) से अधिक था।

दो विभागों के 14 प्रोजेक्ट्स, जो मई 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी भी अधूरे थे (जून 2017)। अधूरे प्रोजेक्ट्स के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.05 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 2,025.25 करोड़ के निवेश तथा ₹ 26.27 करोड़ का विनिवेश किया परिणामतः ₹ 1,998.98 करोड़ का निवल निवेश हुआ। इसमें से ₹ 1,927.98 करोड़ चार विद्युत कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश किए गए थे।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2017 को ₹ 1,46,371 करोड़ थी। इसमें से आंतरिक ऋण ₹ 1,22,617 करोड़ था। राजकोषीय देयताएं, स.रा.घ.उ. का 26.74 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.79 गुणा थी।

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2015-16 में क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ था, 2016-17 में घटकर क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ तथा ₹ 15,743 करोड़ हो गया।

## अध्याय-2

### वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2016-17 के दौरान, ₹ 1,12,659.46 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 93,069.66 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 19,589.80 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 19,846.78 करोड़ की बचत तथा पांच अनुदानों में ₹ 256.98 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 2,841.81 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

50 मामलों में, ₹ 22,180.04 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। 12 मामलों में, ₹ 9,361.43 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 11,870.37 करोड़ वापस किए गए थे परिणामस्वरूप वास्तविक बचतों से अधिक सरेंडर (₹ 2,508.94 करोड़) हुआ। आगे, 30 मामलों में ₹ 9,968.73 करोड़ की बचतों में से ₹ 823.41 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को इंगित करते हुए 16 अनुदानों के अंतर्गत 18 मुख्य शीर्षों में ₹ 2,015.61 करोड़ (40 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 के माह के दौरान किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2016-17 के दौरान ₹ 37,266 करोड़ की अनुमानित राशि के विरुद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 33,124 करोड़ (88.88 प्रतिशत) था। ₹ 143.53 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 15 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया था। 2016-17 के दौरान 68 प्लान स्कीमों, जिनके निष्पादन के लिए ₹ 5,125.75 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 3,158.30 करोड़ कर दिया गया था। इन स्कीमों पर केवल ₹ 1,494.87 का व्यय किया गया था जो कि संशोधित परिव्यय का 47 प्रतिशत था। 93 स्कीमों में ₹ 3,273.29 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध ₹ 1,981.65 करोड़ (60.54 प्रतिशत) का व्यय किया गया था किंतु जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था।

### अध्याय-3

#### वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 9,062.62 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,879 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2017 को बकाया थे। 73 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 147 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2017 को बकाया थे। 29 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से दो ने गत पांच वर्षों से अधिक समय से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.41 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 98 मामले सूचित किए जिन पर जून 2017 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 77 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2016-17 के दौरान कुल व्यय का 17.94 प्रतिशत वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

**अध्याय-1**  
**राज्य सरकार के वित्त**

## अध्याय-1

### राज्य सरकार के वित्त

#### प्रस्तावना

यह अध्याय 2016-17 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

#### 1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 22 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 21वां तथा जनसंख्या के संबंध में 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में ₹ 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में ₹ 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.20 प्रतिशत थी जोकि 21.90 की अखिल भारतीय औसत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2016-17 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 5,47,396 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,80,174<sup>1</sup> है।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी सुनिश्चित पदार्थों एवं दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर प्रस्तुत सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086	1,51,83,709
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.84
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

#### 1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार **तालिका 1.1** में दिया गया है।

<sup>1</sup> स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

तालिका 1.1: 2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					गैर-योजनागत	योजनागत	कुल
<b>भाग-क: राजस्व</b>							
राजस्व प्राप्तियां	47,556.55	52,496.82	राजस्व व्यय	59,235.70	46,284.16	22,119.27	68,403.43
कर-राजस्व	30,929.09	34,025.68	सामान्य सेवाएं	18,713.33	21,447.06	183.73	21,630.79
कर-भिन्न राजस्व	4,752.48	6,196.09	सामाजिक सेवाएं	21,538.86	11,865.44	13,608.05	25,473.49
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	5,496.22	6,597.47	आर्थिक सेवाएं	18,690.36	12,547.72	8,327.49	20,875.21
भारत सरकार से अनुदान	6,378.76	5,677.58	सहायता अनुदान एवं अंशदान	293.15	423.94	-	423.94
<b>भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य</b>							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29.98	26.27	पूंजीगत परिव्यय	6,908.33	304.30	6,558.80	6,863.10
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूतियां	328.28	973.23	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	13,250.29	68.93	4,445.98	4,514.91
लोक ऋण प्राप्तियां	37,998.43	28,169.52	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,214.68	-	-	5,275.84
आकस्मिक निधि	63.22	80.14	आकस्मिक निधि	63.22	-	-	80.14
लोक लेखा प्राप्तियां	29,055.78	32,107.64	लोक लेखा संवितरण	28,649.81	-	-	29,275.67
आरंभिक नकद शेष	6,507.52	6,217.73	अंतिम नकद शेष	6,217.73	-	-	5,658.26
<b>कुल</b>	<b>1,21,539.76</b>	<b>1,20,071.35</b>	<b>कुल</b>	<b>1,21,539.76</b>			<b>1,20,071.35</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**परिशिष्ट 1.5 भाग-क** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2016-17 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,096.59 करोड़ (10.01 प्रतिशत) तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 1,443.61 करोड़ (30.38 प्रतिशत) के अतिरिक्त भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 1,101.25 करोड़ (20.04 प्रतिशत) की वृद्धि, भारत सरकार से सहायतानुदान में ₹ 701.18 करोड़ (10.99 प्रतिशत) की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,940.27 करोड़ (10.39 प्रतिशत) बढ़ गईं। ₹ 34,025.68 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 40,199.51 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा 14वें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 47,024 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 15.36 प्रतिशत तथा 27.64 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2016-17 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,308 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से 43.83 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 8,308.45 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से 25.42 प्रतिशत तक कम पड़ गया (**परिशिष्ट 1.6**)।
- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 2,917.46 करोड़), 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 3,934.63 करोड़) तथा 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 2,184.85 करोड़) पर व्यय में वृद्धि और सहायता अनुदान पर

₹ 130.79 करोड़ के व्यय के कारण राजस्व व्यय ₹ 9,167.73 करोड़ (15.48 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 46,284.16 करोड़) तथा योजनागत राजस्व व्यय (₹ 22,119.27 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. ₹ 48,482.76 करोड़ तथा ₹ 26,753.12 करोड़ में किए गए प्रक्षेपण से क्रमशः 4.53 प्रतिशत तथा 17.32 प्रतिशत कम था (परिशिष्ट 1.6)।

- ₹ 68,403.43 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. (₹ 50,334 करोड़) में मानकीय निर्धारण के विरुद्ध 35.90 प्रतिशत तक अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 75,235.88 करोड़) के अंतर्गत किए गए प्रक्षेपण की तुलना में 9.08 प्रतिशत कम था (परिशिष्ट 1.6)।
- सामान्य सेवाओं पर कम व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 45.23 करोड़ (0.65 प्रतिशत) की मामूली सी कमी हुई।
- 2016-17 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 644.95 करोड़ (196.46 प्रतिशत) तक मुख्यतः बैंक को सरकारी कर्मचारियों के ऋण पोर्टफोलियो के हस्तांतरण तथा सरकारी सेवकों के ऋणों की बकाया वसूलियों के विरुद्ध ₹ 623 करोड़ की प्राप्ति के कारण बढ़ गई।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 405.97 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 2,831.97 करोड़ हो गई।
- 2016-17 की समाप्ति पर ₹ 5,658.26 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष से ₹ 559.47 करोड़ घट गया।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

#### हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम को संशोधित किया गया था।

वृद्धि, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य नियत किए गए हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. के लिए 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है। राजकोषीय घाटा उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने की सिफारिश की गई है, जबकि राज्य की निवल उधार सीमा भी 2015-16 से आगे स.रा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने तथा बकाया उधार की सीमा स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2015-16 में 19.28 प्रतिशत, 2016-17 में 19.91 प्रतिशत, 2017-18 में 20.45 प्रतिशत, 2018-19 में 20.92 प्रतिशत तथा 2019-20 में 21.33 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने का भी सुझाव है। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा बकाया उधार के लिए स.रा.घ.उ. का क्रमशः 1.10 प्रतिशत, 2.47 प्रतिशत तथा 19.55 प्रतिशत का लक्ष्य

नियत किया, उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना (उदय) के प्रभाव के बिना जब स.रा.घ.उ. का उदय सहित 2.09 प्रतिशत, 4.27 प्रतिशत तथा 23.96 प्रतिशत था।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बजट में प्रावधान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्षित मुख्य राजकोषीय चर राशियां तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय चर राशियों में भिन्नताएं**

राजकोषीय चर राशियां		2016-17						
		रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
						रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/ सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	उदय सहित	स.रा.घ.उ. का 2.09 प्रतिशत	(-) 12,280.35	टी.आर.आर. का 19.51 प्रतिशत	(-) 15,906	39.23	(-) 3,626 (29.53 प्रतिशत)	30.30 (55.30 प्रतिशत)
	उदय को छोड़कर	स.रा.घ.उ. का 1.10 प्रतिशत	(-) 6,441.85	टी.आर.आर. का 10.23 प्रतिशत	(-) 12,014	99.09	(-) 5,572 (86.50 प्रतिशत)	22.89 (123.75 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	उदय सहित	4.27	4.27	4.27	4.80	12.41	12.41	12.41
	उदय को छोड़कर	2.47	2.47	2.47	3.22	30.36	30.36	30.36
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	उदय सहित	23.69	23.96	23.96	26.74	12.87	11.60	11.60
	उदय को छोड़कर	19.27	19.55	19.55	22.00	14.17	12.53	12.53

वर्ष 2016-17 का राजस्व घाटा (₹ 15,906 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था तथा राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र., बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में नियत किए गए 2.47 प्रतिशत तथा 4.27 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः उदय स्कीम<sup>2</sup> के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 3.22 प्रतिशत तथा उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. का 4.80 प्रतिशत था।


वर्ष 2016-17 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार स.रा.घ.उ. के 23.69 प्रतिशत तथा 19.27 प्रतिशत पर प्रक्षेपित कुल बकाया उधार क्रमशः उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. के 26.74 प्रतिशत पर उच्चतर और चालू वर्ष में उदय स्कीम के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 22 प्रतिशत था।

<sup>2</sup> राज्य सरकार ने उदय के अंतर्गत वितरण कंपनियों से 2015-16 के दौरान लिए गए ₹ 17,300 करोड़ सहित ₹ 2,595 करोड़ (सहायतानुदान: ₹ 7,785 करोड़, इन्विटी: ₹ 2,595 करोड़, ऋण: ₹ 15,570 करोड़) का उधार अपने हाथ में लिया है।

### 1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक चार्ट 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2016-17 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 62,956 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 52,497 करोड़ (83 प्रतिशत) थी। कर राजस्व के अंतर्गत संग्रहण वैट के अंतर्गत कम प्राप्ति, जो ₹ 28,750 की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 23,488 करोड़ तथा ₹ 3,700 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस ₹ 3,283 करोड़ थी, के कारण ₹ 46,389 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 40,623 करोड़ था। कर-भिन्न प्राप्ति मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 469.25 करोड़), चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य (₹ 164.64 करोड़) शहरी विकास (₹ 151 करोड़), अलोह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (₹ 543.05 करोड़) तथा सड़क परिवहन (₹ 599.87 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण ₹ 16,567 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 11,874 करोड़ (72 प्रतिशत) थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 68,403 करोड़) ₹ 75,236 करोड़ के बजट प्रावधान के भीतर था। ब्याज भुगतान (₹ 10,542 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 10,490 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा ₹ 13,546 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 6,863 करोड़ अर्थात् बहुत कम (51 प्रतिशत) था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 12,280 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 15,906 करोड़ (30 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे भी अनुमान से अधिक थे। ₹ 25,116 करोड़ के बजटीय राजकोषीय घाटे के विरुद्ध वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹ 26,285 करोड़ था। राजकोषीय घाटे में वृद्धि उदय के कार्यान्वयन के प्रभाव के कारण थी।

### 1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमों शुरू की हैं। उनमें से कुछ तालिका 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें-2016-17 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	स्कीम	अंतिम आबंटित अनुदान	वास्तविक व्यय
1.	दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए होम/स्कूल (दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए राजकीय संस्थान-सह- ब्रेल लाईब्रेरी के रूप में नया नाम दिया गया	0.20	0.14
2.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, जिसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में नाम दिया गया	80.18	80.18
3.	लाडली- सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	51.23	51.23
4.	निराश्रय महिलाओं तथा विधवाओं को वित्तीय सहायता	1,101.46	1,101.46
5.	जिला स्तर पर वृद्ध, दिव्यांग तथा निराश्रय महिलाओं एवं विधवा स्टाफ को पेंशन	17.76	16.32
6.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	3.06	3.06
7.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) सबला	11.34	11.34
8.	तेजाब पीड़ित महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास	0.06	0.06
9.	महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू.) के अंतर्गत विलेज कन्वर्जेंस एंड फैसिलिटेशन सर्विसिज (वी.सी.एफ.एस.) प्रोजेक्ट	0.98	0.98
10.	महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना की स्कीम	0.16	0.16
11.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा	0.92	0.92
12.	महिला समूह को प्रोत्साहन पुरस्कार	0.21	0.21
13.	महिला विंग का जिला एवं ब्लॉक स्तर का स्टॉफ	0.09	0.09
14.	कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण	0.05	0.05
15.	बालिकाओं के लिए स्टेट आफ्टर केयर होम, करनाल	0.44	0.44
16.	निराश्रय महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह-सह-प्रशिक्षण केंद्र	1.62	1.62
17.	अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना)	0.55	0.55
18.	आंगनवाड़ी वर्करज/हैल्परज के बीमा की वित्तीय सुरक्षा स्कीम	55.13	55.06
19.	हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता	0.40	0.40
20.	लाडली (अपनी बेटी हमारी बेटी)	117.75	117.48
21.	महिला जागरूकता एवं प्रबंधन अकादमी (डब्ल्यू.ए.एम.ए.) प्लान को वित्तीय सहायता	0.20	0.20
22.	हरियाणा महिला विकास निगम तथा महिला आयोग	5.73	5.73
23.	ग्रामीण कन्याओं के लिए अवार्ड	0.58	0.58
24.	किशोरी शक्ति योजना	3.53	3.53


(स्रोत: राज्य बजट 2016-17 तथा 2016-17 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

## 1.2 वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों के संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि चार्ट 1.3 2012-17 के


दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, चार्ट 1.2 तथा चार्ट 1.4 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


\* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,832 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 32,108 करोड़) घटा लोक लेखा सवितरण (₹ 29,276 करोड़)।



सरकार की कुल प्राप्तियां 2012-13 में ₹ 50,842 करोड़ से ₹ 33,656 करोड़ (66.20 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2016-17 में बढ़कर ₹ 84,498 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 18,863 करोड़ (56.08 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 13,596 करोड़ (87.30 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,197 करोड़ (73.21 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2012-13 में 66.15 प्रतिशत से 2016-17 में घटकर 62.13 प्रतिशत हो गया। 2012-17 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 3.22 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 3.35 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 30.63 प्रतिशत से बढ़कर 34.52 प्रतिशत हो गया।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की विवरणी 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.5 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान 56.08 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना राजस्व 44.43 प्रतिशत तक, भारत सरकार से सहायता अनुदान 142.65 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरण 115.45 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2012-13 में 83.94 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 76.62 प्रतिशत हो गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2012-13 में 6.96 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 10.82 प्रतिशत हो गया।

2007-08 से 2015-16 के दौरान 11.74 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (च.वा.वृ.द.) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.58 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 10.39 प्रतिशत से यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.4 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	33,634	38,012	40,799	47,557	5,2497
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.07	13.02	7.33	16.56	10.39
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.69	9.49	9.33	9.80	9.59
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता	0.61	0.84	0.80	1.52	0.81
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्प्लावकता	0.94	0.55	0.88	1.09	0.78
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.65	1.53	0.91	1.39	1.04
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2012-13 में 10.07 प्रतिशत थी, 2016-17 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 10.39 प्रतिशत हो गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2012-13 में 0.65 से 2015-16 में बढ़कर 1.39 हो गई फिर 2016-17 में घटकर 1.04 रह गई।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	(₹ करोड़ में)		
					पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	47,024	40,200 <sup>3</sup>	40,200	34,026	(-) 27.64	(-) 15.36	(-) 15.36
कर-भिन्न राजस्व	4,308	8,308 <sup>4</sup>	8,308	6,196	43.83	(-) 25.43	(-) 25.43

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 27.64 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 15.36 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 43.83 प्रतिशत बढ़ गई तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 25.43 प्रतिशत कम रही।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.6 में दिए गए हैं जो 2012-17 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

<sup>3</sup> केन्द्रीय करों का हिस्सा छोड़कर।

<sup>4</sup> सहायता अनुदान का हिस्सा छोड़कर।

तालिका 1.6: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	15,376.58 (15)	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)	23,488.41 (12)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,236.48 (14)	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)	4,371.08 (26)	4,613.13 (6)
वाहनों पर कर	887.30 (20)	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)	1,400.38 (18)	1,583.06 (13)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	3,326.25 (19)	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)	3,191.21 (3)	3,282.63 (3)
भू-राजस्व	12.98 (19)	12.42 (-4)	15.28 (23)	14.97 (-2)	16.09 (7)
माल तथा यात्रियों पर कर	470.76 (10)	497.45 (6)	527.07 (6)	554.25 (5)	594.59 (7)
अन्य कर <sup>5</sup>	248.67 (18)	287.71 (16)	328.32 (14)	336.97 (3)	4,47.77 (33)
कुल	23,559.02 (15)	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)	34,025.68 (10)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2012-17 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,446.66 करोड़ (44.43 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2016-17 के दौरान सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की।

2007-08 से 2015-16 के दौरान कर राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 13.02 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.80 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 10.01 प्रतिशत से 2016-17 में भी यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.50 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (*परिशिष्ट 1.1*)। राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 34,026 करोड़) सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. (₹ 40,200 करोड़) तथा चौ.वि.आ. (₹ 47,024 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था।

#### कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.7 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।

तालिका 1.7: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2014-15	18,993.25	118.98	0.63	0.91
	2015-16	21,060.23	128.50	0.61	0.66
	2016-17	23,488.41	141.80	0.60	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2014-15	1,191.50	16.76	1.41	6.08
	2015-16	1,400.38	18.72	1.34	4.99
	2016-17	1,583.06	28.57	1.80	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2014-15	3,470.45	28.88	0.83	2.09
	2015-16	4,371.08	31.08	0.71	3.21
	2016-17	4,613.13	34.63	0.75	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2014-15	3,108.70	10.37	0.33	3.59
	2015-16	3,191.21	15.37	0.48	2.87
	2016-17	3,282.63	10.50	0.32	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>5</sup> अन्य करों में, कृषि भूमि के सिवाय अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

### 1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2012-17) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि तालिका 1.8 में दी गई है जोकि 2012-17 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2012-17 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियां	1,058.21 (22)	1,090.71 (3)	933.59 (-14)	1,087.49 (16)	2,309.79 (112)
लाभांश तथा लाभ	7.05 (330)	6.49 (-8)	5.80 (-11)	15.89 (174)	5.89 (-63)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,607.89 (-6)	3,877.86 (7)	3,673.73(-5)	3,649.10 (-1)	3,880.41 (6)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	139	95	129	110	113
बी) सड़क परिवहन	1,000	1,098	1,235	1,255	1265
सी) शहरी विकास	991	1,105	861	422	599
डी) शिक्षा	385	319	564	637	640
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	76	79	43	272	497
कुल	4,673.15 (-1)	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)	6,196.09 (30)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2012-17 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,522.94 करोड़ (32.59 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196.09 करोड़) में मुख्यतः उदय स्कीम के अंतर्गत ब्याज की वसूली के कारण विद्युत कंपनियों से ब्याज प्राप्ति में वृद्धि के कारण गत वर्ष पर ₹ 1,443.61 करोड़ (30.38 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 11.80 प्रतिशत संघटित किया।

### भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर खर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,069.70 करोड़ हैं। बोर्ड ने 2015-16 के दौरान श्रमिक कल्याण स्कीमों पर मात्र ₹ 47.98 करोड़ खर्च किए।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2016-17 में ₹ 701.18 करोड़ तक घट गए जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजनागत अनुदान	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)	3,078.49 (-18)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)	2,327.52 (3)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)	34.50 (25)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)	237.07 (-30)
<b>कुल</b>	<b>2,339.25</b> <b>(-15)</b>	<b>4,127.18</b> <b>(76)</b>	<b>5,002.88</b> <b>(21)</b>	<b>6,378.76</b> <b>(28)</b>	<b>5,677.58</b> <b>(-11)</b>

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बृहद् निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित कर रही थी। भारत सरकार ने, 2014-15 से आगे, राज्य बजट के माध्यम से ये निधियां जारी करने का निर्णय किया। तथापि, भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को ₹ 1,483.69 करोड़<sup>6</sup> सीधे अंतरित किए।

### 1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2015-16 में ₹ 5,496.22 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 6,597.47 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2015-16 के लिए वास्तविक	2016-17 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	1,733.37	2,118.57	385.20
आयकर	32 प्रतिशत की	1,204.79	1,472.41	267.62
धन कर	तुलना में राज्यों को	0.40	4.85	4.45
सीमा शुल्क	केंद्रीय करों की	880.83	911.33	30.50
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	हिस्से योग्य राशि	733.13	1,040.65	307.52
सेवाकर	का 42 प्रतिशत	939.76	1,049.64	109.88
आय एवं व्यय पर अन्य कर		0.03	-	(-)0.03
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क		3.91	0.02	(-)3.89
<b>कुल</b>		<b>5,496.22</b>	<b>6,597.47</b>	<b>1,101.25</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 2016-17 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 6,597.47 करोड़) अनुमानों

<sup>6</sup> 2016-17 के वित्त लेखाओं का परिशिष्ट VI

(₹ 6,188.80 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 408.67 करोड़ तथा 2015-16 की तुलना में ₹ 1,101.25 करोड़ तक अधिक था।

### 1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट से नोमिनेटिड निधियों जो विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित की जाती हैं, को विपथित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों का दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-16 के दौरान प्राप्तियां ₹ 2,483.38 करोड़ थी तथा किया गया व्यय ₹ 2,139.19 करोड़ था। चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

### 1.3.5 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में सरकारी निर्मुक्ति तथा किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन, सरकारी निर्मुक्ति तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2015-16			2016-17		
	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	199.61	86.71	135.05	427.96	429.04	301.21
राष्ट्रीय आपदा के कारण राहत-एस.डी.आर.एफ.	231.00	115.50	115.50	357.75	357.75	357.75
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	419.28	419.28	419.28	656.72	656.72	656.72
<b>कुल</b>	<b>844.89</b>	<b>621.49</b>	<b>669.83</b>	<b>1,442.43</b>	<b>1,443.51</b>	<b>1,315.68</b>

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए। भारत सरकार ने गत वर्ष की तुलना में ₹ 822.02 करोड़ (132.27 प्रतिशत) अधिक निधियां जारी की।

₹ 1,442.43 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 1,443.51 करोड़ जारी किए जबकि 2016-17 के दौरान ₹ 1,315.68 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि पिछले

वर्ष से 96.42 प्रतिशत अधिक था। निधियों के व्यय की प्रतिशतता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए तथा बजट 2016-17 में किए गए प्रावधानों से 9 प्रतिशत कम थी।

#### 1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा ऋणों के माध्यम से अग्रिमों की प्राप्तियां अर्थात् आंतरिक एवं भारत सरकार से तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2012-17) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	15,573.73	17,875.90	19,150.31	38,356.69	29,169.02
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	18.74	29.98	26.27
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	349.38	261.85	272.82	328.28	973.23
लोक ऋण प्राप्तियां	15,213.54	17,604.16	18,858.75	37,998.43	28,169.52
बाजार ऋण	9,330.00	11,446.18	13,200.00	14,099.99	15,800.00
बॉण्ड्स	0.00	0.00	0.00	17,300.00	8,650.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,158.23	4,777.60	4,102.79	4,641.45	3,412.39
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	438.40	566.60	1,251.31	1,721.40	-
अन्य ऋण	235.76	472.31	173.89	138.36	183.87
भारत सरकार से ऋण	51.15	341.47	130.76	97.23	123.26
लोक ऋण प्राप्ति से बाजार ऋण की प्रतिशतता	61.32	65.02	69.99	37.11	56.09
<b>पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)</b>					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	41	16	7	101	(-) 26
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	19	(-) 25	7	23	179
स.रा.घ.उ. का	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82
पूंजीगत प्राप्तियों का	41	15	7	100	(-) 24

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा वित्तीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से उठाए गए कम ऋणों के कारण 2015-16 में 37.11 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 56.09 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को कुल संवितरण कंपनियों की देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अपने पास लेने के विरुद्ध 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए।

#### 1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2016-17 के दौरान 13 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 26.27 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 29.98 करोड़) से 12.37 प्रतिशत कम है।

#### 1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 973.23 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इसमें से ₹ 106.59 करोड़ अन्य संस्था से वसूल किए गए थे तथा ₹ 866.64 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ऋण

पोर्टफोलियो पंजाब नेशनल बैंक को हस्तांतरित किए हैं तथा वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के ऋणों की बकाया वसूलियों के विरुद्ध ₹ 623 करोड़ वसूल किए।

31 मार्च 2016 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,858.94 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 252 करोड़ वितरित किए। 2016-17 के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2016-17 की समाप्ति पर इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 2,110.94 करोड़ के ऋण बकाया थे। सरकार ने इन चीनी मिलों को ऋण इस शर्त पर वितरित किए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान की विफलता के मामले में कोई ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ₹ 252 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे। इस प्रकार, सहकारी चीनी मिलों को संस्वीकृत ऋणों की शर्तों का उल्लंघन निरंतर विद्यमान है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मूलधन की वसूली के लिए ₹ 10 करोड़ की छोटी राशि का बजट प्रावधान किया है तथा ब्याज की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। वर्ष के दौरान कोई राशि वसूल नहीं की गई है जोकि इन चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था। राज्य सरकार ने निजी चीनी मिलों को हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 40.13 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 65.14 करोड़ की राशि के ऋण भी संस्वीकृत किए। वर्ष के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई राशि वसूल नहीं की गई है। मूलधन की वसूली के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो इन निजी चीनी मिलों से ऋणों की वसूली की ओर राज्य सरकार का इरादा इंगित करता है।

#### 1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्ति

2016-17 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्ति के रूप में ₹ 28,046.26 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 37,901.20 करोड़) से ₹ 9,854.94 करोड़ (26 प्रतिशत) कम थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 15,800 करोड़, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 3,596.26 करोड़ के ऋण 2016-17 के दौरान उठाए गए थे, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान उदय के अंतर्गत लिए गए संवितरण कंपनियों के ऋणों के कारण ₹ 8,650 करोड़ के बॉण्ड जारी किए गए।

#### 1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2015-16 में ₹ 2,048.92 करोड़ से ₹ 63.06 करोड़ घटकर 2016-17 में ₹ 1,985.86 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 129.59 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 186.32 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान ₹ 6.34 करोड़ के ऋण बड़े खाते डाले गए थे।

#### 1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंड्स, डिपोजिट्स, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी गई हैं।

तालिका: 1.13: 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,967.99	3,034.08	1,919.35	1,919.20	1,048.64	1,114.88
बी) आरक्षित निधि	698.81	1,593.64	1,709.62	48.91	(-) 1,010.81	1,544.73
सी) जमा	17,594.40	19,488.27	17,225.13	19,490.39	369.27	(-)2.12
डी) अग्रिम	38.10	9.09	38.10	9.09	0.00	-
ई) उंचत तथा विविध	562.53	848.36	544.51	731.54	18.02	116.82
एफ) प्रेषण	7,193.95	7,134.20	7,213.10	7,076.54	(-) 19.15	57.66
कुल	29,055.78	32,107.64	28,649.81	29,275.67	405.97	2,831.97


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## 1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सबसीडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषित किए गए हैं।

### 1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.6 गत पांच वर्षों (2012-17) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


पांच वर्षों (2012-17) की अवधि में कुल व्यय 79.87 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से मात्र 0.49 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 79.67 प्रतिशत तथा 19.11 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय का हिस्सा 42 प्रतिशत तथा 58 प्रतिशत के अनुपात में था। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 764.94 प्रतिशत बढ़ गया। यह वृद्धि वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत कंपनियों को ₹ 3,647.08 करोड़ तथा

हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ₹ 406.87 करोड़, निजी चीनी मिलों को ₹ 65.14 करोड़ तथा विभिन्न सहकारी चीनी मिलों को ₹ 252 करोड़ की राशि के ऋणों के कारण थी।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2012-13 में 85.83 प्रतिशत से 2014-15 में 91.51 प्रतिशत तक बढ़ गया किंतु 2015-16 में 74.61 प्रतिशत तक घट गया तथा 2016-17 में 85.74 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2012-13 में 12.99 प्रतिशत से 2016-17 में 8.60 प्रतिशत तक घट गया जो चिंता का विषय है। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2012-13 में 1.18 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 16.69 प्रतिशत हो गया तथा 2016-17 में 5.66 प्रतिशत तक घट गया। कुल व्यय से गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) का अनुपात 2012-13 में 64.51 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 67.73 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में 51.23 प्रतिशत तक तथा 2016-17 में 58.01 प्रतिशत तक घट गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2012-13 में 8.25 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 8.46 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2012-13 तथा 2016-17 में 27 प्रतिशत ही रहा जबकि सामाजिक सेवाओं ने 2014-15 तक बढ़ती प्रवृत्ति किंतु 2015-16 तथा 2016-17 में कमी

दर्शाई। आर्थिक सेवाओं ने 2014-15 तक घटती प्रवृत्ति दर्शाई किंतु 2015-16 तथा 2016-17 में बढ़ गई। उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसने विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2012-13 तथा 2016-17 में 72 प्रतिशत ही रहा।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2012-17) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय	38,072	41,887	49,118	59,236	68,403
वृद्धि दर (प्रतिशत)	19	10	17	21	15
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	11	10	11	12	12
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	28,616	31,735	36,358	40,675	46,284
राजस्व व्यय से गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	75	76	74	69	68

2012-17 के दौरान राजस्व व्यय 10 से 21 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 30,331 करोड़ (80 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु 2012-15 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही किंतु वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 12 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ से 15 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशन एवं पुलिस सेवाओं (₹ 723.90 करोड़), ब्याज भुगतानों एवं उधार के निपटान (₹ 1,995.36 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 2,917.46 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,143.87 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 310.53 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 1,329.69 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास (₹ 874.41 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 3,934.62 करोड़ तक बढ़ गया। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,101.32 करोड़), विद्युत क्षेत्र को सब्सिडी एवं सहायता अनुदान (₹ 285.58 करोड़) तथा उद्योग एवं खनिज (₹ 255.02 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 2,184.85 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (67.66 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (32.34 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से महत्वपूर्ण रूप से अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 9,167 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमशः ₹ 5,609 करोड़ और ₹ 3,558 करोड़ शामिल थे। 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. के मानकीय निर्धारण (₹ 50,334 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 69,397 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था।

2016-17 में ₹ 46,284 करोड़ का गै.यो.रा.व्य. तथा ₹ 22,119 करोड़ का यो.रा.व्य. सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (गै.यो.रा.व्य.: ₹ 48,482.76 करोड़ तथा यो.रा.व्य.: ₹ 26,753.12 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2012-17 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.15 एवं चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसमें	11,464 (34)	11,816 (31)	14,359 (35)	15,294 (32)	17,524	17,321*
गैर-योजनागत शीर्ष	10,280	10,374	12,250	12,870	14,981	14,486
योजनागत शीर्ष**	1,184	1,442	2,109	2,424	2,543	2,835
ब्याज भुगतान	4,744 (14)	5,850 (15)	6,928 (17)	8,284 (17)	10,490	10,542 (20)
पेंशनों पर व्यय	3,636 (11)	4,169 (11)	4,602 (11)	5,413 (11)	5,640	5,659 (11)
सबसीडिज	5,454 (16)	5,681 (15)	5,693 (14)	6,899 (15)	6800	7,654 (15)
कुल	25,298 (75)	27,516 (72)	31,582 (77)	35,890 (75)	40,454	41,176 (78)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

\* ₹ 314.26 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

\*\* योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गए वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 33,207 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 35,441 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 2,234 करोड़ (6.30 प्रतिशत) कम था तथा राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सब्सिडी ने 2016-17 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 83 प्रतिशत संघटित किया।

### वेतनों पर व्यय

2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 17,321 करोड़) 51.09 प्रतिशत बढ़ गया। 2007-08 से 2015-16 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 16.31 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (14.89 प्रतिशत) से अधिक थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 13.25 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.06 प्रतिशत की वृद्धि दर से मामूली सी अधिक थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 17,006 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 19,311 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पांच वर्ष (2012-17) की अवधि में 122.22 प्रतिशत (₹ 10,542 करोड़) बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹ 2,258 करोड़ (27.25 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2012-13 में 14.10 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 20.08 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 8,934 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 10,490 करोड़) से अधिक थे (परिशिष्ट 1.6)।

### सब्सिडीज़

सब्सिडीज़ पर भुगतान 2012-13 में ₹ 5,454 करोड़ से ₹ 2,200 करोड़ (40.34 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 7,654 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 14.58 प्रतिशत था। ₹ 7,654 करोड़ की कुल सब्सिडीज़ में से ₹ 6,618.71 करोड़ (86 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सब्सिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,800 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। 2016-17 के दौरान प्रदान की गई कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ तालिका 1.16 में वर्णित हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान		व्यय
		मूल	संशोधित	
1.	किसानों के लिए हरियाणा राज्य सहाकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ऋण	-	406.87	406.87
2.	सभी सहकारी चीनी मिलों के पुराने ऋण का समायोजन	400.00	252.00	252.00
3.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	90.00	133.91	133.91
4.	स्थगित बिक्री कर/वैट की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	20.00	70.00	70.00
5.	हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता	50.00	65.14	65.14
6.	एस.सी. सदस्यों सहित आवास सहकारी संस्थाओं को ऋण	3.50	3.50	3.50
7.	राजस्व अर्जित करने वाली स्कीमों के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण	1.50	0.39	0.39

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

### पेंशन भुगतान

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 5,659 करोड़) 55.64 प्रतिशत तक बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का 10.78 प्रतिशत था।

2016-17 में पेंशन भुगतानों पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 5,445 करोड़) से अधिक था तथा म.अ.रा.जी.वि. (₹ 5,640 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

**फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति**

फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रम, राष्ट्र के समावेशी विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फलैगशिप स्कीमों के लिए 2016-17 के दौरान तालिका 1.17 में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

**तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	94.78	0.00	196.76	0.00	291.54	160.79	55
2	एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम (ए.वा.प्र.का.)	49.97	0.00	0.00	1.35	51.32	17.84	35
3	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन (रा.ग्रा.जी.मि.)	0.00	0.00	69.85	0.00	69.85	50.00	72
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	3.81	0.00	312.60	15.35	331.76	325.46	98
5	इन्दिरा आवास योजना	76.63	71.53	47.69	0.00	195.85	93.19	48
6	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	57.84	308.48	200.00	0.00	566.32	482.73	85
7	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	36.23	111.53	309.15	0.00	456.91	371.28	81
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	85.24	51.46	125.97	3.00	265.67	85.32	32
9	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	-3.38	0.00	0.00	41.82	38.44	35.51	92
10	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (ए.आ.स्ल.वि.का.)	40.52	0.00	0.00	0.00	40.52	8.18	20
11	राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)	33.89	0.00	0.00	0.00	33.89	27.64	82
12	निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.)	28.53	63.52	39.85	0.00	131.90	57.59	43
13	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	0.00	87.61	0.00	0.00	87.61	85.31	97
14	सर्व शिक्षा अभियान	24.47	279.63	186.41	228.10	718.61	679.14	95
15	मिड-डे-मील स्कीम	49.89	152.16	115.44	0.00	317.49	225.64	71
16	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	-27.18	125.55	101.14	0.00	199.51	221.64	111
17	पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.)	7.60	69.51	71.98	0.00	149.09	125.98	85
	<b>कुल</b>	<b>558.84</b>	<b>1,320.98</b>	<b>1,776.84</b>	<b>289.62</b>	<b>3,946.28</b>	<b>3,053.24</b>	<b>77</b>

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

राज्य ने फलैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 2016-17 के दौरान ₹ 1,320.98 करोड़ प्राप्त किए। 2016-17 के लिए ₹ 3,946.28 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य ने ₹ 3,053.24 करोड़ (77 प्रतिशत) उपयोग किए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना, निर्मल भारत अभियान पुनःनामकरण स्वच्छ भारत मिशन, मिड-डे मील स्कीम तथा पूरक पोषक

कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 90 प्रतिशत से कम थी।

#### 1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	1,140.09	783.66	1,809.77	1,984.67	2,178.00	2,130.56	(-) 2.18
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	1,274.01	1,120.80	744.63	1,045.99	1,595.77	1,585.77	(-) 0.63
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	882.65	1,263.49	1,192.04	1,261.94	2,263.92	2,263.80	(-)0.01
विकास अभिकरण	450.65	523.36	723.72	878.09	757.94	757.94	-
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	580.02	518.83	979.70	1010.97	1,246.34	1,117.68	(-) 10.32
अन्य संस्थाएं	320.53	329.53	656.14	4,584.31	4,764.11	4,791.39	0.57
<b>कुल</b>	<b>4,647.95</b>	<b>4,539.67</b>	<b>6,106.00</b>	<b>10,765.97</b>	<b>12,806.08</b>	<b>12,647.14</b>	<b>(-) 1.24</b>
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	12	11	12	18		18	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.18 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2012-13 में ₹ 4,647.95 करोड़ से 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय का 18.49 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 12,647.14 करोड़ तक बढ़ गई। शैक्षिक संस्थाओं (₹ 145.89 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 539.78 करोड़), जिला परिषद एवं अन्य पी.आर.आईज (₹ 1,001.86 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 207.08 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 1,881.17 करोड़ (17.47 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 12,806.08 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध ₹ 12,647.14 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.01 और 10.32 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

#### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान) व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

##### 1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। तालिका 1.19, 2016-17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता

एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2012-13 और 2016-17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य. #/ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2012-13	12.78	71.85	35.99	12.99	16.11	3.61
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	14.80	70.00	38.20	13.70	17.70	4.60
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2016-17	14.57	71.77	33.92	8.60	14.04	3.82
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2016-17	16.70	70.90	32.20	19.70	15.20	4.80

कु.व्य.-कुल व्यय, वि.व्य.-विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.-सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य.-पूंजीगत व्यय।  
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।  
स.रा.घ.उ. का स्रोत: 01 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार।

#### राजकोषीय प्राथमिकता:

- हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय (कु.व्य.) दोनों वर्षों अर्थात् 2012-13 तथा 2016-17 में सामान्य श्रेणी राज्यों (सा.श्रे.रा.) की तुलना में कम था।
- 2012-13 (71.85 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (71.77 प्रतिशत) में हरियाणा में विकास व्यय पर प्राथमिकता मामूली सी कम हो गई थी तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी।
- कुल व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात 2012-13 (35.99 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (33.92 प्रतिशत) में हरियाणा में घट गया तथापि, यह सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक था।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात 2012-13 (12.99 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (8.60 प्रतिशत) में घट गया है तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से महत्वपूर्ण रूप से कम था।
- शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2012-13 (16.11 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (14.04 प्रतिशत) में घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।
- स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात 2012-13 (3.61 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (3.82 प्रतिशत) में थोड़ा सा बढ़ गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।

#### 1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्ष पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन बढ़ाने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार सर्विसिंग पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिकोण, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। तालिका 1.20, 2012-13 से

2016-17 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.21 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	31,868 (72)	32,300 (69)	36,180 (67)	59,652 (75)	65,835	57,258 (72)
क) विकास राजस्व व्यय	26,073 (59)	28,154 (60)	32,208 (60)	40,229 (51)	52,885	46,348 (58)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	5,511 (12)	3,653 (8)	3,425 (6)	6,448 (8)	8,288	6,464 (8)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	284 (1)	493 (1)	547 (1)	12,975 (16)	4,662	4,446 (6)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान विकास व्यय 79.67 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 72 प्रतिशत संघटित किया, 2015-16 में ₹ 59,652 करोड़ से ₹ 2,394 करोड़ (4.01 प्रतिशत) की मामूली कमी के साथ घटकर 2016-17 में ₹ 57,258 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों ने विकास व्यय का क्रमशः 81 तथा 8 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 11 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत परियोजनाओं को संवितरित कम ऋणों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम ₹ 8,529 करोड़ तक घट गए। ₹ 65,835 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 57,258 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 86.97 प्रतिशत है।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2015-16			2016-17		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
<b>सामाजिक सेवाएं (सा.से.)</b>						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.020	65.93	0.11	0.013	66.51	0.19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.014	47.40	0.08	0.080	48.31	0.09
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.237	16.18	6.92	0.183	14.19	6.53
<b>कुल (सा.से.)</b>	<b>0.079</b>	<b>51.77</b>	<b>1.65</b>	<b>0.071</b>	<b>50.88</b>	<b>1.73</b>
<b>आर्थिक सेवाएं (आ.से.)</b>						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.149	34.09	1.60	0.141	34.22	1.43
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.384	5.15	7.75	0.396	9.05	12.78
विद्युत एवं ऊर्जा	0.135	0.02	-*	0.153	0.02	-
परिवहन	0.437	42.75	3.51	0.360	41.38	3.33
<b>कुल (आ.से.)</b>	<b>0.228</b>	<b>11.90</b>	<b>1.43</b>	<b>0.218</b>	<b>12.50</b>	<b>1.80</b>
<b>कुल (सा.से. + आ.से.)</b>	<b>0.161</b>	<b>31.55</b>	<b>1.54</b>	<b>0.149</b>	<b>32.29</b>	<b>1.76</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व र.: परिचालन एवं रख-रखाव; \* राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2015-16 में 0.079 से 2016-17 में 0.071 तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 2015-16 में 0.228 से 2016-17 में 0.218 कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 51.77 प्रतिशत से 2016-17 में 50.88 प्रतिशत तक थोड़ा सा घट गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 1.65 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.73 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2015-16 में 11.90 प्रतिशत से 2016-17 में 12.50 प्रतिशत तक बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2015-16 में 1.43 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.80 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2015-16 में 31.55 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 32.29 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2015-16 में 1.54 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.76 प्रतिशत हो गया।

## 1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

### 1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2017 के अंत पर ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2016-17 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 107.64 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 17 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 309.91 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.17 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 233.44 करोड़ की हानि थी।

### 1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.22 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2017 को पहले ही समाप्त हो चुकी थीं।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2016 तक कुल व्यय
सिंचाई	3	86.86	-	84.69
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	11	203.89	-	114.48
कुल	14	290.75	-	199.17

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 14 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि मई 2014 और मार्च 2017 के मध्य थी, परन्तु ये जून 2017 तक अपूर्ण थी परिणामस्वरूप ₹ 199.17 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

### 1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2017 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 11,371.42 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.23)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.098 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2012-17 के दौरान अपने उधारों पर 9.13 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	7,240.02	7,378.87	7,500.22	9,372.44	11,332.97	11,371.42
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	7.05	6.49	5.80	15.89	6.75	5.89
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.10	0.09	0.08	0.17	0.06	0.05
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.86	9.83	9.33	8.64	9.36	8.00
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.76	9.74	9.25	8.47	9.30	7.95

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2012-13 से 2016-17 तक पांच वर्षों की अवधि में 57.06 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2012-13 में ₹ 7.05 करोड़ (0.10 प्रतिशत) से 2016-17 में ₹ 5.89 करोड़ (0.05 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2012-17 के दौरान 8 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.05 और 0.17 के बीच रही। राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान ₹ 2,025.25 करोड़ के निवेश तथा ₹ 26.27 करोड़ विनिवेशित किए जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान निवल निवेश ₹ 1,998.98 करोड़ हो गया। इनमें से ₹ 1,927.98 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे।

₹ 7,903.70 करोड़ के कुल निवेश वाली 12 सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 29,627.74 करोड़ थी (परिशिष्ट 1.7)। तीन<sup>7</sup> विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 29,310.86 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 99 प्रतिशत संघटित किया।

### 1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, तक सरकार द्वारा किये गये

<sup>7</sup> 2015-16 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 15,873.06 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,190.61 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 247.19 करोड़)।

निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 7,430.39 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- नुकसान में चल रहे दो उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज सात वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 28 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए थे।
- ₹ 774.86 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध दो<sup>8</sup> विभागीय उपक्रमों की निवल हानियां ₹ 295.55 करोड़ थी।

### 1.8.5 सार्वजनिक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए पूर्व अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2017 को ₹ 8,288.96 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 12 सा.नि.सां. परियोजनाएं (**परिशिष्ट 1.9**) कार्यान्वयन अधीन थी।

### 1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका 1.24**, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमाणा	2014-15	2015-16	2016-17	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	4,002	4,572		17,494
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	843	13,250	4,729	4,515
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	273	328	688	973
<b>अन्त शेष</b>	<b>4,572</b>	<b>17,494</b>		<b>21,036</b>
बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	4,572	5,187		4,667
निवल बढ़ोतरी	570	12,922	4,041	3,542
ब्याज प्राप्तियां	40	47	1,305	1,213
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.93	0.43	6.77	6.30
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.83	6.86	7.45	7.20
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.90	6.43	0.68	0.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

<sup>8</sup> कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 295.54 करोड़।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3,542 करोड़ की निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2017 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 21,036 करोड़ थे। ₹ 1,858.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2016-17 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 252 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे। जबकि, ₹ 3,647.08 करोड़ के ऋण वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2016 को बकाया ₹ 13,230.51 करोड़ के पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ 68.09 करोड़ वसूल किए गए थे। विद्युत कंपनियों (₹ 12,266.83 करोड़ तथा ₹ 3,589.59 करोड़) तथा प्राइवेट शुगर मिल (₹ 105.27 करोड़) तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 406.87 करोड़) को 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान संवितरित ऋण के निबंधन एवं शर्तें अंतिमकृत नहीं की गई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 257.12 करोड़ का ब्याज भुगतान वित्तीय पुनर्संरचना प्लान (वि.पु.प्ला.) के अंतर्गत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में किया गया था।

### 1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

	(₹ करोड़ में)	
	01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2017 को अंत शेष
<b>(ए) सामान्य नकद शेष</b>		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 733.94	426.19
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
<b>कुल</b>	<b>(-) 733.40</b>	<b>426.73</b>
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	4,173.12	2,554.85
<b>कुल (ए)</b>	<b>3,439.72</b>	<b>2,981.58</b>
<b>(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.68	2.92
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.12
चिन्हित निधियों का निवेश	2,775.22	2,673.64
<b>कुल (बी)</b>	<b>2,778.01</b>	<b>2,676.68</b>
<b>कुल योग (ए) + (बी)</b>	<b>6,217.73</b>	<b>5,658.26</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,217.73 करोड़ से घटकर ₹ 5,658.26 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 4,173.12 करोड़ से घटकर ₹ 2,554.85 करोड़ हो गए। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2016 को ₹ 2,775.22 करोड़ से ₹ 101.58 करोड़ घटकर 31 मार्च 2017 को ₹ 2,673.64 करोड़ हो गए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में कमी (₹ 335.14 करोड़) थी तथा समेकित सिंकिंग फंड (₹ 124.10 करोड़) एवं गारंटी रिडेम्पशन फंड (₹ 109.46 करोड़) में वृद्धि थी। वर्ष 2016-17 के दौरान नकद शेष निवेशों से प्राप्त ₹ 161.32 करोड़ का ब्याज वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 186.49 करोड़) से ₹ 25.17 करोड़ तक घट गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2016-17 के दौरान कोई साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया था।

### 1.8.8 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक एवं बिल लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख मध्यस्थ लेखा शीर्ष को निरूपित करता है। वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ तथा अंतिम शेष ₹ 0.05 करोड़ रहा।

कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाउंट में वर्ष 2016-17 के आरंभ में उपलब्ध ₹ 4,173.12 करोड़ का शेष तथा ₹ 2,554.85 करोड़ के रूप में अंतिम शेष दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग किया था।

## 1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

### 1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2017 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत चार वर्षों की तदनुरूपी स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधार, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

### 1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2012-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2012-13 से 2016-17 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

	(₹ करोड़ में)				
राजकोषीय देयता के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंतरिक ऋण	48,680	58,143	68,797	99,660	1,22,617
केंद्र सरकार से ऋण	1,978	2,151	2,128	2,049	1,986
लोक लेखा देयताएं	14,160	15,969	17,521	19,009	21,768
<b>कुल</b>	<b>64,818</b>	<b>76,263</b>	<b>88,446</b>	<b>1,20,718</b>	<b>1,46,371</b>
वृद्धि दर	18.84	17.66	15.97	36.49	21.25
ब्याज भुगतान	4,744	5,850	6,928	8,284	10,542
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	192.72	200.63	216.78	253.84	278.82
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	1.87	1.36	2.18	2.20	2.05
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	18.68	19.03	20.22	24.88	26.74



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012-13 में ₹ 64,818 करोड़ से मुख्यतः लोक ऋण (₹ 73,937 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 7,608 करोड़) में वृद्धि के कारण 125.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,46,371 करोड़ हो गई। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2012-13 में 18.68 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 26.74 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.79 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.64 गुणा थी। वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 10,542 करोड़ (7.20 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,46,371 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2016-17 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 1,40,831 करोड़ की सीमा से अधिक थी तथा एफ.एफ.सी. के अंतर्गत स.रा.घ.उ. के 19.91 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण के विरुद्ध उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करके 26.74 प्रतिशत एवं उदय स्कीम पर लिए गए ऋण को छोड़कर 22 प्रतिशत थी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए 2002 में समेकित सिंकिंग निधि स्थापित की। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि को अंशदान किया जाना अपेक्षित है।

सरकार ने 2016-17 के लिए समेकित सिंकिंग फंड को अंशदान देने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। अतः, वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 124.10 करोड़ की राशि को छोड़कर निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया था। कोई संवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,641.03 करोड़ की राशि थी।

एक प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक के प्रीमियम पर खरीदी गई इन निधियों का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया था परिणामस्वरूप 2015-16 के दौरान ₹ 11.52 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 11.21 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इतने बड़े प्रीमियम पर निधि के निवेश के बारे में वित्त विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किया गया है, उत्तर अभी प्रतीक्षित है (अगस्त 2017)।

### 1.9.3 आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 12 आरक्षित निधियां परिचालित की। "कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि तथा खाद्यान्न आरक्षित निधि" नामक दो निष्क्रिय आरक्षित निधियां वर्ष के दौरान बंद की गई थी। विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 आरक्षित निधियां थी। जिनमें से नौ निधियां सक्रिय थी तथा एक निधि (औद्योगिक विकास निधि) छः वर्षों से अपरिचालित थी।

2016-17 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 4,707.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 1,593.64 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 48.91 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 3,162.72 करोड़ का था। अपरिचालित फंड में वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर ₹ 7.46 करोड़ का अंत शेष था।

एक प्रमुख आरक्षित निधि होने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में ₹ 412.57 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 357.75 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्से के रूप में ₹ 119.25 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों के बकायों सहित निधि में ₹ 995.21 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। विभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित ₹ 228.19 करोड़ की राशि सहित निधि में से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 20.84 करोड़ की राशि भी वर्ष 2016-17 के दौरान निधि को हस्तांतरित की गई थी। विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान निधि से ₹ 35.17 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 35.17 करोड़ में से ₹ 28.05 करोड़ की राशि बजट के माध्यम से व्यय की गई थी। किंतु ₹ 7.12 करोड़ की राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खजाने के माध्यम से दिए जाने की बजाए निधि से बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संवितरित की गई थी। तथापि, यह जांच नहीं की जा सकी कि व्यय अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया गया था। वर्ष 2016-17 के अंत में निधि ₹ 1,621.65 करोड़ पर बंद की गई थी। ₹ 1,621.65 करोड़ में से ₹ 77.43 करोड़ की राशि केवल बैंक एफ.डी.आर./बचत खाते में निवेश की गई थी तथा ₹ 1,544.22 करोड़ की शेष राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार के पास रोकड़ में पड़ी थी।

### 1.9.4 खन एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

निधि हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना द्वारा खनन क्षेत्र, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य में खनन स्थलों के पुनर्वास और पुनरूद्धार को पर्यावरण धारणीय वृद्धि के लिए और क्षेत्र के एकोलोजी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों का बीड़ा उठाने के लिए स्थापित की गई। निधि को बिना ब्याज के रिजर्व फंड के अंतर्गत खोला गया था जबकि इस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिल रहा है और 31 मार्च को वर्ष के जून को समाप्त तिमाही तक वित्त विभाग द्वारा निधि में क्रेडिट किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार खनन स्थलों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास पर निधि में से व्यय निधि पर पहला प्रभार रहेगा।

राज्य को भुगतान किए गए 'डेडरेंट' या 'रायल्टी' या 'संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर एक राशि पुनरूद्धार एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभार' की प्रकृति में खनिज रियायत धारियों से प्रभारित की जाएगी और सरकार को देय राशि के अलावा ऐसे डेडरेंट या रायल्टी या संविदा धन के एवज में निधि को क्रेडिट की जाएगी।

एक वित्तीय वर्ष में डेडरेंट या रायल्टी या संविदा धन के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के 5 प्रतिशत के बराबर एक राशि निधि में सरकारी योगदान के रूप में निधि में जमा/हस्तांतरित की जानी है।

वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में, ₹ 14.49 करोड़ का शेष निधि में पड़ा था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने डेडरेंट/रायल्टी/संविदा धन के लिए ठेकेदार से ₹ 74.16 करोड़ राशि और रियायत धारियों से 'अन्य प्रभारों' के तौर पर ₹ 9.03 करोड़ की राशि प्राप्त की। इस प्रकार ₹ 3.71 करोड़ (डेडरेंट के तौर पर ₹ 74.16 करोड़ का 5 प्रतिशत) और 'अन्य प्रभारों' के ₹ 9.03 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 12.74 करोड़ निधि में हस्तांतरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान एम.एच.-8229-114 के अधीन निधि में ₹ 12.55 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। अतः ₹ 0.19 करोड़ का कम योगदान है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधानों के उल्लंघन में समेकित निधि द्वारा बिना माध्यम के रियायत धारियों से सीधे निधि में ₹ 27.98 करोड़ की राशि क्रेडिट की गई। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के अंत में निधि में शेष ₹ 55.02 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा ब्याज का कोई समायोजन नहीं किया गया जबकि अधिसूचना में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का प्रावधान था।

### 1.9.5 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिए गारंटियां दी गई हैं, द्वारा ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.27 में दी गई हैं।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटी	(₹ करोड़ में)				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
फीस सहित गारंटियों की बकाया राशि	21,124	27,309	30,389	16,886	8,260
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि की प्रतिशतता	63	72	74	36	16

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2016-17 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2017 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 8,260 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 5,563 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,050 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 1,647 करोड़) के संबंध में थी।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2003 में गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। निधि के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक अथवा आवधिक अंशदानों के साथ एकत्र की गई गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा निधि को अंतरित की जानी अपेक्षित है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 952.88 करोड़ का शेष था (₹ 16,886 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 5.64 प्रतिशत) जोकि निवेशित रहा। सरकार ने 2016-17 के दौरान निवेश पर अर्जित ₹ 70.06 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 39.40 करोड़ का योगदान निधि में दिया। 2016-17 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 1,54,631 करोड़ (₹ 1,46,371 करोड़ + ₹ 8,260 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 28.25 प्रतिशत थी। आगे, यह देखा गया कि एक से 22 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित प्रीमियम पर खरीदी गई निधियां, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी परिणामतः 2015-16 में ₹ 4.37 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 12.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मामला वित्त विभाग को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2017)।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक ऋण प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	27,086
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86	39,236
2016-17	99,660.13	28,046.26	5,089.52	1,22,616.87	22,956.74	23.04	48,274

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2012-13 में ₹ 39,342.83 करोड़ से ₹ 83,274 करोड़ (212 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2016-17 में बढ़कर ₹ 1,22,616.87 करोड़ हो गया। 2016-17 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 9,140 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

### ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन बकाया उधार वृद्धि की दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; उधार पुनर्भुगतान तथा उधार प्राप्ति; राज्य को उपलब्ध निवल उधार के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.29, 2012-13 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक उधार	50,658.27	60,293.96	70,925.30	1,01,709.05	1,24,602.73
बकाया लोक उधार की वृद्धि की दर	22.37	19.02	17.63	43.40	22.51
स.रा.घ.उ.	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82
स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में उधार	14.60	15.05	16.21	20.96	22.76
बकाया उधार की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक उधार का आ.शे.+लोक उधार का अं.शे./2)	8.62	8.92	9.14	7.61	8.17
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	11.80	13.02	14.70	13.81	17.61
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	39.12	45.26	43.62	18.99	18.73
राज्य के पास उपलब्ध निवल उधार #	5,294	4,687	4,633	24,217	13,647

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

# लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण का ब्याज भुगतान का आधिक्य राज्य के पास उपलब्ध शुद्ध ऋण है।

2012-17 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक उधार 145.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2012-13 में ₹ 50,658 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,24,603 करोड़ हो गए। 2012-13 से 2016-17 की अवधि पर वृद्धि की दर 17.63 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक उधार पिछले वर्ष में 43.40 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 22.51 प्रतिशत की दर पर बढ़ गया जो कि मुख्यतः उदय के अंतर्गत सरकार द्वारा लिए गए विद्युत कंपनियों के ₹ 8,650 करोड़ (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भाग लेने वाले लेंडर बैंकों को जारी किए गए बॉण्ड्स) की राशि के उधार लेने के कारण है।

स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर 2012-13 में 16.63 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 9.18 प्रतिशत हो गई, 2015-16 में 10.91 प्रतिशत की बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज करते हुए 2016-17 में 12.82 प्रतिशत हो गई किंतु अभी भी लोक उधार के ब्याज की औसत दर से उच्चतर थी जो कि 2012-17 की अवधि में 7.61 प्रतिशत तथा 9.14 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित है। राज्य को ऋण प्राप्ति पर निर्भर करने की बजाय सुदृढ़ वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधन संघटन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2012-13 में 11.80 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 17.61 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि लोक उधार पर ब्याज भुगतान बढ़ रहा था परिणामस्वरूप विकास के लिए निधियों की कम उपलब्धता थी।


उधार प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में उधार भुगतान ने 2012-13 में 39.12 प्रतिशत से 2013-14 में 45.26 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई, 2014-15 में जरा सा घटकर 43.62 प्रतिशत हो गया तथा 2016-17 में 18.73 प्रतिशत रहा।

### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

### 1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2012-17 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व घाटा जो 2015-16 के दौरान ₹ 11,679 करोड़ था बढ़कर ₹ 15,906 करोड़ हो गया। किंतु राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा जो 2015-16 में क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ था, उदय स्कीम के अंतर्गत पिछले वर्ष (₹ 17,300 करोड़) की तुलना में 2016-17 (₹ 8,650 करोड़) के दौरान मुख्यतः जारी किए गए कम बांड के कारण क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ तथा ₹ 15,743 करोड़ तक कम हो गया। वर्ष 2016-17 के लिए बजट में राजस्व घाटे का ₹ 12,280.35 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 4.27 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 4.80 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)। हालांकि, राजकोषीय घाटा उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को छोड़कर भी स.रा.घ.उ. के 3.22 प्रतिशत पर वर्ष 2016-17 के लिए एफ.आर.बी.एम., म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 2.47 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

तालिका 1.30 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.31 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>राजकोषीय घाटे के घटक</b>	(-) 10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479	(-)26,285
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	(-) 11,679	(-)15,906
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 5,751	(-) 3,925	(-) 3,697	(-) 6,878	(-)6,837
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 173	(-) 514	(-) 570	(-) 12,922	(-)3,542
<b>राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति</b>					
1 मार्केट उधार	8,574.38	10,621.36	12,372.99	13,168.29	15,358.98
2 भा.स. से ऋण	(-)75.54	173.08	(-) 22.98	(-) 78.91	(-)63.06
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-)91.55	28.07	707.45	1,012.11	(-)947.05
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	854.88	(-)1,186.82	(-)2,426.12	16,682.26	8,544.81
5 लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	457.96	720.99	1,041.05	1,048.64	1,114.88
6 रिजर्व निधि	(-)39.09	2.29	38.97	70.72	1,646.31
7 जमा एवं अग्रिम	597.05	1,086.43	471.42	369.27	(-)2.12
8 उचंत एवं विविध	370.77	(-) 3948.95	1,145.54	(-) 1,583.19	1,734.84
9 प्रेषण	(-)72.60	(-) 0.25	(-) 13.89	(-) 19.15	57.66
<b>10 ओवर आल सरप्लस (-) घाटा (+)</b>	<b>10,576.26</b>	<b>7,496.20</b>	<b>13,314.43</b>	<b>30,670.04</b>	<b>27,445.25</b>
11 नकद शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-)214.43	(+) 817.28	(-) 728.38	(+) 809.47	(-)1,160.13
<b>12 सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>10,362</b>	<b>8,314</b>	<b>12,586.05</b>	<b>31,479.51</b>	<b>26,285.12</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

\* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.31: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	15,800.00	441.02	15,358.98
2 भा.स. से ऋण	123.26	186.32	(-) 63.06
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	947.05	(-) 947.05
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	12,246.26	3,701.45	8,544.81
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,034.08	1,919.20	1,114.88
6 जमा और अग्रिम	19,488.27	19,490.39	(-) 2.12
7 रिजर्व निधियां	1,695.23	48.92	1,646.31
8 उचंत एवं विविध	98,132.84	96,398.00	1,734.84
9 प्रेषण	7,134.20	7,076.54	57.66
<b>10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)</b>	<b>1,57,654.14</b>	<b>1,30,208.89</b>	<b>27,445.25</b>
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)	Cr.733.40	Dr.426.73	(-) 1160.13
<b>12 कुल राजकोषीय घाटा</b>	<b>1,56,920.74</b>	<b>1,30,635.62</b>	<b>26,285.12</b>

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

बाजार उधारों का योगदान ₹ 15,359 करोड़ था जो कि 2015-16 में ₹ 13,168 करोड़ से ₹ 2,191 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ₹ 8,545 करोड़, राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 1,115 करोड़) और आरक्षित निधियों में वृद्धि (₹ 1,646 करोड़) थी।

### 1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.32) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-)5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2,464
2014-15	41,091	42,190	3,716	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658
2015-16	47,915	50,952	6,908	13,250	71,110	(-) 3,037	(-) 23,195
2016-17	53,496	57,861	6,863	4,515	69,239	(-) 4,365	(-) 15,743

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पिछले वर्ष का प्राथमिक राजस्व घाटा 2016-17 के दौरान आगे ₹ 4,365 करोड़ तक बढ़ गया क्योंकि प्राथमिक राजस्व व्यय गैर-ऋण प्राप्तिओं से तेजी से बढ़ गया। यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने में भी कम पड़ गई तथा प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई थी।

### 1.12 निष्कर्ष

2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियां मुख्यतः कर राजस्व ₹ 3,096.59 करोड़ (10.01 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 4,940.27 करोड़ (10.39 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2016-17 के लिए कर-राजस्व चौ.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 27.64 प्रतिशत तक कम पड़ गया तथा कर-भिन्न राजस्व 43.82 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,483.38 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-16 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 86 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 46,284 करोड़ था, जो म.अ.वि.नी.वि. (₹ 48,483 करोड़) के प्रक्षेपण से 4.54 प्रतिशत कम था जिसमें से 83 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतानों और सब्सिडीज पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडीज (₹ 7,654 करोड़) का 86 प्रतिशत (₹ 6,619 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.05 तथा 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 8 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़

हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2015-16 में क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ और ₹ 23,195 करोड़ रही, 2016-17 में क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ और ₹ 15,743 करोड़ तक कम हो गईं।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2017 को ₹ 1,46,371 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 26.74 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.79 गुणा थीं।

2016-17 के अंत पर राज्य का नकद शेष निवेश लेखा ₹ 1,618.27 करोड़ तक कम हो गया तथा 5 एवं 5.5 प्रतिशत के मध्य ब्याज अर्जित किया जबकि सरकार ने 8 प्रतिशत की औसत पर उधार लिया।

सरकार के आंतरिक ऋण 2015-16 में ₹ 99,660 करोड़ से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹ 1,22,617 करोड़ (23.04 प्रतिशत) हो गए। 2016-17 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 9,140 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2016-17 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

### 1.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) विद्युत क्षेत्र की बेहतर कर अनुपालना तथा तर्कसंगत सब्सिडी सुनिश्चित करके कर एवं कर-भिन्न उपायों के माध्यम से गतिशील अतिरिक्त संसाधनों की संभावना खोजना;
- (ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना;
- (iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना तथा उनके पुनरूद्धार अथवा समापन, जैसा भी मामला हो, के लिए अनुकूल योजना बनाना; तथा
- (iv) सहकारी चीनी मिलों तथा निजी चीनी मिलों से लंबित ऋणों को वसूल करने के लिए कार्य योजना बनाना।

**अध्याय-2**  
**वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण**

## अध्याय 2

### वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्च के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

#### 2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध 2016-17 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	65,019.28	3,604.84	68,624.12	58,048.66	(-)10,575.46
	II पूंजीगत	18,612.53	172.76	18,785.29	14,384.39	(-)4,400.90
	III ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,791.35	4,514.91	(-)276.44
<b>कुल दत्तमत</b>		<b>88,361.20</b>	<b>3,839.56</b>	<b>92,200.76</b>	<b>76,947.96</b>	<b>(-)15,252.80</b>
भारित	IV राजस्व	10,654.46	5.74	10,660.20	10,717.06	56.86
	V पूंजीगत	95.00	26.00	121.00	128.80	7.80
	VI लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9,677.50	0.00	9,677.50	5,275.84	(-)4,401.66
<b>कुल भारित</b>		<b>20,426.96</b>	<b>31.74</b>	<b>20,458.70</b>	<b>16,121.70</b>	<b>(-)4,337.00</b>
<b>आकस्मिक निधि से विनियोजन</b>			-	-	-	-
<b>कुल योग</b>		<b>1,08,788.16</b>	<b>3,871.30</b>	<b>1,12,659.46</b>	<b>93,069.66</b>	<b>(-)19,589.80</b>

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 362.29 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 7,650.10 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 3,871.30 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का चार प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 25 प्रतिशत था।

₹ 19,589.80 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व खंड के अंतर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत खंड के अंतर्गत 20 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 19,846.78 करोड़ की बचतों तथा अनुदान संख्या 6-वित्त (₹ 71.27 करोड़) के राजस्व भारित खंड, अनुदान संख्या 14-शहरी विकास (₹ 0.92 करोड़) तथा अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 176.99 करोड़) के पूंजीगत खंड के अंतर्गत तथा अनुदान संख्या 8-भवन एवं सड़कें (₹ 1.98 करोड़) तथा अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 5.82 करोड़) के अंतर्गत मुख्यतः ₹ 256.98 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 256.98 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

### 2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

#### 2.3.1 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए ब्यौरे अनुसार 54 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 1,311.53 करोड़ का व्यय किया गया।

#### 2.3.2 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका द्वारा विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है; लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। फिर भी, 2011-12 से 2015-16 की अवधि हेतु ₹ 2,841.81 करोड़ की राशि का अधिक व्यय लोक लेखा समिति द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा 2016-17 के दौरान ₹ 256.98 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

अनुदान संख्या "24-सिंचाई" (तालिका 2.2) में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.2: 2012-17 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>पूंजीगत-दत्तमत</b>						
1	24-सिंचाई	275.23 (53)	213.26 (33)	402.89 (79)	211.00 (35)	176.99 (27)

\* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष "4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी इंजीनियर, 89-विशेष राजस्व, 93-चीफ इंजीनियर, 92-सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर, 88-पेंशनरी प्रभारों" (₹ 113.71 करोड़) के अंतर्गत हुए।

### 2.3.3 आबंटनों की तुलना में बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 27 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं (परिशिष्ट 2.2)। ₹ 90,862.75 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 71,782.42 करोड़ था तथा बचतें ₹ 19,080.33 करोड़ थीं। आठ अनुदानों शीर्षक- 9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 13-स्वास्थ्य (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 24-सिंचाई (राजस्व दत्तमत), 27- कृषि (राजस्व-दत्तमत), 8-भवन एवं सड़कें (पूंजीगत-दत्तमत), 23-खाद्य एवं आपूर्ति (पूंजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण, में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थीं। भारी बचतों के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

### 2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 13 अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाईं तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	270.60 (69)	280.85 (51)	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)
2	09-शिक्षा	1,591.65 (19)	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)
3	10-तकनीकी शिक्षा	68.22 (19)	78.68 (21)	137.08 (28)	93.47 (20)	98.19 (21)
4	11-खेल एवं युवा कल्याण	19.25 (13)	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)
5	13-स्वास्थ्य	253.27 (14)	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)
6	14-शहरी विकास	41.48 (15)	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)
7	15-स्थानीय शासन	379.76 (22)	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)
8	17-रोजगार	15.14 (20)	25.61 (33)	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)
9	23-खाद्य एवं आपूर्ति	107.83 (52)	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)
10	24-सिंचाई	375.55 (27)	382.54 (25)	512.00 (31)	359.16 (21)	512.12 (27)
11	27-कृषि	184.55 (20)	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)
12	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	159.83 (10)	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>						
13	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	324.40 (28)	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)
<b>पूंजीगत (भारित)</b>						
14	लोक ऋण	4,250.68 (40)	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)

\* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वे मामले, जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, नीचे दर्शाए गए हैं:

- अनुदान संख्या 7-आयोजना एवं सांख्यिकी, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 102-जिला आयोजना मशीनरी, 95-जिला योजना (₹ 151.55 करोड़) तथा 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान, 99-जिला योजना स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का कल्याण (₹ 105.33 करोड़) के अंतर्गत बचतें।
- अनुदान संख्या 9-शिक्षा के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 101-सरकारी प्राथमिक स्कूल, 88-प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं I से V तक की स्थापना, 95-कक्षा VI-VIII (पूर्ण कालिक) सुविधाओं का विस्तार, 98-मिडिल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII (₹ 1,019.74 करोड़), 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक स्कूल, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 98-स्थापना व्यय (₹ 644.28 करोड़), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (₹ 140.30 करोड़), 793-अनुसूचित जाति घटक प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, 98- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 183.50 करोड़), 03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, 103-सरकारी कॉलेज एवं संस्थान, 97-राष्ट्रीय उच्चतरशिक्षा अभियान (₹ 154.49 करोड़) में हुई।
- अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य, 2210-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा एलोपेथी, 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 84-एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत सहायता अनुदान (₹ 107.25 करोड़) के अंतर्गत बचतें।
- अनुदान संख्या 15-स्थानीय शासन के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता, 86-नया शहरी नवीकरण मिशन, 87-स्मार्ट सिटी, 92-नगर पालिका/परिषद को स्टांप शुल्क के लाभ से स्थानीय निकायों को अंशदान में हुई (₹ 750.82 करोड़)।
- अनुदान संख्या 27-कृषि के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2401-फसल पालन, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु स्कीम (₹ 272.56 करोड़) तथा 111-कृषीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, 90-प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के रूप में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में हुई (₹ 198.65 करोड़)।
- अनुदान संख्या 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2505- ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में हुई (₹ 164.44 करोड़)।
- पूंजीगत (भारित) लोक ऋण के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य बैंकों से ऋण में हुई (₹ 3,500.01 करोड़)।

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

### 2.3.5 अनावश्यक पूरक प्रावधान

24 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 1,536.89 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है।

### 2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 35 उप-शीर्षों में ₹ 2,774.12 करोड़ से अधिक के आधिक्य और 49 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक ₹ 1,063.26 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित हैं। 31-उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थीं। 32<sup>1</sup> मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुईं क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, छः<sup>2</sup> मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थीं।

### 2.3.7 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर, 50 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,11,537.69 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 92,026.75 करोड़ था परिणामतः ₹ 19,759.20 करोड़ की बचतों तथा ₹ 248.26 करोड़ के आधिक्य के कारण ₹ 19,510.94 करोड़ की निवल बचतें हुईं, जिसके विरुद्ध ₹ 22,180.04 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (**परिशिष्ट 2.5**) जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 30 मामलों में ₹ 9,968.73 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 823.41 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 12 मामलों में ₹ 9,361.43 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 11,870.37 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे तथा 6-वित्त (राजस्व भारित) एवं 24-सिंचाई (पूंजीगत दत्तमत) में यद्यपि वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 71.27 करोड़ एवं ₹ 176.99 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 562.77 करोड़ एवं ₹ 172.54 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से अभ्यर्पित की गईं। केवल छः मामलों में ₹ 429.04 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गईं थीं। अभ्यर्पण न करने तथा अधिक अभ्यर्पण हेतु कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

<sup>1</sup> **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 10, 13, 16 से 25, 27 से 31, 33, 44, 51, 58, 60, 61, 64, 67, 69, 71, 78, 79, तथा 82 से 84

<sup>2</sup> **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 5, 6, 14, 34, 37 तथा 41

### 2.3.8 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय के वेग को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.6** में सूचीबद्ध 16 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 18 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या मार्च 2017 में किया गया।

आगे संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2016-17 के दौरान 16 अनुदानों के अंतर्गत 18 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 5,022.49 करोड़ के व्यय में से, ₹ 2,015.61 करोड़ (40 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2017 के महीने के दौरान किया गया।

अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाया।

### 2.4 खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} हरियाणा द्वारा 2016-17 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

#### 2.4.1 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि खजाना अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। **परिशिष्ट 2.7** के अनुसार ₹ 18.49 करोड़ के 1,358 वाउचर मिसिंग पाए गए। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्रचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

#### 2.4.2 खजानों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 17 मामलों में विभिन्न ट्रेजरीज से लेखे (11 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 6 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) प्रत्येक माह में चार से नौ दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। 96.96 प्रतिशत लेखे समय पर प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब हुआ।

#### 2.4.3 प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 13.5 के अनुसार सभी डिपोजिट लेन-देनों के प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम तैयार किए जाने चाहिए तथा कोषालय के लिए लेखांकन नियम, 1992 के नियम 91 तथा 92 में निर्धारित किए गए अनुसार महालेखाकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम खजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते। वर्ष 2016-17 के लिए अनेक प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम 11 खजाना कार्यालयों<sup>3</sup> से अभी भी प्रतीक्षित हैं, इस प्रकार, परिणामतः

<sup>3</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, कैथल, करनाल, नूंह, रेवाड़ी तथा रोहतक।

ब्रॉड शीट्स में बकाया शेष हैं। इस संबंध में खजाना अधिकारियों को सख्ती से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

#### 2.4.4 नॉन ऑपरेशनल पर्सनल लेजर अकाउंट्स

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पर्सनल लेजर अकाउंट्स (पी.एल.एज.) को, समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षों को शेष का माइनस डेबिट करके वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज., यदि आवश्यक हो, सामान्य ढंग से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी खजाना अधिकारियों को सख्त अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर ₹ 234.87 करोड़ के शेष के साथ 124 पी.एल.एज. थे, जिनमें से ₹ 3.56 करोड़ से आवेष्टित 13 लेखे परिचालन में नहीं थे और बंद नहीं किए गए थे, इससे निर्धारित प्रक्रिया में विचलन हुआ।

### 2.5 बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम

#### 2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया ₹ 88,781.96 करोड़ का मूल बजट ₹ 84,132.15 करोड़ तक संशोधित किया गया था। इसके विरुद्ध 2016-17 के दौरान ₹ 79,781.44 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय के विवरण तालिका 2.4 में दिए गए हैं:

तालिका 2.4: 2012-17 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मूल बजट	45,318.93	53,073.59	59,451.23	69,140.29	88,781.96
संशोधित अनुमान	46,413.29	53,548.30	61,449.82	85,037.30	84,132.15
वास्तविक व्यय	44,355.56	46,597.31	53,676.27	79,394.32	79,781.44
बचत/आधिक्य	2,057.73	6,950.99	7,773.55	5,642.98	4,350.71

आगे, न केवल वार्षिक योजना के प्रावधान को ₹ 40,256.21 करोड़ से ₹ 37,266.34 करोड़ तक संशोधित किया गया था, बल्कि केवल ₹ 33,124.05 करोड़ का वास्तविक व्यय किया जा सका जोकि मूल बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं आया जैसा नीचे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वार्षिक योजना के प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मूल बजट	16,549	20,353	22,251	25,743	40,256.21
संशोधित अनुमान	16,336	19,471	22,110	42,743	37,266.34
वास्तविक व्यय	13,647	15,219	17,597	25,185	33,124.05
बचत/आधिक्य	2,689	4,252	4,513	17,558	4,142.29

इसी प्रकार, ₹ 63,666 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियां ₹ 60,784 करोड़ तक संशोधित की गई थी जिसके विरुद्ध ₹ 53,496 करोड़ वास्तव में वसूल किए गए थे जैसा तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मूल बजट	37,722	44,098	48,058	52,717	63,666
संशोधित अनुमान	38,281	42,033	45,821	54,642	60,784
वास्तविक व्यय	33,994	38,284	41,090	47,915	53,496
बचत/आधिक्य	4,287	3,749	4,731	6,727	7,288

### 2.5.2 संसाधनों का अवास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमानों के पूर्वानुमान जहां तक संभव हों परिशुद्ध बनाए जाने चाहिए कि वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी तथा इसलिए उन्हें तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में वर्ष के उन महीनों की वास्तविक प्राप्तियां होंगी जो पहले ही बीत गए हों। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के विशेष स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में वृद्धि या कमी प्रकट करती हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता को मान सकता है। अनुमान हमेशा उन अधिकारियों, जो उन्हें प्रस्तुत करते हैं, के सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत ध्यान के पश्चात प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा जहां तक संभव हों परिशुद्ध होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि कर-भिन्न राजस्व पूर्वानुमानों के लिए 2016-17 का संशोधित अनुमान ₹ 15,239.46 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 11,873.67 करोड़ थी परिणामतः ₹ 3,365.79 करोड़ की अधोमुखी भिन्नता हुई अर्थात् संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत नीचे। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के लिए कर राजस्व ₹ 45,087.83 करोड़ पर अनुमानित था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 40,623.15 करोड़ थी परिणामतः पूर्वानुमान से नीचे ₹ 4,464.68 करोड़ की भिन्नता हुई। गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान तथा वास्तविक राजस्व नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वास्तविक की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2012-13	कर राजस्व	27,460.10	26,621.13	838.97
	कर-भिन्न राजस्व	10,363.97	7,012.40	3,351.57
2013-14	कर राजस्व	30,234.52	28,909.84	1,324.68
	कर-भिन्न राजस्व	11,401.42	9,102.24	2,299.18
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39
2015-16	कर राजस्व	40,436.10	36,425.31	4,010.79
	कर-भिन्न राजस्व	13,731.25	11,131.24	2,600.01
2016-17	कर राजस्व	45,087.63	40,623.15	4,464.48
	कर-भिन्न राजस्व	15,239.46	11,873.67	3,365.79

### 2.5.3 योजनागत अनुमानों में कमियां

2016-17 के दौरान संशोधित योजनागत व्यय हेतु ₹ 37,266.34 करोड़ का आकलन किया गया था। प्लान स्कीमों पर ₹ 33,124.05 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो उपर्युक्त राशि का 88.88 प्रतिशत तथा पूर्वानुमानों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- i) 2016-17 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 143.53 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 15 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में निकाल दी गई थी (**परिशिष्ट 2.8**)।
- ii) 2016-17 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 19 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 367.44 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 46.33 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी (**परिशिष्ट 2.9**) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।
- iii) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 28 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 296.52 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.10**)।
- iv) 15 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 569.20 करोड़ का प्रावधान ₹ 625.60 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 292.60 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि मूल अनुमानों का 51 प्रतिशत था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से कम था (**परिशिष्ट 2.11**)।
- v) 68 प्लान योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2016-17 के दौरान ₹ 5,125.75 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 3,158.30 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,494.87 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित परिव्यय का 47 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.12**)।
- vi) छः योजनाएं, जिनके लिए 2016-17 के दौरान कार्यान्वयन हेतु ₹ 720.66 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 465.77 करोड़ तक कम किया गया था, किंतु ₹ 661.41 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 142 प्रतिशत था जैसा कि **परिशिष्ट 2.13** में विवरण दिया गया है।
- vii) 93 योजनाएं, जिनके लिए संशोधित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में ₹ 3,273.29 करोड़ का प्रावधान किया गया था, किंतु ₹ 1,981.65 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था (**परिशिष्ट 2.14**)।
- viii) पांच योजनाएं, जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु संशोधित अनुमान में ₹ 35.92 करोड़ शामिल किए गए। इन योजनाओं पर किया गया ₹ 9.93 करोड़ का व्यय किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** में विवरण दिया गया है।
- ix) नौ नई योजनाएं, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 111.76 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा एक स्कीम जिसके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान

₹ 2.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 4.07 करोड़ किया गया था किंतु वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था जैसाकि (परिशिष्ट 2.16) में दर्शाया गया है।

- x) 17 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 1,265.40 करोड़ का प्रावधान ₹ 1,643.66 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,169.58 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 71 प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.17)।
- xi) महिला एवं बाल विकास विभाग में ग्रामीण किशोरियों के लिए पुरस्कार के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित परिव्यय में ₹ 0.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, किंतु ₹ 0.58 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमानों का 145 प्रतिशत था।

## 2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या "11-खेल एवं युवा कल्याण" तथा अनुदान संख्या "19-एस.सीज, एस.टीज, अन्य बी.सीज तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण") के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा चालू वर्ष के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2017)।

### 2.6.1 अनुदान संख्या 11-खेल एवं युवा कल्याण

2016-17 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

- i) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 420.78 करोड़ (मूल ₹ 313.13 करोड़ तथा पूरक ₹ 107.65 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 314.94 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 105.84 करोड़ की बचत हुई जो बजट प्रावधान के विरुद्ध 25 प्रतिशत थी। यह दर्शाती है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे।
- ii) पांच स्कीमों पर वर्ष के दौरान अनुदान के राजस्व खंड के अंतर्गत ₹ 6.01 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध ₹ 5.06 करोड़ की राशि सरेंडर की गई थी। इस प्रकार, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाते हुए ₹ 0.95 करोड़ की बचत सरेंडर नहीं की गई थी तथा यह तथ्य की ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग न की जाएं (परिशिष्ट 2.18)।
- iii) इस अनुदान के अंतर्गत दो<sup>4</sup> स्कीमों में ₹ 60.59 करोड़ (मूल ₹ 54.09 करोड़ तथा पूरक ₹ 6.50 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 43.51 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 17.08 करोड़ (कुल प्रावधान का 28 प्रतिशत) की बचत हुई। इन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹ 6.50 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था।
- iv) 12 उप-शीर्षों में, परिशिष्ट 2.19 में दिए गए विवरणानुसार सतत बचतें कुल प्रावधान के 18 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

<sup>4</sup> (i) मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, राई तथा कमला नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, राई तथा (ii) मानव संसाधन विकास स्कीम।

- v) 17 स्कीमों में ₹ 228.71 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 102.58 करोड़ (45 प्रतिशत) का व्यय 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान तथा मार्च 2017 में ₹ 79.38 करोड़ (35 प्रतिशत) इन स्कीमों पर किया गया था। इन 17 स्कीमों में से छः स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (**परिशिष्ट 2.20**)।
- vi) तीन<sup>5</sup> स्कीमों/शीर्षों के लिए किया गया ₹ 7.31 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 7.31 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से आहरित किया गया था।

### 2.6.2 अनुदान संख्या 19-एस.सीज, एस.टीज, अन्य बी.सीज तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

2016-17 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

- i) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 778.48 करोड़ (मूल: ₹ 662.52 करोड़ तथा पूरक: ₹ 115.96 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 564.69 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 213.79 करोड़ की बचत हुई जो बजट प्रावधान के विरुद्ध 27 प्रतिशत थी। ₹ 115.96 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ii) पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 11.55 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3.07 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 8.48 करोड़ की बचत हुई जो बजट प्रावधान के विरुद्ध 73 प्रतिशत थी। यह, यह दर्शाती है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किया गया था।
- iii) आठ माइनर शीर्षों/स्कीमों में वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर ₹ 53.70 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 53.70 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से आहरित किया गया था जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.21** में दिए गए हैं।
- iv) 20 उप-शीर्षों में, **परिशिष्ट 2.22** में दिए गए विवरणानुसार सतत बचतें कुल प्रावधान के 12 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।
- v) 22 स्कीमों पर 2016-17 के लिए ₹ 262.52 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 152.93 करोड़ (58 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। इन 22 स्कीमों में से पांच स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (**परिशिष्ट 2.23**)।
- vi) शीर्ष 2225-01-283-98 प्रभार्य स्थापना लागत के अंतर्गत ₹ 0.05 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध 2016-17 के दौरान ₹ 1.14 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.09 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका विधान मंडल से विनियमन अपेक्षित है।

<sup>5</sup> (i) भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य द्वारा 7:5 के अनुपात पर एन.एस.एस. स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), (ii) मूलभूत संरचना स्कीम (₹ 5.30 करोड़) तथा (iii) वृद्धावस्था पेंशन (₹ 0.01 करोड़)।

### 2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2016-17 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 5 नवम्बर 2015 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, अनुदान संख्या 11 और अनुदान संख्या 19 की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने अनुमान क्रमशः 21 तथा 29 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् क्रमशः 4 दिसंबर 2015 तथा 26 नवंबर 2015 को प्रस्तुत किए।

### 2.7 निष्कर्ष

2016-17 के दौरान, ₹ 1,12,659.46 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 93,069.66 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 19,589.80 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 19,846.78 करोड़ की बचत तथा तीन अनुदानों के अंतर्गत ₹ 256.98 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2015-16 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 2,841.81 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

50 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर) में ₹ 22,180.04 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में सरेंडर किए गए थे। 12 मामलों में ₹ 11,870.37 करोड़ सरेंडर किए गए जिसमें वास्तविक बचतों से ₹ 2,508.94 करोड़ का अधिक सरेंडर शामिल था। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 30 मामलों में ₹ 9,968.73 करोड़ की बचतों में से ₹ 823.41 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। वहां अनुचित विनियोजनों के मामले भी थे।

### 2.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- (i) अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाना;
- (ii) बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करना;
- (iii) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना; तथा
- (iv) वाउचरों, लेखाओं इत्यादि का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए खजानों की कार्यविधि में सुधार हेतु उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना।

**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**

## अध्याय-3

### वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

#### 3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। सत्यापन के बाद, ये, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, कुल ₹ 18,543.19 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 14,780 उ.प्र.प. में से ₹ 9,062.62 करोड़ की कुल राशि के 1,879 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2017 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभागवार विघटन **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में आयुवार विलंब **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयुवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलंब की रेंज वर्षों में	भुगतान किए गए कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0 से 1	7,182	5,930.34	976	3,996.00
2	2 से 4	6,894	9,856.93	770	4,683.60
3	5 से 7	704	2,755.92	133	383.02
कुल		14,780	18,543.19	1,879	9,062.62

तालिका 3.1 दर्शाती है कि लम्बित 1,879 उ.प्र.प. में से 903 उ.प्र.प. (48 प्रतिशत) 2008-09 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों अर्थात् दो से आठ वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। **परिशिष्ट 3.1** का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल

लम्बित 1,879 उ.प्र.प. में से 1,041 उ.प्र.प. (55 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। यह न केवल प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करते रहने में सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

### 3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 (नि.म.ले.प. अधिनियम-1971) की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

73 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 147 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2017 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखाओं के ब्यौरे **परिशिष्ट 3.2** में दिये गए हैं और उनके आयु-वार बकाया लंबनता **तालिका 3.2** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाया

क्र.सं.	विलम्ब वर्षों में	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1	0-1	71	248.10
2	1-3	51	142.48
3	3-5	15	43.57
4	5-7	07	19.83
5	7-9	03	1.06
	<b>कुल</b>	<b>147</b>	<b>455.04</b>

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 161 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, में से 22 निकायों/प्राधिकरणों का आडिट 2016-17 के दौरान किया गया था।

### 3.3 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण तथा कृषि के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में इंगित की गई है।

एक<sup>1</sup> स्वायत्त निकाय ने अपने वार्षिक लेखे गत 20 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे जबकि अन्य निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा आठ वर्षों के मध्य रहा। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से पता न लगाई जा रही वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है तथा इसलिए लेखाओं का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाना तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2014-15) तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2013-14) के संबंध में पृ.ले.प. राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

### 3.4 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के वर्किंग परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी कार्यप्रणाली का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतः जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हो, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब से सार्वजनिक धन की जालसाजी और रिसाव के जोखिम की संभावना है।

<sup>1</sup> जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।

जून 2017 तक, ऐसे पांच उपक्रमों ने 1987-88 तथा 2015-16 के मध्य श्रृंखलित वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 7,429.57 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। यद्यपि लेखाओं को तैयार करने में बकायों के बारे में बार-बार राज्य के वित्तों पर पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई है, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

### 3.5 दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या लापरवाही से उत्पन्न किसी हानि के लिए उस सीमा तक, जो उसने अपने स्वयं के कार्य अथवा लापरवाही से हानि में सहयोग दिया, के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, तत्रैव नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.41 करोड़ राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग तथा गबन के 98 मामले सूचित किए जिन पर जून 2017 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की आयुवार रूपरेखा तथा संख्या, जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हैं, **तालिका 3.3** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.3: दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

(₹ लाख में)

लंबित मामलों का एज-प्रोफाइल			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0 - 5	21	54.32	जून 2016 को लंबित मामले	105	133.43
5 - 10	15	21.44			
10 - 15	22	31.89	वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले	17	30.09
15 - 20	08	14.30			
20 - 25	08	2.40			
			<b>कुल</b>	<b>122</b>	<b>163.52</b>
25 एवं अधिक	24	16.47	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	24	22.70
<b>कुल</b>	<b>98</b>	<b>140.82</b>			

मामलों के लम्बित रहने के लिए कारण तालिका 3.4 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.4: दुरुपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिए कारण

लंबित मामलों के लिए विलंब/बकाया हेतु कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i	विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	1	1.61
ii	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	68	78.61
iii	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण की गई किन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र मामले का कार्यान्वयन लम्बित	3	1.12
iv	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	20	37.54
v	विधि न्यायालयों में लम्बित	6	21.94
<b>कुल</b>		<b>98</b>	<b>140.82</b>

कुल हानि मामलों में से 72 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 69 प्रतिशत मामलों के संबन्ध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि 20 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। आगे यह देखा गया कि चोरी/दुरुपयोग के कारण हानियों के 98 मामलों में से 77 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें 24 मामले जो 25 वर्षों से अधिक पुराने थे शामिल हैं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जवाब न देने का कारण भी बनी।

### 3.6 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

#### बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना है क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है।

2016-17 के दौरान कुल ₹ 13,502.60 करोड़ (कुल व्यय<sup>2</sup> का 17.94 प्रतिशत) का व्यय विभिन्न राजस्व तथा पूंजीगत बृहद शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सब्सिडी, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, नागर विमानन, पर्यटन तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत से अधिक व्यय स्पष्ट शीर्ष में दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

<sup>2</sup> ऋण एवं अग्रिम छोड़कर।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग 2015-16 में ₹ 14,778.53 करोड़ से ₹ 1,275.93 करोड़ (9 प्रतिशत) तक घटकर 2016-17 में ₹ 13,502.60 करोड़ हो गई। तथापि, इसने अभी बृहत् राशि संघटित की। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत बृहत् राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

### 3.7 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलंब थे तथा परिणामस्वरूप अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कुछ स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान को आकृष्ट करते हैं। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अपने अंतिम लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनकी वित्तीय स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकी। आगे सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि तथा गबन के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2016-17 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत कुल व्यय का 17.94 प्रतिशत वर्गीकृत किया गया था।

### 3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनुदानग्राही संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना;
- (ii) स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली स्थापित करना;
- (iii) चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करना; तथा

(iv) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए गए व्यय की राशियों को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों के व्यय में शामिल करने की बजाए अलग से दर्शाना।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजे गए थे (अक्टूबर 2017); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

चण्डीगढ़

दिनांक: 17 जनवरी 2018




(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 22 जनवरी 2018



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**परिशिष्ट**

**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य प्रोफाइल**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)**

राज्य प्रोफाइल					
क.	सामान्य डाटा				
क्र.सं.	विवरण				आंकड़े
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.
	जनसंख्या				
2	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
4	गरीबी रेखा <sup>2</sup> से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				11.20 प्रतिशत
5	साक्षरता <sup>2</sup> (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)				75.60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर <sup>3</sup> (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=37 प्रति 1000 सजीव जन्म)				36
7	जन्म <sup>4</sup> पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=68.3 वर्ष)				69.1 वर्ष
	गिनी सहकारी कारण <sup>5</sup>				
8	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)			0.30
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)			0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2016-17 <sup>6</sup>				₹ 5,47,396 करोड़
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17)			हरियाणा	13.5 प्रतिशत
11				सामान्य श्रेणी राज्य	13.2 प्रतिशत
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17) <sup>7</sup>			हरियाणा	15.3 प्रतिशत
13				सामान्य श्रेणी राज्य	14.6 प्रतिशत
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)				15.5 प्रतिशत
15	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या <sup>8</sup> वृद्धि (2007 से 2016)				11.9 प्रतिशत
ख	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)		
	सी.ए.जी.आर		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17
			सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य
					हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का		14.58	11.74	11.52
ख	स्वयं के कर राजस्व का		14.80	13.02	13.50
ग	कर-भिन्न राजस्व का		9.45	(-) 0.87	12.10
घ	कूल व्यय का		15.84	17.92	15.31
ड	पूँजीगत व्यय का		14.53	9.16	17.91
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		16.86	17.37	9.86
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		18.43	21.36	14.92
ज	वेतन एवं मजदूरियों का <sup>9</sup>		14.89	16.31	13.06
झ	पेंशन का <sup>9</sup>		17.17	19.54	10.63
					4.54

1 जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

2 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड-II

3 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड-II

4 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड-II

5 [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf)

6 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

7 भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट।

8 वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़े 1 अगस्त 2017 को एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा जारी जी.एस.डी.पी. स्टेटमेंट। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों के जी.एस.डी.पी. आंकड़े संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त किए गए हैं।

9 1 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. वैबसाइट, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के आंकड़े संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों से प्राप्त किए गए हैं।

**परिशिष्ट 1.2**

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

**भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप**

**सरकारी लेखे का ढांचा:** राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, ब्रॉडस, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थापाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं। समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टर में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टरों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट करके की जाती है। 2016-17 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

**भाग III: लोक लेखा:** अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष है फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

**परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास**

विवरण	विन्यास
<p>वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-II में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:</p>	

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 1	<b>वित्तीय स्थिति की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरणी सं. 2	<b>प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी:</b> यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के केश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थापय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।
विवरणी सं. 3	<b>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):</b> यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 4	<b>व्यय की विवरणी (समेकित निधि):</b> वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-2 में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 5	<b>प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	<b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी:</b> सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	<b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	<b>सरकार के निवेशों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-19 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	<b>सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठा, गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-20 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	<b>सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	<b>दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	<b>राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी:</b> यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरणी सं. 13	<b>समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार:</b> यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
<b>खंड-II</b> में दो भाग शामिल हैं-भाग I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
<b>खंड-II का भाग-I</b>	
विवरणी सं. 14	<b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 15	<b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरणी सं. 16	<b>लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 17	<b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी:</b> इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्केट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठा, गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थापाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 18	<b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी भाग-I में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 19	<b>सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा इक्विटी-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 20	<b>सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 21	<b>आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 22	<b>चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
<b>खंड-II भाग-III में</b> मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर <b>13 परिशिष्ट शामिल हैं।</b> ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत हैं तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'सूचकांक' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

## परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

## राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तों हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तों हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई हैं, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग स.रा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

## चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवाह

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि}) - 1] \times 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) \times 2] \times 100$
ब्याज फैलाव	स.रा.घ.उ. वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज $[(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष}) \times 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

**परिशिष्ट 1.4**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 8)  
**राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा**

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>भाग-क प्राप्तियां</b>					
1. राजस्व प्राप्तियां	33,634	38,012	40,799	47,557	52,497
(i) कर राजस्व	23,559(70)	25,567(67)	27,635(67)	30,929 (65)	34,026 (65)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	15,377(65)	16,774(66)	18,993(69)	21,060 (68)	23,488 (69)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,236(14)	3,697(14)	3,470(13)	4,371 (14)	4,613 (13)
वाहनों पर कर	887(4)	1,095(4)	1,192(4)	1,401 (5)	1,583 (5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,326(14)	3,203(13)	3,109(11)	3,191 (10)	3,283 (10)
भू-राजस्व	13	12	15	15	16
माल एवं यात्रियों पर कर	471(2)	498(2)	527(2)	554 (2)	595 (2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	192(1)	219(1)	240(1)	257 (1)	276 (1)
अन्य कर	57	69	89	80	172
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,673(14)	4,975(13)	4,613(13)	4,753 (10)	6,196 (12)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,062(9)	3,343(9)	3,548(9)	5,496 (12)	6,597 (12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	2,340(7)	4,127(11)	5,003(13)	6,379 (13)	5,678 (11)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	11	10	19	30	26
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	349	262	273	328	973
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	33,994	38,284	41,091	47,915	53,496
5. लोक ऋण प्राप्तियां	15,213	17,604	18,859	37,998	28,170
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	15,162 (100)	17,263(98)	18,728(99)	37,901 (100)	28,047 (100)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	0	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	51	341(2)	131(1)	97	123
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	49,207	55,888	59,950	85,913	81,666
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	63	80
8. लोक लेखे प्राप्तियां	22,709	26,548	28,064	29,056	32,108
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	71,916	82,436	88,014	1,15,032	1,13,854
<b>भाग- ख व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	38,072	41,887	49,118	59,236	68,403
योजनागत	9,456(25)	10,152(24)	12,760(26)	18,561 (31)	22,119 (32)
योजनेत्तर	28,616(75)	31,735(76)	36,358(74)	40,675 (69)	46,284 (68)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	11,897(31)	13,597(32)	16,765(34)	18,713 (32)	21,631 (32)
आर्थिक सेवाएं	11,557(30)	12,740(30)	13,088(27)	18,691 (32)	20,875 (30)
सामाजिक सेवाएं	14,516(38)	15,414(37)	19,120(39)	21,539 (36)	25,473 (37)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	102	136(1)	145	293	424(1)
11. पूंजीगत व्यय	5,762	3,935	3,716	6,908	6,863
योजनागत	4,191(73)	5,067(129)	4,837(130)	6,624 (96)	6,559 (96)
योजनेत्तर	1,571(27)	(-1,132 (-29)	(-) 1,121 (-30)	284 (4)	304 (4)
सामान्य सेवाएं	251(4)	282(7)	291(8)	460 (7)	399 (6)
आर्थिक सेवाएं	4,065(71)	1,829(46)	1,527(41)	4,908 (71)	4,877 (71)
सामाजिक सेवाएं	1,446(25)	1,824(46)	1,898(51)	1,540 (22)	1,587 (23)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	522	776	843	13,250	4,515
13. कुल (10+11+12)	44,356	46,598	53,677	79,394	79,781
14. लोक ऋण के पूनर्भुगतान	5,951	7,968	8,227	7,215	5,276
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	5,825(98)	7,800(98)	8,073(98)	7,039 (98)	5,090 (96)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	126(2)	168(2)	154(2)	176 (2)	186 (4)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	50,307	54,566	61,904	86,609	85,057
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	-	63	80
18. लोक लेखे संवितरण	21,074	24,560	25,609	28,650	29,276
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	71,381	79,126	87,513	1,15,322	1,14,413

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>भाग ग-घाटा/आधिक्य</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-)4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	(-)11,679	(-)15,906
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	(-)31,479	(-)26,285
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-)5,618	(-) 2,464	(-) 5,658	(-)23,195	(-)15,743
<b>भाग-घ अन्य डाटा</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4,744	5,850	6,928	8,284	10,542
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4,648	4,540	6,106	10,766	12,647
25. अर्थापाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	347(12)	109 (4)	-	0	0
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.78	0.03	-	0	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>10</sup>	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	64,818	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	21,124	27,309	30,389	16,886	8,260
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	14	40	14	18	14
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	48	398	62.19	98.65	199.17
<b>भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
<b>I संसाधन संघटन</b>					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.068	0.064	0.063	0.064	0.062
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.009	0.008	0.008	0.011	0.012
<b>II व्यय प्रबन्ध</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.128	0.116	0.123	0.164	0.146
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.319	1.226	1.316	1.669	1.520
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.858	0.899	0.915	0.746	0.857
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.360	0.370	0.392	0.291	0.339
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.352	0.313	0.272	0.297	0.323
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.130	0.084	0.069	0.087	0.086
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.124	0.078	0.064	0.081	0.081
<b>III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्ध</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.013	-0.010	-0.019	-0.024	-0.029
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-0.030	-0.021	-0.029	-0.065	-0.048
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.016	-0.006	-0.013	-0.048	-0.029
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.428	0.466	0.661	0.371	0.605
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	-0.018	-0.016	-0.025	-0.031	-0.032
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध</b>					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.19	0.19	0.20	0.25	0.27
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.927	2.006	2.168	2.538	2.788
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर रिटर्न	7.05	6.49	5.80	15.89	5.89
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	3,741	4,406	1,161	4,510	3,614
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.75	0.74	0.68	0.67	0.62

<sup>10</sup> आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

**परिशिष्ट 1.5 भाग-क**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)  
**वर्ष 2016-17 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण					
	2015-16		2016-17	2015-16	2016-17			
					नॉन-प्लान	प्लान	कुल	
<b>भाग क: राजस्व</b>								
<b>I. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>47,556.55</b>		<b>52,496.82</b>	<b>I. राजस्व व्यय</b>	<b>59,235.70</b>	<b>46,284.16</b>	<b>22,119.27</b>	<b>68,403.43</b>
कर राजस्व	30,929.09	34,025.68		सामान्य सेवाएं	18,713.33	21,447.06	183.73	21,630.79
कर भिन्न राजस्व	4,752.48	6,196.09		सामाजिक सेवाएं	21,538.86	11,865.44	13,608.05	25,473.49
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	5,496.22	6,597.47		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	9,916.53	6,920.11	4,140.29	11,060.40
नॉन प्लान अनुदान	3,744.39	3,078.49		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,489.70	1,126.04	1,674.19	2,800.23
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	2,268.18	2,327.52		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	3,642.18	2,041.04	2,475.56	4,516.60
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	366.19	271.57		सूचना एवं प्रसारण	105.17	46.46	84.15	130.61
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	333.60	149.36	415.33	564.69
				श्रम एवं श्रम कल्याण	306.50	197.19	129.17	326.36
				समाज कल्याण एवं पोषण	4,736.56	1,376.89	4,689.36	6,066.25
				अन्य	8.62	8.35	-	8.35
				आर्थिक सेवाएं	18,690.36	12,547.72	8,327.49	20,875.21
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	2,295.14	1,004.16	1,515.24	2,519.40
				ग्रामीण विकास	1,850.67	971.46	1,920.61	2,892.07
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,405.38	1,052.18	359.54	1,411.72
				ऊर्जा	10,219.92	6,611.72	3,903.26	10,514.98
				उद्योग एवं खनिज	94.78	51.80	298.00	349.80
				परिवहन	2,595.18	2,650.55	169.29	2,819.84
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	33.53	9.61	17.08	26.69
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	195.76	196.24	144.47	340.71
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	293.15	423.94		423.94
<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा</b>	<b>11,679.15</b>		<b>15,906.61</b>	<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य</b>				
<b>योग भाग क</b>	<b>59,235.70</b>		<b>68,403.43</b>		<b>59,235.70</b>	<b>46,284.16</b>	<b>22,119.27</b>	<b>68,403.43</b>
<b>भाग ख- अन्य</b>				<b>III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट</b>				
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	6,507.52		6,217.73	IV. पूंजीगत परिव्यय	6,908.33	304.30	6,558.80	6,863.10
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29.98		26.27	सामान्य सेवाएं	460.56	399.37	399.37	399.37
				सामाजिक सेवाएं	1,539.99	1,586.41	1,586.41	1,586.41
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	202.16	141.75	141.75	141.75
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35.20	244.19	244.19	244.19
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,133.51	1,009.90	1,009.90	1,009.90
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.24	3.07	3.07	3.07
				समाज कल्याण एवं पोषण	57.45	79.39	79.39	79.39
				अन्य	109.43	108.11	108.11	108.11

प्राप्तियां			संवितरण					
	2015-16		2016-17	2015-16	2016-17			
					नॉन-प्लान	प्लान	कुल	
				आर्थिक सेवाएं	4,907.78	304.30	45,73.02	4,877.32
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	400.9	304.23	108.85	413.08
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	876.21	-	926.31	926.31
				ऊर्जा	1,597.50	-	1,894.73	1,894.73
				उद्योग एवं खनिज	0.01	-	2.20	2.20
				परिवहन	2,011.21	0.07	1,588.33	1,588.40
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	14.00	14.00
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.95	-	38.60	38.60
<b>V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां</b>	<b>328.28</b>		<b>973.23</b>	<b>V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>13,250.29</b>	<b>68.93</b>	<b>4,445.98</b>	<b>4,514.91</b>
बिजली परियोजनाओं से	61.94	68.09		बिजली परियोजनाओं हेतु	12,266.83		3,647.08	3,647.08
सरकारी कर्मचारियों से	244.48	866.64		सरकारी कर्मचारियों को	275.20	68.93	-	68.93
अन्यों से	21.86	38.50		अन्यों को	708.26	-	798.90	798.90
<b>VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया</b>	<b>11,679.15</b>			<b>15,906.61</b>
<b>VII. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>37,998.43</b>		<b>28,169.52</b>	<b>VII. लोक ऋण का पुनर्भूगतान</b>	<b>7,214.68</b>			<b>5,275.84</b>
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	37,901.19	28,046.26		अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	7,038.54	5,089.52		
अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.24	123.26		अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भूगतान	176.14	186.32		
<b>VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन</b>				<b>VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन</b>	<b>63.22</b>			<b>80.14</b>
<b>IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि</b>	<b>63.22</b>		<b>80.14</b>	<b>IX. आकस्मिक निधि से व्यय</b>				
<b>X. लोक लेखा प्राप्तियां</b>	<b>29,055.78</b>		<b>32,107.64</b>	<b>X. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>28,649.81</b>			<b>29,275.67</b>
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,967.99	3,034.08		लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,919.35	1,919.20		
आरक्षण निधियां	698.81	1,593.64		आरक्षण निधियां	1,709.62	48.91		
उचन्त एवं विविध प्रेषण	562.53	848.36		उचन्त एवं विविध प्रेषण	544.51	731.54		
निक्षेप एवं अग्रिम	7,193.95	7,134.20		डिपोजिटस एवं अग्रिम	7,213.10	7,076.54		
<b>XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट</b>	<b>17,632.50</b>	<b>19,497.36</b>		<b>XI. समाप्ति पर नकद शेष</b>	<b>17,263.23</b>	<b>19,499.48</b>		<b>5,658.26</b>
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54		
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	-733.94	426.19		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.79	3.04		
				नकद शेष निवेश	4,173.12	2,554.85		
				उद्दिष्ट निवेश	2,775.22	2,673.64		
<b>योग भाग-ख</b>	<b>73,983.21</b>		<b>67,574.53</b>	<b>योग</b>	<b>73,983.21</b>			<b>67,574.53</b>

**परिशिष्ट 1.5 भाग ख**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 29)  
**31 मार्च 2017 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 को	देयताएं	31 मार्च 2017 को
99,660.13	<b>आन्तरिक ऋण</b>	1,22,616.87
	65,818.85 व्याज युक्त बाजार ऋण	81,177.82
	2.28 व्याज रहित बाजार ऋण	2.28
	0.62 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.25
	20,587.10 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	29,132.29
	13,251.28 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	12,304.23
2,048.92	<b>केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	1,985.86
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	45.28 योजनेत्तर ऋण	43.51
	1,997.30 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,942.35
	- केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	-
	6.34 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	-
200.00	<b>आकस्मिक निधि</b>	200.00
12,206.32	<b>लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि</b>	13,321.20
6,415.60	<b>डिपोजिटस</b>	6,413.48
3,162.71	<b>आरक्षण निधियां</b>	4,707.44
-	<b>उचंत तथा विविध शेष</b>	-
124.20	<b>प्रेषण शेष</b>	181.86
<b>1,23,817.88</b>		<b>1,49,426.71</b>
31 मार्च 2016 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2017 को
59,024.03	<b>स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय</b>	65,860.86
	9,372.44 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	11,371.42
	49,651.59 अन्य पूंजीगत परिव्यय	54,489.44
17,494.30	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	21,035.98
	13,230.51 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	16,809.50
	3,414.28 अन्य विकास ऋण	4,174.68
	849.51 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	51.80
0.72	<b>अग्रिम</b>	0.72
175.97	<b>उचन्त एवं विविध शेष</b>	59.15
-	<b>प्रेषण शेष</b>	-
6,217.73	<b>नकद</b>	5,658.26
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	-733.94 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	426.19
	2.68 विभागीय नकद शेष	2.92
	0.11 स्थायी अग्रिम	0.12
	4,173.12 नकद शेष निवेश	2,554.85
	2,775.22 आरक्षण निधि निवेश	2,673.64
40,905.13	<b>सरकारी लेखाओं पर घाटा</b>	56,811.74
	11,679.15 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	15,906.61
	29,225.98 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	40,905.13
<b>1,23,817.88</b>	<b>कुल</b>	<b>1,49,426.71</b>

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए बैंक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2017 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 7.77 करोड़ (निवल जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2017)।

## परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
स्वयं का कर राजस्व	47,024	40,199.51
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4,308	8,308.45
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	51,332	48,507.96
योजनेतर राजस्व व्यय	-	48,482.76
योजनागत राजस्व व्यय	-	26,753.12
कुल राजस्व व्यय	50,334	75,235.88
वेतन		19,311.19
ब्याज भुगतान	8,934	10,490.04
पेंशन	5,445	5,640.00
सबसिडी-विद्युत	-	6,800.00
राजस्व सरप्लस (-)/घाटा (+)	(-) 8,252	(+) 12,280.35
राजकोषीय घाटा	स.रा.घ.उ. का 3.25 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 4.27 प्रतिशत
बकाया ऋण	स.रा.घ.उ. का 19.91 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 32.96 प्रतिशत (1,40,831.23)

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 26)

वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2016-17 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	39.43	11.97	2012-13
2	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	35.32	2014-15
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,859.86	247.19	2015-16
4	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,717.87	15,873.06	2015-16
5	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,065.37	13,190.61	2015-16
6	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	105.22	2015-16
7	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	12.40	2014-15
8	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.37	2015-16
9	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.54	122.76	2014-15
10	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	0.51	0.16	2015-16
11	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड	-	27.18	1997-98
12	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	1.50	2014-15
<b>कुल</b>		<b>7,903.70</b>	<b>29,627.74</b>	

## परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 27)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर बलाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2014-15	6,636.74	6,484.79	-	-	6,663.65	26.91	229.88	256.79	3.96
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़	2010-11	774.86	726.80	502.76	8.34	713.81	(-) 295.54	28.00	(-) 267.54	-
कुल			7,430.39	7,234.86	502.85	8.35	7,386.40	(-) 266.77	259.31	(-)7.46	

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 27)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,028.96 (हरियाणा का हिस्सा ₹ 787.96 करोड़)		फरवरी 2013	मार्च 2016, भूमि विवादों तथा एन.एच.ए.आई. के साथ विवादों के कारण विलंब
2.	झज्जर पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	एच.वी.पी. एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	12 मार्च 2012, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
3.	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	1,088.00	बी.ओ.टी.	-	14 नवंबर 2013, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
4.	सिकंदरपुर से सैक्टर-56 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	31 मार्च 2017, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
5.	कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,863.00	बी.ओ.टी. (वार्षिकी)	अगस्त 2016	फरवरी 2019. मानेसर-पलवल सेक्शन पूर्ण किया जा चुका है और अप्रैल, 2016 में जनता के लिए खोल दिया गया है। कुण्डली-मानेसर सेक्शन मैसर्स कुण्डली-मानेसर एक्सप्रेस-वे लिमिटेड (मैसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक) को बी.ओ.टी. (वार्षिकी) आधार पर प्रदान किया गया है। आइटम रेट मोड पर निष्पादित किया गया था और अप्रैल, 2016 में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।
6.	फरीदाबाद क्लस्टर के लिए इंटिग्रेटिड सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट (कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल) का विकास	शहरी स्थानीय निकाय	330.00	डी.बी.एफ.ओ. एंड एम.	--	परियोजना 14 अगस्त 2017 को मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान गई है। सॉलिट वेस्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन 4 माह के भीतर तथा संपूर्ण परियोजना क्षेत्र का अगले 6 माह के भीतर आरंभ हो जाएगा। अनुबंध के हस्ताक्षर की तिथि से 24 माह के भीतर पॉवर प्लांट का निर्माण होगा।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
7.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए जुलाई 2014	10 जिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और 3 जिला अस्पतालों में प्रगति पर हैं।
8.	हीमोडायलिसिस सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए दिसंबर 2015	6 जिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और 8 जिला अस्पतालों में प्रगति पर हैं।
9.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिला अस्पतालों के लिए मार्च 2016	परियोजना प्रगति पर है और नवंबर 2017 से शुरू होने की संभावना है।
10.	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका बीवन रोड (0.00 से 14.28 के.एम.) के पेवड सोल्डर सहित 2 लेनिंग का विकास	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016	--	परियोजना 12 वर्षों की रियायत अवधि के लिए 23 जून 2016 को मैसर्ज गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड गुड़गांव को दी गई है। 25 अगस्त 2017 को लगभग 92 प्रतिशत प्रगति प्राप्त कर ली गई है।
11.	1396 सरकारी आई.टी.आईज का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा	130.00	--	2007 से 2012	नए अनुमोदित आई.डी.पी. (इंस्टीट्यूट डिवेलपमेंट प्लान 2018-19) के अनुसार 2018-19
12.	मनोरंजन पार्क गुड़गांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	02 जून 2000	परियोजना का 70 प्रतिशत पूर्ण किया गया। होटल ब्लॉक का 50 प्रतिशत सितंबर 2011 में परिचालनात्मक बनाया गया।
<b>कुल</b>			<b>8,288.96</b>			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 40)

2016-17 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष	
1	06- वित्त, 2075- विविध सामान्य सेवाएं	0.31	800-अन्य व्यय, 93-आकस्मिक व्यय हेतु वित्त विभाग के पास रिजर्व	
2	14- शहरी विकास, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.92	60-अन्य शहरी विकास स्कीमें, 51-निर्माण, 92-सिंचाई हेतु प्रोत्साहन पैकेज	
3	24-सिंचाई 2700-मुख्य सिंचाई	0.30	01-बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
4		2.72	02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
5		0.22	03-गुड़गांव कैनल परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
6		0.18	04-लोहारू कैनल परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
7		0.18	05-जवाहरलाल नेहरू परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	
8		1.49	05-जवाहरलाल नेहरू परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
9		0.12	05-जवाहरलाल नेहरू परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
10		1.16	18- गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व	
11		5.07	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	
12		68.23	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
13		5.09	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
14		0.14	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 94-पेंशनरी प्रभार	
15		4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.18	13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88- पेंशनरी प्रभार
16			16.56	13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
17	86.63		13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
18	4.44		13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
19	5.90		13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
20	0.53		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	
21	2.76		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
22	0.14		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
23	0.19		14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
24	2.97		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	
25	0.57		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व	
26	0.15		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता	
27	0.20		15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
28	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.97	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
29		25.98	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
30		1.33	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
31		1.77	16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
32	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.19	06-जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
33		15.27	06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
34		1.28	06-जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
35		0.92	06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
36		0.13	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार
37		10.25	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
38		70.21	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
39		4.30	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
40		5.99	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
41		0.13	23-राज्य में जल निकायों का विकास, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
42		0.89	23-राज्य में जल निकायों का विकास, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
43		1.46	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
44		10.01	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
45		0.61	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
46		0.85	80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
47		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.15
48	9.31		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
49	72.35		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
50	3.47		01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
51	5.04	01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	
52	36 गृह, 2055-पुलिस	0.32	109-जिला पुलिस, 97-विशेष महिला पुलिस वालंटियर
53	40- एनर्जी एवं पावर, 2801- पावर	342.00	05-ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, 800-अन्य व्यय, 95-उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता, 97-एच.वी.पी.एन.एल. को सहायतानुदान
54	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम, 6801- पावर परियोजनाओं हेतु ऋण	513.00	205-ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, 92-उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को ऋण, 97-एच.वी.पी.एन.एल. को ऋण
<b>कुल</b>		<b>1,311.53</b>	

**परिशिष्ट 2.2**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 41)

**विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	4-राजस्व	1,069.65	675.21	1,744.86	1,526.06	(-) 218.80	209.82
2	6-वित्त	5,713.96	358.32	6,072.28	5,724.64	(-) 347.64	350.77
3	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	455.62	0.00	455.62	172.45	(-) 283.17	277.81
4	8-भवन एवं सड़कें	1,344.47	0.00	1,344.47	1,190.33	(-) 154.14	203.64
5	9-शिक्षा	12,865.22	912.00	13,777.22	10,340.86	(-) 3,436.36	3,437.69
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	313.13	107.65	420.78	314.94	(-) 105.84	104.88
7	13-स्वास्थ्य	3,338.69	56.78	3,395.47	2,800.09	(-) 595.38	408.73
8	15-स्थानीय शासन	3,549.11	0.00	3,549.11	2,669.34	(-) 879.77	877.09
9	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	662.52	115.96	778.48	564.69	(-) 213.79	214.88
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,096.79	20.00	1,116.79	747.91	(-) 368.88	367.22
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	368.19	453.80	821.99	706.38	(-) 115.61	115.09
12	24-सिंचाई	1,867.32	0.00	1,867.32	1,355.20	(-) 512.12	283.50
13	25-उद्योग	706.73	0.00	706.73	270.44	(-) 436.29	436.26
14	27-कृषि	1,937.05	0.00	1,937.05	1,110.14	(-) 826.91	880.26
15	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	716.29	0.00	716.29	605.46	(-) 110.83	109.92
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3,070.22	600.06	3,670.28	3,303.38	(-) 366.90	365.67
17	34-परिवहन	2,176.42	1.91	2,178.33	1,894.39	(-) 283.94	278.95
18	36-गृह	3,565.71	54.12	3,619.83	3,236.75	(-) 383.08	91.52
19	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,890.77	0.00	1,890.77	1,734.20	(-) 156.57	174.56
20	40-एनर्जी एवं पावर	10,741.66	0.00	10,741.66	10,534.65	(-) 207.01	206.86
	<b>कुल</b>	<b>57,449.52</b>	<b>3,355.81</b>	<b>60,805.33</b>	<b>50,802.30</b>	<b>(-) 10,003.03</b>	<b>9,395.12</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>							
21	8-भवन एवं सड़कें	3,609.09	112.66	3,721.75	1,996.38	(-) 1,725.37	1,776.55
22	13-स्वास्थ्य	510.00	0.00	510.00	183.80	(-) 326.20	326.20
23	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,843.87	0.00	9,843.87	7,956.32	(-) 1,887.55	2,075.03
24	34-परिवहन	260.75	0.00	260.75	111.17	(-) 149.58	149.40
25	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,217.60	34.60	1,252.20	941.70	(-) 310.50	339.62
26	45-ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,791.35	4,514.91	(-) 276.44	2,386.18
	<b>कुल</b>	<b>20,170.70</b>	<b>209.22</b>	<b>20,379.92</b>	<b>15,704.28</b>	<b>(-) 4,675.64</b>	<b>7,052.98</b>
<b>पूंजीगत (भारित)</b>							
27	लोक ऋण भारत	9,677.50	0.00	9,677.50	5,275.84	(-) 4,401.66	4,397.91
	<b>कुल</b>	<b>9,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,677.50</b>	<b>5,275.84</b>	<b>(-) 4,401.66</b>	<b>4,397.91</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>87,297.72</b>	<b>3,565.03</b>	<b>90,862.75</b>	<b>71,782.42</b>	<b>(-) 19,080.33</b>	<b>20,846.01</b>

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 43)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों में से बचतें
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	1-विधान सभा	69.72	1.96	66.12	5.56
2	3-सामान्य प्रशासन	244.23	12.93	235.37	21.79
3	5-आबकारी एवं कराधान	204.84	12.50	182.22	35.12
4	9-शिक्षा	12,865.22	912.00	10,340.86	3,436.36
5	10-तकनीकी शिक्षा	421.42	50.00	373.23	98.19
6	13-स्वास्थ्य	3,338.69	56.79	2,800.09	595.39
7	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	278.37	4.30	230.00	52.67
8	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	662.52	115.96	564.69	213.79
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,199.94	33.47	4,189.01	44.40
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,096.79	20.00	747.91	368.88
11	29-मछली पालन	47.77	4.88	44.85	7.80
12	34-परिवहन	2,176.42	1.91	1,894.39	283.94
13	36-गृह	3,565.71	54.12	3,236.75	383.08
14	37-चुनाव	50.75	4.85	44.36	11.24
15	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	86.04	2.65	58.02	30.67
16	42-न्याय प्रशासन	495.38	16.79	458.99	53.18
17	43-जेल	218.87	7.35	199.77	26.45
	<b>कुल</b>	<b>30,022.68</b>	<b>1,312.46</b>	<b>25,666.63</b>	<b>5,668.51</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
18	3-सामान्य प्रशासन	10.62	1.51	10.27	1.86
19	42-न्याय प्रशासन	114.09	2.43	106.62	9.90
	<b>कुल</b>	<b>124.71</b>	<b>3.94</b>	<b>116.89</b>	<b>11.76</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
20	8-भवन एवं सड़कें	3,609.09	112.66	1,996.38	1,725.37
21	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.92	6.00	0.92	6.00
22	35-पर्यटन	66.81	5.27	36.45	35.63
23	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,217.60	34.60	941.70	310.50
24	45-ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,514.91	276.44
	<b>कुल</b>	<b>9,623.81</b>	<b>220.49</b>	<b>7,490.36</b>	<b>2,353.94</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>39,771.20</b>	<b>1,536.89</b>	<b>33,273.88</b>	<b>8,034.21</b>

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 43)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1	1	विधान सभा	2011- संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02-स्टेट/यू.टी. विधायिका 103-विधानसभा सचिवालय 98- स्थापना व्यय	(ओ) 39.12 (एस) 1.96 (आर) 7.97 49.05	46.93	(-) 2.12
2	2	राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013- मंत्री परिषद 105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	(ओ) 95.98 (एस) 8.06 (आर) (-)5.02 99.02	97.76	(-) 1.26
3	3	सामान्य प्रशासन	2051- लोक सेवा आयोग 103- कर्मचारी चयन आयोग 99- स्थापना	(ओ) 31.02 (एस) 7.26 (आर) 0.21 38.49	35.84	(-) 2.65
4			2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं 090- सचिवालय 99- मुख्य सचिव 98- स्थापना व्यय	(ओ) 75.60 (एस) 2.31 (आर) (-)2.91 75.00	72.21	(-)2.79
5	4	राजस्व	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं 099- राजस्व बोर्ड 99- राजस्व विभाग 98 -स्थापना व्यय	(ओ) 30.25 (आर) 1.98 32.23	29.36	(-) 2.87
6			2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 01- पुनर्वास 200- अन्य राहत उपाय 99- ग्रामीण क्षेत्रों में मैनमेड/प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति हेतु वित्तीय सहायता/ग्रेच्युटी/राहत/मुआवजा	(ओ) - (एस) 11.44 (आर) 0.56 12.00	--	(-)12.00
7			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 01- सूखा 101- आनुग्रहिक राहत 98- बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 14.00 (आर) (-) 3.26 10.74	--	(-) 10.74
8			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 01- सूखा 102- पेयजल आपूर्ति 51- एन.ए.	(ओ) 15.00 (आर) (-) 1.80 13.20	7.11	(-) 6.09
9			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 98- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु सहायतानुदान	(ओ) - (आर) 5.36 5.36	2.98	(-) 2.38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
10			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99- राज्य अंशदान	(ओ) 323.00 (एस) 347.50 (आर) (-)27.25 643.25	995.21	351.96
11			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य 800- अन्य व्यय 96- पेस्ट अटैक, भू-संखलन, बादल फटने इत्यादि हेतु नकद अनुदान	(ओ) 9.05 (एस) 282.10 (आर) 28.42 319.57	25.13	(-) 294.44
12			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य 800- अन्य व्यय 99- ओलावृष्टि/शीत लहर/पाला राहत	(ओ) 60.50 (एस) 20.00 (आर) (-) 26.83 53.67	25.04	(-) 28.63
13			2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01- सिविल 101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते 51- एन.ए.	(ओ) 3,467.16 (एस) 357.90 (आर) (-) 92.54 3,732.52	3,735.82	3.30
14	7	योजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 101- नीति आयोग 98- फील्ड स्टॉफ	(ओ) 11.33 (आर) 2.25 13.58	9.58	(-) 4.00
15	8	भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053- रखरखाव एवं मरम्मत 99- रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ) 70.00 (आर) 16.28 86.28	87.79	1.51
16			3054- सड़कें एवं पुल 03- राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 51- एन.ए.	(ओ) 50.15 (आर) (-) 4.01 46.14	47.29	1.15
17			3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 98- ग्रामीण सड़कें	(ओ) 528.15 (आर) (-) 62.77 465.38	470.22	4.84
18			3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 99- जिला सड़कें	(ओ) 40.11 (आर) (-) 7.64 32.47	39.81	7.34
19			3054- सड़कें एवं पुल 80-सामान्य 797- रिजर्व फंड/डिपोजिट अकाउंट को/से हस्तांतरण 99- सी.आर.एफ. से हस्तांतरण-अन्तः लेखा हस्तांतरण	(ओ) 100.00 (आर) (-) 4.18 95.82	167.34	71.52
20			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 140.00 (आर) (-) 102.28 37.72	38.88	1.16

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
21			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 64- एम.एल.ए. फ्लैटस का निर्माण	(ओ) 17.00 (आर) (-) 10.60 6.40	7.70	1.30
22			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98- न्याय प्रशासन	(ओ) 51.70 (आर) (-)13.45 38.25	39.71	1.46
23			4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा 99- कालेज भवन	(ओ) 112.50 (आर) (-) 15.57 96.93	98.10	1.17
24			4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 101 आयुर्वेद 92- सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों का निर्माण/मरम्मत	(ओ) 0.40 (आर) (-) 0.40	1.71	1.71
25			4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02- सामाजिक कल्याण 101- दिव्यांगों का कल्याण 98- जी.आई.बी. पानीपत (लड़के/लड़कियां)	(ओ) 9.00 (आर) (-) 7.11 1.89	3.12	1.23
26			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 98-अनुसूचित जाति विंगों के लिए प्रशिक्षण भवन	(ओ) 17.50 (आर) 9.85 27.35	24.44	(-) 2.91
27			4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 94-औद्योगिक प्रशिक्षणों के विकास की मूलभूत संरचना का सृजन	(ओ) 42.00 (आर) (-) 7.38 34.62	39.82	5.20
28			5054-सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 101- पुल 81- हरियाणा राज्य में पुल का निर्माण 99- राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) (-) 5.71 9.29	16.40	7.11
29			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 337-सड़क कार्य 88- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण 99- राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सड़कीकरण/चौड़ीकरण एवं संधार	(ओ) 140.00 (आर) (-) 60.15 79.85	91.25	11.40

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
30			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 101- पुल 84 हरियाणा राज्य में पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण 99- राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	(ओ) 100.00 (आर) (-) 43.08 56.92	69.74	12.82
31			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा विशेष मरम्मत 98- नाबाई अंशदान	(ओ) 124.00 (आर) (-) 48.25 75.75	81.45	5.70
32			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 99- अनुसंधान (सी.एच.)	(ओ) 25.00 (आर) 8.00 33.00	34.98	1.98
33	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक स्कूल 98-मिडल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII 98-स्थापना व्यय	(ओ) 2,638.43 (आर) (-) 451.32 2,187.11	2,188.44	1.33
34	10	तकनीकी शिक्षा	2203- तकनीकी शिक्षा 102- तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता 95- ग्राम दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी	(ओ) - (एस) 5.00 (आर) 1.50 6.50	1.50	(-).50
35			2203- तकनीकी शिक्षा 102- तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता 96- स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एवं विजुअल आर्ट्स रोहतक	(ओ) 10.00 (एस) 10.00 (आर) 10.00 30.00	20.00	(-).10.00
36			2203- तकनीकी शिक्षा 102- तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता 99- गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार	(ओ) 10.00 (एस) 35.00 (आर) 35.00 80.00	45.00	(-).35.00
37	14	स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 97- स्थानीय निकाय (चुनाव)	(ओ) 0.96 (आर) 0.90 1.86	0.77	(-) 1.09
38	15	स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास 80-सामान्य 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता 92-नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 286.00 (आर) (-) 196.58 89.42	87.91	(-) 1.51

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
39	17	रोजगार	2230- श्रम रोजगार एवं स्किल विकास 02-रोजगार सेवाएं 101- रोजगार सेवाएं 92- रोजगार कार्यालय हेतु स्टॉफ तथा शिक्षित युवाओं को बेरोजगार भत्ता	(ओ) 63.88 (आर) (-)12.98 50.90	49.81	(-)1.09
40	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	2230- श्रम रोजगार एवं स्किल विकास 003- क्राफ्टसमेन एवं सुपरवाईजरो का प्रशिक्षण 99- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	(ओ) 104.08 (आर) (-) 13.49 90.59	88.96	(-)1.63
41	20	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02- सामाजिक कल्याण 001- निदेशन एवं प्रशासन 99- मुख्यालय हेतु स्टॉफ (एस.जे.ई) 98- स्थापना व्यय	(ओ) 6.74 (आर) 1.25 7.99	5.73	(-) 2.26
42			2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 102-सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत पेंशन 99- जिला स्तर पर वृद्धों, शारीरिक रूप से अक्षमों तथा परित्यक्त महिलाओं एवं विधवा स्टॉफ को पेंशन 98- स्थापना व्यय	(ओ) 18.56 (आर) (-) 1.22 17.34	15.90	(-) 1.44
43	21	महिला एवं बाल विकास	2236- पोषण 02- पोषक खाद्य एवं बेव्रेजिज का संवितरण 101- विशेष पोषण कार्यक्रम 95- पूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 252.00 (आर) (-) 145.98 106.02	104.97	(-) 1.05
44	23	खाद्य आपूर्ति	4408-स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद एवं आपूर्ति 98-प्रभार्य स्थापना लागत	(ओ) 157.36 (आर) (-) 18.86 138.50	326.61	188.11
45	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 23.71 (आर) (-)3.70 20.01	1.17	(-)18.84
46			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 92.42 (आर) (-)15.01 77.41	5.13	(-)72.28
47			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 3.15 (आर) (-)0.91 2.24	0.22	(-) 2.02
48			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 47.75 (आर) (-)10.13 37.62	4.17	(-)33.45

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
49			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 351.50 (आर) (-) 62.19 289.31	35.14	(-)254.17
50			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 23.07 (आर) (-) 5.14 17.93	1.74	(-)16.19
51			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 36.00 (आर) (-) 1.34 34.66	117.28	82.62
52			2700-मुख्य सिंचाई 04-लोहारू कैनाल परियोजना 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 29.00 (आर) (-)5.41 23.59	18.81	(-)4.78
53			2700-मुख्य सिंचाई 05-जवाहर लाल नेहरू परियोजना 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 180.00 (आर) (-)45.41 134.59	55.53	(-)79.06
54			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 48.26 (आर) (-)6.67 41.59	10.49	(-)31.10
55			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.70 (आर) (-)1.67 3.03	0.56	(-)2.47
56			2700- मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ) 4.93 (आर) (-)1.49 3.44	0.90	(-)2.54
57			2700- मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 37.25 (आर) (-)7.41 29.84	7.87	(-)21.97
58			2700-मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, परिचालन एवं रखरखाव	(ओ) 55.00 (आर) (-)2.77 52.23	115.39	63.16

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
59			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99-कैनाल नेटवर्क का पुनरुद्धार-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों एवं पुनरुद्धार में सुधार	(ओ) 47.00 (आर) (-)1.07 45.93	31.64	(-)14.29
60			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 134.00 (आर) (-)22.85 111.15	117.80	6.65
61			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 14- दादपुर नलवी सिंचाई परियोजना 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 3.50 (आर) (-)0.17 3.33	4.42	1.09
62			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15-चैनलों की लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-बी.एम.एल. की भण्डारण क्षमता	(ओ) 7.00 (आर) (-)0.95 6.05	4.70	(-)1.35
63			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों एवं पुनरुद्धार में सुधार	(ओ) 35.00 (आर) (-)14.11 20.89	7.05	(-)13.84
64			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 35.00 (आर) (-)10.56 24.44	37.77	13.33
65			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए जल के समान वितरण हेतु नई माईनर में सुधार	(ओ) 5.00 (आर) (-)1.94 3.06	1.18	(-)1.88
66			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार	(ओ) 69.50 (आर) (-)22.45 47.05	30.18	(-)16.87

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
67			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800-अन्य व्यय 98- नाबार्ड-कैनाल का निर्माण	(ओ) 80.50 (आर) (-)25.55 54.95	62.47	7.52
68			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 23- राज्य में जल निकायों का विकास 800-अन्य व्यय 98-कैनाल का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-)7.78 2.22	1.17	(-)1.05
69			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201- ड्रेनेज एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 98- शहरी स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य	(ओ) 20.00 (आर) (-) 1.29 18.71	30.49	11.78
70			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए बाढ़ सुरक्षा, पुनर्निर्माण एवं आपदा प्रबंधन	(ओ) 40.00 (आर) (-) 1.95 38.05	14.11	(-) 23.94
71	27	कृषि	2401- फसल पालन 109- विस्तारण एवं किसान प्रशिक्षण 80- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु स्कीम	(ओ) 390.00 (आर) (-)272.56 117.44	170.18	52.74
72			2401- फसल पालन 119- बागवानी एवं सब्जी फसल 69- राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु स्कीम	(ओ) 141.90 (आर) (-) 39.29 102.61	99.64	(-)2.97
73	30	वन एवं वन्यजीवन	2406- वानिकी एवं वन्यजीवन 01- वानिकी 001- निदेशन एवं प्रशासन 98- सर्कल/डिवीजनल स्टॉफ	(ओ) 93.74 (आर) (-)12.57 81.17	79.42	(-)1.75
74	34	परिवहन	3055- सड़क परिवहन 201- हरियाणा रोड़वेज 98- बी-आपरेशनज	(ओ) 1,624.27 (आर) (-)221.57 1,402.70	1,400.97	(-) 1.73
75	36	गृह	2055-पुलिस 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण 99-उपकरण की खरीद	(ओ) 40.00 (एस) 1.29 (आर) (-)12.85 28.44	27.15	(-)1.29
76			4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207- राज्य पुलिस 99- कार्यालय भवन	(ओ) 116.65 (आर)(-) 105.04 11.61	16.61	5.00
77	38	जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001- निदेशन एवं प्रशासन 97- कार्यकारी अभियंता एवं उनकी स्थापना	(ओ)123.26 (आर)(-) 21.04 102.22	95.78	(-) 6.44
78			2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 713.40 (आर) (-)41.20 672.20	688.77	16.57

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
79			4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02- सीवरेज एवं सेनीटेशन 101- शहरी स्वच्छता सेवाएं 94- सीवरेज एवं सेनीटेशन	(ओ) 281.52 (आर) (-) 76.07 205.45	234.95	29.50
80	42	न्याय प्रशासन	2014-न्याय प्रशासन 105- सिविल एवं सेशन कोर्ट 97-सबोर्डिनेट जजिज	(ओ) 163.17 (एस) 0.75 (आर) (-) 15.98 147.94	146.33	(-) 1.61
81	43	जेलें	2056- जेल 101- जेलें 99- बोस्टल इंस्टीट्यूट एवं जुवेनाइल जेल सहित केंद्रीय जिला जेलें	(ओ) 208.33 (एस) 4.10 (आर) (-) 21.70 190.73	188.30	(-) 2.43
82	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801-पावर परियोजनाओं हेतु ऋण 205- ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन 92-उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को ऋण 99- यू.एच.बी.वी.एन.एल. को ऋण	(ओ) 2,115.00 (आर) (-) 2,053.83 61.17	1,801.42	1,740.25
83			7610- गवर्नमेंट सर्वेट इत्यादि को ऋण 800- अन्य अग्रिम 98- त्योहार अग्रिम	(ओ) 7.00 (आर) (-) 7.00 --	9.91	9.91
84			7610- गवर्नमेंट सर्वेट इत्यादि को ऋण 800- अन्य अग्रिम 99- खाद्य अनाजों की खरीद हेतु अग्रिम	(ओ) 50.00 (आर) (-) 50.00	50.70	50.70
<b>कुल</b>				<b>13,394.97</b>	<b>15,105.83</b>	<b>(-) 1,063.26</b> <b>(+) 2,774.12</b>

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	35	(+) 2,774.12
विनियोजन में से बचत (-)	49	(-) 1,063.26
<b>कुल</b>	<b>84</b>	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 29, 30, 64, 69 तथा 78	5	65.90
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 6, 7, 45, 50, 57, 59, 63, 66 तथा 70	9	148.68
<b>कुल</b>	<b>14</b>	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 10, 19, 44, 51, 58, 71, 79, 82 तथा 84	9	2,630.56
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 11, 12, 36, 46, 48, 49, 53 तथा 54	8	828.13
<b>कुल</b>	<b>17</b>	

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 43)

मार्च 2017 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	3-सामान्य प्रशासन	244.23	12.93	257.16	235.37	(-) 21.79	15.12
2	4-राजस्व	1,069.65	675.21	1,744.86	1,526.06	(-) 218.80	209.82
3	5-आबकारी एवं कराधान	204.84	12.50	217.34	182.22	(-) 35.12	32.59
4	6-वित्त	5,713.96	358.32	6,072.28	5,724.64	(-) 347.64	350.77
5	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	455.62	0.00	455.62	172.45	(-) 283.17	277.81
6	8-भवन एवं सड़कें	1,344.47	0.00	1,344.47	1,190.33	(-) 154.14	203.64
7	9-शिक्षा	12,865.22	912.00	13,777.22	10,340.86	(-) 3,436.36	3,437.69
8	10-तकनीकी शिक्षा	421.42	50.00	471.42	373.23	(-) 98.19	42.52
9	11-खेल एवं युवा कल्याण	313.13	107.65	420.78	314.94	(-) 105.84	104.88
10	13-स्वास्थ्य	3,338.69	56.78	3,395.47	2,800.09	(-) 595.38	408.73
11	14-शहरी विकास	97.20	0.00	97.20	84.73	(-) 12.47	10.93
12	15-स्थानीय शासन	3,549.11	0.00	3,549.11	2,669.34	(-) 879.77	877.09
13	16-श्रम	52.54	0.00	52.54	42.19	(-) 10.35	10.38
14	17-रोजगार	70.72	0.00	70.72	54.60	(-) 16.12	15.03
15	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	278.37	4.30	282.67	230.00	(-) 52.67	50.97
16	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	662.52	115.96	778.48	564.69	(-) 213.79	214.88
17	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,199.94	33.47	4,233.41	4,189.01	(-) 44.40	39.25
18	21-महिला एवं बाल विकास	1,096.79	20.00	1,116.79	747.91	(-) 368.88	367.22
19	22-एक्स-सर्विसमेन का कल्याण	94.20	23.64	117.84	105.59	(-) 12.25	11.44
20	23- खाद्य एवं आपूर्ति	368.19	453.80	821.99	706.38	(-) 115.61	115.09
21	24-सिंचाई	1,867.32	0.00	1,867.32	1,355.20	(-) 512.12	283.50
22	25-उद्योग	706.73	0.00	706.73	270.44	(-) 436.29	436.26
23	27-कृषि	1,937.05	0.00	1,937.05	1,110.14	(-) 826.91	880.26
24	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	716.29	0.00	716.29	605.46	(-) 110.83	109.92
25	30-वन एवं वन्यजीवन	382.33	0.00	382.33	284.38	(-) 97.95	94.41
26	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3,070.22	600.06	3,670.28	3,303.38	(-) 366.90	365.67

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
27	34-परिवहन	2,176.42	1.91	2,178.33	1,894.39	(-) 283.94	278.95
28	36-गृह	3,565.71	54.12	3,619.83	3,236.75	(-) 383.08	91.52
29	37-चुनाव	50.75	4.85	55.60	44.36	(-) 11.24	10.88
30	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,890.77	0.00	1,890.77	1,734.20	(-) 156.57	174.56
31	40-एनर्जी एवं पावर	10,741.66	0.00	10,741.66	10,534.65	(-) 207.01	206.86
32	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	86.04	2.65	88.69	58.02	(-) 30.67	30.47
33	42-न्याय प्रशासन	495.38	16.79	512.17	458.99	(-) 53.18	49.91
34	43-जेलें	218.87	7.35	226.22	199.77	(-) 26.45	23.97
35	44-प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	39.40	0.00	39.40	28.79	(-) 10.61	10.61
	<b>कुल</b>	<b>64,385.75</b>	<b>3,524.29</b>	<b>67,910.04</b>	<b>57,373.55</b>	<b>(-) 10,536.49</b>	<b>9,843.60</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>							
36	6-वित्त	10,510.04	0.00	10,510.04	10,581.31	71.27	562.77
	<b>कुल</b>	<b>10,510.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,510.04</b>	<b>10,581.31</b>	<b>71.27</b>	<b>562.77</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>							
37	8-भवन एवं सड़कें	3,609.09	112.66	3,721.75	1,996.38	(-) 1,725.37	1,776.55
38	13-स्वास्थ्य	510.00	0.00	510.00	183.80	(-) 326.20	326.20
39	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	47.00	0.00	47.00	30.01	(-) 16.99	16.99
40	21-महिला एवं बाल विकास	110.70	0.00	110.70	73.33	(-) 37.37	37.20
41	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,843.87	0.00	9,843.87	7,956.32	(-) 1,887.55	2,075.03
42	24-सिंचाई	655.50	0.00	655.50	832.49	176.99	172.54
43	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	15.00	0.00	15.00	0.17	(-) 14.83	14.83
44	34-परिवहन	260.75	0.00	260.75	111.17	(-) 149.58	149.40
45	35-पर्यटन	66.81	5.27	72.08	36.45	(-) 35.63	35.63
46	36-गृह	226.40	0.00	226.40	210.59	(-) 15.81	20.81
47	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,217.60	34.60	1,252.20	941.70	(-) 310.50	339.62
48	40-एनर्जी एवं पावर	1,933.51	0.00	1,933.51	1,908.73	(-) 24.78	24.78
49	45-ऋण एवं अग्रिम	4,729.39	61.96	4,791.35	4,514.91	(-) 276.44	2,386.18
	<b>कुल</b>	<b>23,225.62</b>	<b>214.49</b>	<b>23,440.11</b>	<b>18,796.05</b>	<b>(-) 4,644.06</b>	<b>7,375.76</b>
<b>पूंजीगत (भारित)</b>							
50	लोक ऋण भारित	9,677.50	0.00	9,677.50	5,275.84	(-) 4,401.66	4,397.91
	<b>कुल</b>	<b>9,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,677.50</b>	<b>5,275.84</b>	<b>(-) 4,401.66</b>	<b>4,397.91</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>1,07,798.91</b>	<b>3,738.78</b>	<b>1,11,537.69</b>	<b>92,026.75</b>	<b>(+) 248.26</b> <b>(-) 19,759.20</b>	<b>22,180.04</b>

## परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 44)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2017 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013-मंत्री परिषद	126.92	69.42	54.70	47.63	37.53
2	04-राजस्व	2705- कमांड एरिया डिवेलपमेंट	49.10	27.63	56.27	19.91	40.55
3	06-वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएं	39.40	39.40	100.00	39.40	100.00
4	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	154.92	119.68	77.25	79.91	51.58
5	08-भवन एवं सड़क	4202-शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	141.75	72.37	51.05	47.44	33.47
6	15-स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास	2,668.90	1487.93	55.75	937.08	35.11
7	17-रोजगार	2230-श्रम, रोजगार तथा स्किल डिवेलपमेंट	54.60	28.64	52.45	16.81	30.79
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.01	21.23	70.74	20.26	67.51
9	23-खाद्य एवं आपूर्ति	3456-सिविल आपूर्ति (आई)	149.39	147.37	98.65	147.30	98.60
10	25-उद्योग	2852-उद्योग	32.88	16.37	49.79	7.77	23.63
11	26-खदान तथा भू-विज्ञान	2853-अलोह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	24.29	16.17	66.57	14.31	58.91
12	27-कृषि	2401-फसल पालन	742.96	380.55	51.22	262.57	35.34
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2505-ग्रामीण रोजगार	218.78	166.97	76.32	23.44	10.71
14		3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	423.95	423.72	99.95	249.34	58.81
15	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	92.77	60.17	64.86	58.97	63.57
16	37-चुनाव	2015-चुनाव	44.36	22.85	51.51	19.53	44.03
17	40-एनर्जी एवं पावर	2810-गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	13.51	10.65	78.83	9.94	73.58
18		5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00
कुल			5,022.49	3,125.12	62.22	2,015.61	40.13

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

वर्ष 2016-17 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैंट	51	0.71
2.	भिवानी	301	2.30
3.	चण्डीगढ़	13	0.05
4.	फरीदाबाद	67	1.00
5.	फतेहाबाद	3	1.27
6.	गुरुग्राम	78	2.62
7.	हिसार	170	2.47
8.	जगाधरी	34	0.36
9.	झज्जर	9	0.02
10.	जींद	7	0.03
11.	कैथल	11	0.07
12.	करनाल	244	3.50
13.	कुरुक्षेत्र	7	0.33
14.	नारनौल	52	0.28
15.	नूंह	22	0.36
16.	पानीपत	55	0.43
17.	पंचकुला	57	0.23
18.	रेवाड़ी	94	0.83
19.	रोहतक	29	0.36
20.	सिरसा	26	0.93
21.	सोनीपत	28	0.34
<b>कुल</b>		<b>1,358</b>	<b>18.49</b>

## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
1	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	20.00	-	-
2	मछली पालन	राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड	1.00	-	-
3	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	6.00	-	-
4	सिंचाई	एस.वाई.एल. परियोजना का कार्य (कैनाल का निर्माण) (हरियाणा का हिस्सा)	5.00	-	-
5		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	10.00	-	-
6		कैनाल का निर्माण हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट	20.00	-	-
7	उद्योग	बृहद एवं मध्यम उद्योग: निर्यात के लिए मूलभूत संरचना के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	30.00	-	-
8	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग	राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य स्ट्रेटजिक सांख्यिकीय योजना (एस.एस.एस.पी.) - स्थापना व्यय	15.00	-	-
9	पर्यटन	हरियाणा में वन्य जीव पर्यटन का विकास (एस.जे.एस.)	2.00	-	-
10	तकनीकी शिक्षा	एकीकृत स्किल डिवेलपमेंट स्कीम	4.93	-	-
11	चिकित्सा शिक्षा	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	10.00	-	-
12	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	अनुसूचित जातियों एवं अन्यो के लिए मूलभूत संरचना का विकास	1.20	-	-
13	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	सोसाइटियों को सहायतानुदान	15.00	-	-
14	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	रोजगार भवन का निर्माण	1.40	-	-
15	अन्य सामान्य सेवाएं (आबकारी एवं कराधान)	आबकारी एवं कराधान कार्यालय, पंचकूला में कर अनुसंधान यूनिट की स्थापना	2.00	-	-
		<b>कुल</b>	<b>143.53</b>	-	-

**परिशिष्ट 2.9**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	बागवानी	बाजार मध्यस्थता एवं मूल्य स्थिरीकरण (एस.जे.एस.) हेतु नई प्लान स्कीम	51.50	0.01
2	वन	हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन	20.00	17.67
3	सहकारिता	पावर कोजेनेरेशन तथा इथानल प्लांट (एस.जे.एस.) की स्थापना	5.00	1.00
4		एन.सी.डी.सी. की केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत स्कीम के अंतर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	5.00	1.00
5	पंचायतें	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (आर.जी.पी.एस.वाई.)	33.00	15.00
6	उद्योग	एम.एस.एम.ई. हेतु कोलेटेरल फ्री क्रेडिट गारंटी स्कीम (एस.जे.एस.)	100.00	0.01
7		राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	1.00	0.30
8	माध्यमिक शिक्षा	एस.सी.एस.पी. स्कीमों के लिए आपरेटरों को मानदेय	1.40	0.40
9	पुरातत्व	भवन (पुरातत्व)	20.00	5.00
10		राज्य पुरातत्त्वीय संग्राहलय की स्थापना	2.00	0.56
11	तकनीकी शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (iv) बहुतकनीकी संस्थान में महिला हॉस्टलों का निर्माण	5.00	1.00
12	चिकित्सा शिक्षा	नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, भिवानी (एस.जे.एस.)	50.00	0.01
13		नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, जींद (एस.जे.एस.)	25.00	0.01
14		नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, पंचकूला (एस.जे.एस.)	25.00	0.01
15	स्वास्थ्य	बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना	10.00	2.00
16	आयुष	भवन का निर्माण (एस.जे.एस.)	5.00	0.05
17	शहरी स्थानीय निकाय	सेटेलाईट एवं काउंटर मैग्नेट टाऊनस का विकास	6.20	1.20
18	औद्योगिक प्रशिक्षण	आई.टी.आईज का श्रेष्ठता केंद्रों में उन्नयन	1.24	0.04
19	एवं व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आईज में आतिथ्य शिक्षा (100%)	1.10	1.06
		<b>कुल</b>	<b>367.44</b>	<b>46.33</b>

## परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	फसल पालन	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (कृषि)	2.50	2.50
2	वन	एस.एफ.डी.ए. द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	15.00	15.00
3	सहकारिता	मार्केटिंग को-ऑपरेटिवस की शेयर पूंजी को सरकारी अंशदान	1.00	1.00
4	ग्रामीण विकास	सांसद आदर्श ग्राम योजना	2.00	2.00
5	नवीकरण ऊर्जा	एस.सी. परिवारों के लिए आई.ए.वाई परिवारों हेतु शिक्षादीप स्कीम/सोलर सिस्टम	1.50	1.50
6	उद्योग	हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की दर पर एक बारगी छूट की प्रतिपूर्ति	1.00	1.00
7	पर्यटन	डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास: (i) राज्य में पर्यटक स्थलों पर मल्टीमीडिया/लेजर शो का विकास	2.00	2.00
8		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (iii) यमुनानगर-पंचकूला के लिए मूलभूत संरचना विकास - मेगा सर्किट के रूप में पौंटा साहिब	1.00	1.00
9		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (iv) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना विकास-मुख्य सर्किट के रूप में पंचकूला	1.00	1.00
10		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (v) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना विकास-मुख्य सर्किट के रूप में हिसार	2.00	2.00
11		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (vi) स्वदेश दर्शन स्कीम हेतु परियोजना (एस.जे.एस.)	20.00	20.00
12		डेस्टीनेशनज एवं सर्किटस के लिए मूलभूत संरचना विकास : (vii) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना विकास-मुख्य सर्किटों के रूप में पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर	1.00	1.00
13		माध्यमिक शिक्षा	वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च स्कूलों में पृथक गर्ल्स टॉयलेट्स/हैंडपंपस का निर्माण (नाबाई)	6.81
14	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	1.00	1.00
15	चिकित्सा शिक्षा	मेवात चिकित्सा कॉलेज, नल्हर	80.00	80.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
16	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संस्थानों एवं एच.एम.आई.एस. की गुणवत्ता सुधार हेतु एच.एस.एच.आर.सी. को सहायतानुदान (एस.जे.एस.)	26.21	26.21
17		राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	33.00	33.00
18	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी: उचंत (स्टॉक)	5.00	5.00
19	शहरी स्थानीय निकाय	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण	35.00	35.00
20	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	द्वारका से इफको चौक, गुडगांव तक मेट्रो लिंक	5.00	5.00
21	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	ओ.बी.सी. बालकों एवं बालिकाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण (50:50)	5.00	5.00
22		डी.एन.टीज के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (75:25)	2.50	2.50
23		हॉस्टलों के निर्माण हेतु नानाजी देशमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (75:25)	4.00	4.00
24		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कियों के लिए) (100%)	5.00	5.00
25		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	1.00	1.00
26		ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (100%)	30.00	30.00
27		अनुसूचित जातियों की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (100%)	5.00	5.00
28	श्रम	फरीदाबाद में लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए प्लॉट की खरीद	2.00	2.00
		<b>कुल</b>	<b>296.52</b>	<b>296.52</b>

## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	अनुमोदित आउटले की प्रतिशतता
1	फसल पालन	किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवाएं	1.81	2.00	1.43	79
2		मृदा एवं जल संरक्षण: मृदा स्वास्थ्य कार्डस स्कीम (राज्य का हिस्सा)	5.02	5.42	3.47	69
3	भू-अभिलेख	मुख्यालय स्टॉफ भू-अभिलेख कृषीय जनगणना	1.09	1.10	0.83	76
4	नवीकरण ऊर्जा	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उन्नयन	13.81	32.94	9.95	72
5	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण (एम.डी.आर.)	15.00	16.40	9.29	62
6	माध्यमिक शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) तथा नेशनल स्किलस क्वालिफिकेशनज फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.)	419.48	450.00	191.94	46
7	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण	2.79	3.44	2.12	76
8	खेल	स्पोर्ट्स अवार्ड्स एवं इनसेंटिव स्कीम	2.00	2.10	1.30	65
9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (iv) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी डब्ल्यू.क्यू.डब्ल्यू.एस.)	3.00	3.60	1.83	61
10		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (v) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (समर्थन गतिविधियां)	5.00	5.60	2.49	50
11	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	एच.एस.सी.एफ.एंड डी. कार्पोरेशन को शेयर पूंजी	1.30	2.55	0.96	74
12		पी.सी.आर. एक्ट, 1955 का कार्यान्वयन (ii) मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय हेतु प्रोत्साहन	3.95	4.00	2.40	61
13	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	74.70	75.26	50.93	68
14	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग (ख) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग	17.25	17.41	11.90	69
15		राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एस.पी.आई.यू.)- स्थापना	3.00	3.78	1.76	59
<b>कुल</b>			<b>569.20</b>	<b>625.60</b>	<b>292.60</b>	<b>51</b>

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1	फसल पालन	हरियाणा किसान आयोग	2.07	1.82	1.33	73
2		कपास की खेती का उन्नयन	3.43	3.00	1.93	64
3		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	400.00	360.00	160.41	45
4		राष्ट्रीय ऑयलसीड तथा ऑयल पॉम मिशन	23.00	16.60	5.01	30
5		कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-विस्तार एवं प्रौद्योगिकी	40.00	19.00	7.06	37
6		कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-अनुसूचित जातियों के लिए विस्तार एवं प्रौद्योगिकी				
7		प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (एस.जे.एस.)	300.00	175.00	101.35	58
8	बागवानी	मृदा एवं जल संरक्षण: सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (राज्य का हिस्सा) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के रूप में नाम बदला गया	10.00	9.60	2.48	26
9		बागवानी निदेशालय की स्थापना	2.90	2.55	1.17	46
10		बागवानी-जैव प्रौद्योगिकी	3.51	3.06	1.16	38
11	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	बागवानी सृष्टीकरण	6.75	6.45	5.10	79
12		आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत राज्य में पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना का सृष्टीकरण	15.00	5.00	0.17	3
13	वन	पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना	40.00	35.00	20.00	57
14		वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं निपटान	3.00	1.50	1.00	67
15	वन (मृदा एवं जल संरक्षण)	एकीकृत वन संरक्षण	3.00	2.04	0.90	44
16	सहकारिता	प्रशिक्षण, विशेष स्थलों के वनीकरण हेतु वाटरशेड आधार पर मृदा संरक्षण	16.60	5.00	3.36	67
17		अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सबसिडी	1.00	0.50	0.19	38
18	ग्रामीण विकास	क) सामान्य लोअर क्लास सोसाइटियों को सहायता (i) लोअर क्लास सोसाइटियों को शेयर पूंजी (ii) लोअर क्लास सोसाइटियों को ऋण (ख) अनुसूचित जाति की लोअर क्लास सोसाइटियों को सहायता (i) लोअर क्लास सोसाइटियों को शेयर पूंजी (ii) लोअर क्लास सोसाइटियों को ऋण	1.00	0.35	0.23	66
19	ग्रामीण विकास	एकीकृत वाटर शैड प्रबंध कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	100.00	21.37	13.41	63
20	सामुदायिक विकास	ग्रामीण विकास हेतु गांव के युवा वालंटियरों के बीच जागरूकता। अब आई.टी. प्लान सहित ग्रामीण विकास तरुण	10.20	3.40	0.32	9
21	सिंचाई	वाटर कोर्सिज का पुनरुद्धार: (i) राज्य में एस.सी. जनसंख्या के लिए वाटर कोर्सिज के निर्माण कार्यों तथा पुनर्वास में सुधार (ii) कैनाल का निर्माण	70.00	60.00	45.33	76
22		जल के सामान वितरण हेतु नई माईनरों का निर्माण: (i) राज्य में एस.सी. जनसंख्या के लिए जल के सामान वितरण हेतु नई माईनर में सुधार (ii) कैनाल का निर्माण	15.00	14.93	9.56	64
22		राज्य में जल निकायों का विकास	10.00	5.00	2.22	44

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
23	उद्योग	एण्टरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत उद्योग के विकास हेतु प्रोत्साहन (एस.जे.एस.)	250.00	40.00	23.98	60
24		खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन	12.00	6.00	4.10	68
25	सिविल एविएशन	हिसार में एकीकृत एविएशन हब (एस.जे.एस.)	50.00	15.00	1.33	9
26	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	(i) राज्य स्कीम हेतु सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन	140.00	132.00	79.85	60
27		राज्य स्कीम के अंतर्गत पुल एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण (ओ.डी.आर.)	100.00	76.00	56.92	75
28		नाबार्ड सहायतित परियोजना: नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत पुल एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22.00	14.50	8.89	61
29		एन.सी.आर. ऋण: एन.सी.आर. स्कीम हेतु सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन	358.75	70.60	49.10	70
30	सड़क	एक्विजिशन ऑफ फ्लीट	163.55	100.00	13.59	14
31	परिवहन	रेगुलेटरी विंग: रेगुलेटरी विंग का भूमि एवं भवन कार्यक्रम	20.00	7.90	3.15	40
32	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायतानुदान: विज्ञान प्रचार/बढ़ावा कार्यक्रम	1.22	0.64	0.40	63
33	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग	सचिवालय आर्थिक सेवाएं: राज्य स्तर पर प्लानिंग मशीनरी का सुदृढीकरण इनटर्नशिप एवं कंसल्टेंट्स का कार्यान्वयन (एस.जे.एस.)	1.98	0.75	0.54	72
34	पर्यटन	जिला/उप-मंडल स्तर पर तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों/स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास	15.00	13.32	9.96	75
35		सामान्य घटक	240.00	180.00	88.45	49
36		एस.सी.एस.पी. घटक	160.00	120.00	54.61	46
37	प्राथमिक शिक्षा	बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति (I-VIII)	19.00	10.00	4.99	50
38	माध्यमिक शिक्षा	प्रशासनिक स्टॉफ - डी.ई.ओ. स्थापना (फील्ड स्टॉफ)	5.16	4.56	3.19	70
39		9 से 12 तक की कक्षाओं में बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति	12.00	7.00	4.78	68
40		अन्य स्थापनाओं सहित टीचिंग स्टॉफ - (iv) सरकारी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में इयूल डैस्क का प्रावधान	35.00	15.00	5.00	33
41		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (एस.सी.एस.पी.)	156.00	150.00	50.23	33
42		स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (आई.सी.टी.)	150.00	26.98	9.70	36
43		शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण तथा उन्हें चलाना	24.00	11.62	0.08	1
44		टीचर्स ट्रेनिंग तथा ऑडिट शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहायता (ii) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ब्लॉक संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.)	3.06	2.52	0.79	31
45	उच्चतर शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.)	166.00	100.00	11.51	12

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
46	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	5.00	0.10	0.06	60
47		भवन (सिविल कार्य):(क) पोलीटेकनिक्स भवन (राज्य प्लान) (ख) भवन (अभियांत्रिकी कॉलेज) (ग) पोलीटेकनिक्स में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए हॉस्टलों का निर्माण	75.00	42.00	26.04	62
48		तकनीकी शिक्षा परियोजना फेस- IV	28.00	18.00	11.19	62
49	चिकित्सा शिक्षा	राज्य में टेल स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना, रोहतक	3.20	2.40	1.74	73
50		कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा कॉलेज, करनाल (एस.जे.एस.)	300.00	222.00	102.82	46
51	स्वास्थ्य	चिकित्सा तथा पैरा- चिकित्सा स्टॉफ हेतु प्रशिक्षण/इंडक्शन तथा प्रमोशनल प्रशिक्षण फैकल्टी	4.00	2.75	1.56	57
52	आयुष	सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी/ड्रग टेस्टिंग लैब, कुरुक्षेत्र तथा आई.एस.एम.आर. संस्थान, पंचकुला की निरंतरता/सुधार	5.96	5.91	4.44	75
53		सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पतालों के भवन का निर्माण	9.20	2.50	1.50	60
54		जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय)	2.61	2.44	0.89	36
55	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी:एन.सी.आर.	155.00	55.00	41.34	75
56		शहरी: विशेष घटक सब-प्लान: (iii) शहरी क्षेत्र में एस.सी. बहुल निवास स्थलों को सीवरेज सुविधाएं	9.00	7.55	5.96	79
57		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (vi) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. - आपदाएं	5.00	4.15	2.54	61
58	पुलिस	कार्यालय भवन / भूमि	116.65	27.67	11.61	42
59		पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	40.00	36.50	24.42	67
60	शहरी स्थानीय निकाय	राज्य के एम.सीज में चौपालों/ सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन की स्कीम	10.00	8.00	6.00	75
61		प्रधान मंत्री आवास योजना (सब के लिए आवास)	66.65	51.65	15.02	29
62		स्वच्छ भारत मिशन	165.00	125.00	90.17	72
63		अमरूत	440.00	390.00	101.76	26
64	पोषण	पूरक पोषण कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस. में)	302.50	164.00	125.99	77
65		इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	28.00	6.82	2.70	40
66	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	नई आई.टी.आईज के निर्माण हेतु नई स्कीम (एस.जे.एस.)	28.00	23.00	10.44	45
67	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी (मशीनरी)	5.80	0.30	0.13	43
68	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	जिला प्रशासन	140.00	105.00	37.72	36
		<b>कुल</b>	<b>5,125.75</b>	<b>3,158.30</b>	<b>1,494.87</b>	<b>47</b>

## परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vi); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध ए.ई. की प्रतिशतता
1	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	330.00	222.30	325.46	146
2	शिवालिक विकास बोर्ड	शिवालिक क्षेत्र में एस.सी. के विकास हेतु सहायतानुदान	2.64	2.40	3.21	134
3	उद्योग	एण्टरप्राइजिज प्रोमोशन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत मूलभूत संरचना का विकास (एस.जे.एस.)	250.00	176.00	250.00	142
4	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	आवास स्कीम (iii) लोक निर्माण	12.00	5.00	6.03	121
5	प्राथमिक शिक्षा	शिक्षा का अधिकार अधिनियम	110.95	50.00	62.65	125
6	पुलिस	सड़क सुरक्षा निधि	15.07	10.07	14.06	140
		<b>कुल</b>	<b>720.66</b>	<b>465.77</b>	<b>661.41</b>	<b>142</b>

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
1	फसल पालन	कृषीय विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	6.70	4.86	73
2		गन्ने पर प्रौद्योगिकी मिशन	5.00	1.77	35
3		किसानों के समूह तथा एस.सी. श्रेणी के किसानों को सबसिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदानकरना	2.00	0.50	25
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	40.00	17.19	43
5		कृषीय यंत्रावली का प्रस्तुतिकरण	6.00	1.04	17
6		बायो-गैस प्लांटों की स्थापना (100%)	2.51	1.77	71
7		मृदा एवं जल संरक्षण: जल बचत प्रौद्योगिकी पर सहायता प्रदानकरना	9.95	4.17	42
8	बागवानी	अच्छी कृषि प्रथाएं तथा फलों एवं सब्जियों पर कीटनाशक अवशेषों का प्रभाव	1.05	0.82	78
9		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	177.10	120.24	68
10	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	राष्ट्रीय लाइवस्टॉक मिशन	5.00	1.01	20
11		नमूना सर्वेक्षण हेतु स्कीम-दूध, अण्डा, ऊन एवं मीट के उत्पादन का अनुमान	1.55	1.08	70
12	वन (वन्य जीवन संरक्षण)	वन्य जीवन निवास स्थानों का एकीकृत विकास	2.50	1.65	66
13		अभ्यारणों का सुदृढीकरण, विस्तार एवं सुधार	4.50	0.60	13
14	सहकारिता	सहकारिता विभाग का कंप्यूटरीकरण	1.50	0.41	27
15	ग्रामीण विकास	ग्राम सेविकाओं को वेतन	2.60	1.82	70
16		सब के लिए आवास (आई.ए.वाई.)	150.00	93.19	62
17		राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन	30.00	19.82	66
18		प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	2.00	1.32	66
19	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम: सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण तथा मॉडर्न रिकार्ड रूम	16.14	0.78	5
20		राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम - भू-अभिलेख का कंप्यूटरीकरण	2.69	0.80	30
21	पंचायतें	विकास कार्यों के लिए मैचिंग ग्रांट स्कीम	2.50	1.43	57
22		राजस्व अर्जन स्कीम हेतु ग्राम पंचायत को ऋण	1.50	0.39	26
23	मेवात विकास बोर्ड	मेवात क्षेत्र के एस.सीज के एकीकृत विकास हेतु सहायतानुदान	3.10	0.23	7
24	सिंचाई	(ग) पंपों तथा नए पंपों की क्षमता का सुधार करना	5.00	2.04	41
25		हांसी ब्रांच के साथ बी.एम.एल. की लिंकिंग	1.00	0.19	19
26		स्थापना: (ii) विशेष राजस्व	17.04	13.53	79
27		स्थापना: (iv) अधीक्षण अभियंता	14.57	11.02	76
28	कमांड एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी	कैनाल क्षेत्र हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रम	205.00	105.00	51

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
29	उद्योग	एम.एस.एम.ई. क्लस्टर डिवेलपमेंट प्रोग्राम	2.00	0.60	30
30	खदान एवं भू-विज्ञान	खदान एवं खनिजों का विकास- स्थापना व्यय	1.20	0.37	31
31	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य प्लान	38.60	22.63	59
32	सिविल एविएशन	एयरोड्रोमज का रखरखाव	20.00	8.61	43
33		स्पेयर पार्ट्स, एयर क्राफ्ट्स एवं अन्य उपकरणों की खरीद, एयरफ्रेमज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ओवरहालिंग वर्कशाप	4.16	0.89	21
34	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	न्याय प्रशासन	60.00	25.97	43
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	एच.ए.आर.एस.ए.सी. को सहायतानुदान	4.20	3.27	78
36	पर्यावरण	गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान (एस.जे.एस.)	2.00	1.51	76
37	पर्यटन	डेस्टीनेशनज एवं सर्किट्स के लिए मूलभूत संरचना विकास : (ii) पर्यटकों के लिए मूलभूत संरचना का विकास महेंद्र-माधोगढ़ डेस्टीनेशन के रूप में	2.00	0.57	29
38	प्राथमिक शिक्षा	सुविधाओं का विस्तार कक्षाएं I-V (फुल टाइम): (i) प्राइमरी स्कूलों का पूर्ण रूप से प्राइमरी स्कूलों में उन्नयन (ii) स्कूलों में क्लीन एंड हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करना	197.00	131.42	67
39		कक्षा VI में एस.सी. छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	6.00	2.19	37
40		कक्षा I-VIII के एस.सी. विद्यार्थियों के लिए नकद पुरस्कार	85.00	66.31	78
41		मिड डे मील स्कीम (प्राइमरी एवं मिडल शिक्षा में)	310.90	225.64	73
42		माध्यमिक शिक्षा	प्रशासनिक स्टॉफ - सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)	4.85	2.59
43	माध्यमिक शिक्षा	बुक बैंक/लाइब्रेरी	1.00	0.71	71
44		माध्यमिक स्कूलों भवन	25.00	13.41	54
45		कक्षा 9 <sup>th</sup> - 12 <sup>th</sup> में एस.सी. विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल	12.00	8.43	70
46	उच्चतर शिक्षा	स्कालरशिपस (कॉलेज)	2.20	1.40	64
47		कॉलेज स्तर तथा निदेशालय स्तर पर विमेन सैल की स्थापना	1.50	1.11	74
48		सरकारी कॉलेज में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए विशेष घटक (i) सरकारी कॉलेज में सभी एस.सी. विद्यार्थियों को वजीफा	60.00	43.17	72
49		सरकारी कॉलेज में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए विशेष घटक (ii) सरकारी कॉलेज में एस.सी. विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना	10.00	7.32	73
50	खेल	मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, राई में पूंजीगत कार्य	10.00	2.26	23
51		युवा विकास	3.35	2.33	70
52		मास पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट स्कीम	1.10	0.30	27
53		मूलभूत संरचना स्कीम	19.30	12.71	66
54		पंचायती युवा क्रिडा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) (100%)	14.30	0.66	5
55	चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, हरियाणा के कार्यालय की स्थापना	5.16	3.87	75

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
56	स्वास्थ्य	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पूंजीगत स्वास्थ्य आऊटले (स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण)	50.00	9.05	18
57		उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./ सी.एम.सी./दवाओं की खरीद तथा पी.एच.सी./सी.एच.सीज के लिए सामग्री	8.50	4.45	52
58		निदेशालय स्तर एवं जिला स्तर पर कंप्यूटर सैल (आई.टी.)	1.68	0.87	52
59		डी-एडीक्शन सेंटरों का सुदृढीकरण	2.20	1.51	69
60		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	500.00	392.75	79
61		गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना (आरोग्य कोष)	1.10	0.75	68
62	आयुष	आई.एस.एम. एंड आर., पंचकुला के सरकारी संस्थान तथा संस्थान के कंपस में आयुर्वेद निदेशालय के भवन का निर्माण	3.50	0.94	27
63	कर्मचारी राज्य बीमा	जिला स्टॉफ - स्थापना व्यय	8.70	6.60	76
64	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	ग्रामीण:विशेष घटक सब-प्लान (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बहुल निवास स्थलों को जलापूर्ति	25.00	10.79	43
65		ग्रामीण: जलापूर्ति की वृद्धि	225.00	167.55	74
66		शहरी: भूमि की वार्षिकी	4.00	2.86	72
67		शहरी: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का संस्थागत सुदृढीकरण	3.00	2.18	73
68		शहरी: आई.ई.सी. गतिविधियां	1.00	0.72	72
69	शहरी स्थानीय निकाय	स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकाय को अंशदान- नगर निगम	286.00	89.42	31
70		प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाणिज्यिक संपत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु स्कीम	77.00	60.83	79
71		राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	41.00	26.79	65
72	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना	30.00	16.19	54
73		बी.सी. विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (50:50)	6.00	3.79	63
74		एस.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (100%)	200.00	101.23	51
75		स्किल डिवेलपमेंट कार्यक्रम- अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न क्षेत्र	12.00	3.00	25
76	श्रम	श्रम विभाग का कंप्यूटरीकरण (आई.टी.)	2.00	1.47	74
77		फरीदाबाद, गुरुग्राम में लेबर कोर्ट काम्प्लेक्स का निर्माण	3.50	1.91	55
78	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राज्य स्तर परियोजना/विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए होम,रोहतक (सिरतार)	3.25	2.16	66
79	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	6.13	4.65	76
80		घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा	1.50	0.92	61
81		ए.डब्ल्यू.सीज के निर्माण हेतु नाबार्ड ऋण	28.50	19.79	69
82		जे.जे. एक्ट के अंतर्गत होमज का निर्माण	7.00	2.51	36

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
83		वालंटरी सेंक्टर का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र तथा स्टाइपेंडरी स्कीमें) - बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण सहित विशिष्ट हेतु अन्य सरकारी तथा सरकारी समर्थनप्राप्त एन.जी.ओज पर्पज महिला संघ को सहायतानुदान	14.00	6.00	43
84		आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (उडीशा परियोजना)	5.00	2.71	54
85		बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	10.00	3.06	31
86	पोषण	किशोरी शक्ति योजना	4.75	3.12	66
87		किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	28.26	9.85	35
88	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक	एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को स्किल प्रशिक्षण (ग) एस.सी. विद्यार्थियों के लिए स्किल प्रशिक्षण	5.90	2.25	38
89	शिक्षा	स्किल डिवेलपमेंट इनिशिएटिव (100%)	6.00	0.19	3
90		विशेष केंद्रीय सहायता सिस्टम के अंतर्गत एस.सी., एस.टी. के लिए विशेष प्रशिक्षण संचालित करना (100%)	1.00	0.27	27
91	खाद्य एवं आपूर्ति	टी.पी.डी.एस. का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	8.00	1.62	20
92	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	न्याय प्रशासन	30.00	17.03	57
93	अन्य सामान्य सेवाएं (खजाना एवं लेखा)	मुख्यालय स्टॉफ - सूचना प्रौद्योगिकी	1.50	0.95	63
		<b>कुल</b>	<b>3,273.29</b>	<b>1,981.65</b>	<b>61</b>

**परिशिष्ट 2.15**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1	फसल पालन	मक्खी पालन	-	1.40	1.08	77
2	तकनीकी शिक्षा	ग्राम दुधोला, जिला पलवल में विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी	-	5.00	1.50	30
3		सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, नीलोखेड़ी की स्थापना	-	2.38	1.55	65
4	पुलिस	विशेष महिला पुलिस वालंटियर	-	1.29	0.32	25
5		क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.)		25.85	5.48	21
		<b>कुल</b>		<b>35.92</b>	<b>9.93</b>	<b>28</b>

## परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ix); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आऊटले
1	वन	ससटेनेबल कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि-वानिकी (एन.एम.एस.ए.)	5.83
2	ग्रामीण विकास	श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	54.60
3	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	आवास स्कीम (iv) सब-डिवीजन स्तर पर आवासीय काम्प्लेक्स/ट्रांजिट फ्लैट्स (एस.जे.एस.)	10.00
4	स्वास्थ्य	स्वर्ण जयंती योजना का कार्यान्वयन	14.90
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी: ग्रामीण तथा शहरी जलापूर्ति तथा सीवरेज कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजा	8.95
6	पुलिस	पुलिस कार्मिकों के लिए योग प्रशिक्षण	1.73
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)	7.30
8		एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन सुगम्य भारत अभियान (एस.आई.पी.डी.ए.)	6.00
9	अन्य सामान्य सेवाएं (गृह)	सिविल डिफेंस का पुनरूद्धार	2.45
		कुल	111.76

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय
1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान	2.20	4.07	0.00
		कुल	2.20	4.07	0.00

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (xi); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1	मछली पालन	18 जिलों में मछली किसान विकास एजेंसी हेतु स्कीम	4.00	12.09	7.10	59
2	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	1.80	2.06	1.62	79
3	सामुदायिक विकास	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	125.00	193.61	114.65	59
4	सड़क परिवहन	सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं रेगुलेटरी विंग का कंप्यूटरीकरण	3.00	11.10	6.85	62
5	पर्यटन	प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण/उन्नयन राज्य होटल मैनेजमेंट संस्थान (एस.जे.एस.)	3.77	5.51	4.03	73
6	प्राथमिक शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	786.00	850.00	652.85	77
7	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक स्तर पर अशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)	3.01	15.00	6.18	41
8	पुरातत्व	प्राचीन स्मारक स्थलों की सुरक्षा/संरक्षण विकास	1.44	2.14	1.53	71
9	खाद्य एवं औषध प्रशासन	स्थापना	3.48	4.00	3.08	77
10	आयुष	सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथिक डिस्पेंसरीयों के भवन का निर्माण/मरम्मत	0.40	4.64	1.79	39
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (ii) मरुस्थल विकास कार्यक्रम	33.30	54.00	30.08	56
12		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.): (iii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान के अंतर्गत डी.डी.पी.	11.70	19.00	10.36	55
13	शहरी स्थानीय निकाय	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायतानुदान	7.00	19.00	13.75	72
14	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	पी.सी.आर. एक्ट, 1955 का कार्यान्वयन (iii) अत्याचारों के शिकार को वित्तीय राहत	4.00	6.00	4.30	72
15	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	7.50	27.50	7.50	27
16	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आईज का विकास	110.00	147.51	112.18	76
17	खाद्य एवं आपूर्ति	दाल रोटी स्कीम	160.00	270.50	191.73	71
		<b>कुल</b>	<b>1,265.40</b>	<b>1,643.66</b>	<b>1,169.58</b>	<b>71</b>

## परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 48)

पूर्वानुमानित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई
	1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)
1	खेल कोचिंग केंपों की स्थापना (2204-001-98)	9.84	8.10	1.74	1.37	0.37
2	खेल निदेशालय के लिए आवश्यक स्टाँफ की नियुक्ति (2204-001-99)	7.88	6.99	0.89	0.5	0.39
3	राष्ट्रीय कैडेट कोर पर व्यय (2204-102-99)	15.21	12.31	2.9	2.73	0.17
4	खेल नर्सरी (2204-104-69)	1.22	0.94	0.28	0.27	0.01
5	नई कोचिंग स्कीम (2204-104-98)	1.46	1.26	0.2	0.19	0.01
	<b>कुल (राजस्व)</b>	<b>35.61</b>	<b>29.60</b>	<b>6.01</b>	<b>5.06</b>	<b>0.95</b>

**परिशिष्ट 2.19**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iv); पृष्ठ 48)

**पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	खेल कोचिंग कैंपों की स्थापना (2204-001-98)	2016-17	9.84	8.10	1.74	18
		2015-16	10.60	7.86	2.74	26
		2014-15	12.26	9.21	3.05	25
2	डी.एच.ई हरियाणा में एन.सी.सी. सैल खोलना (2204-102-93)	2016-17	0.75	0.21	0.54	72
		2015-16	1.00	0.09	0.91	91
		2014-15	2.00	0.32	1.68	84
3	फील्ड स्टॉफ (2204-102-94)	2016-17	0.90	0.03	0.87	97
		2015-16	0.90	0.00	0.90	100
		2014-15	6.00	1.31	4.69	78
4	भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा 7:5 के अनुपात पर एन.एस.एस. स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को सहायतानुदान (2204-102-96)	2016-17	2.00	0.00	2.00	100
		2015-16	3.30	0.00	3.30	100
		2014-15	3.00	1.72	1.28	43
5	वार्षिक कैडेट कैंपों पर व्यय (2204-102-98)	2016-17	1.31	1.06	0.25	19
		2015-16	1.46	1.13	0.33	23
		2014-15	1.25	0.88	0.37	29
6	सूचना सिस्टम स्कीम का आधुनिकीकरण (2204-104-53)	2016-17	0.70	0.58	0.12	18
		2015-16	0.50	0.18	0.32	63
		2014-15	1.00	0.70	0.30	30
7	मास पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट (2204-104-55)	2016-17	1.10	0.30	0.80	73
		2015-16	1.30	0.77	0.53	40
		2014-15	1.00	0.68	0.32	32
8	मानव संसाधन विकास स्कीम (2204-104-56)	2016-17	42.25	27.05	15.20	36
		2015-16	31.12	19.84	11.28	36
		2014-15	18.00	11.27	6.73	37
9	मूलभूत संरचना स्कीम (2204-104-57)	2016-17	5.30	0.00	5.30	100
		2015-16	5.00	0.00	5.00	100
		2014-15	7.75	3.00	4.75	61
10	गहन प्रशिक्षण स्कीम (2204-104-89)	2016-17	0.02	0.01	0.01	50
		2015-16	0.05	0.00	0.05	100
		2014-15	0.05	0.00	0.05	100
11	कैश अवार्ड्स (2204-104-93)	2016-17	0.20	0.13	0.07	33
		2015-16	0.65	0.18	0.47	73
		2014-15	0.30	0.15	0.15	50
12	खेल के मैदानों का रख-रखाव (2204-104-94)	2016-17	0.12	0.06	0.06	50
		2015-16	0.18	0.05	0.13	73
		2014-15	0.15	0.12	0.03	20

## परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (v); पृष्ठ 49)

2016-17 के दौरान अनुदान संख्या 11 (खाद्य एवं आपूर्ति) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह का व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता		
1	एस.बी.-91 हिसार में नई गर्ल्स एन.सी.सी. बटालियन खोलना	0.63	0.25	40	0.16	25
2	एस.बी.-93 डी.एच.ई हरियाणा में एन.सी.सी. सैल खोलना	0.21	0.07	32	0.03	14
3	एस.बी.-94 फील्ड स्टॉफ	0.03	0.03	100	0.02	67
4	एस.बी.-47 खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन	58.90	17.67	30	15.92	27
5	एस.बी.-48 पंचायती युवा क्रीड़ा तथा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)	0.66	0.66	100	0.66	100
6	एस.बी.-51 राज्य खेल परिषद स्कीम	1.00	1.00	100	1.00	100
7	एस.बी.-54 युवा विकास स्कीम	2.33	1.08	46	0.35	15
8	एस.बी.-56 मानव संसाधन विकास स्कीम	27.05	13.85	51	11.90	44
9	एस.बी.-57 मूलभूत संरचना स्कीम	105.48	57.04	54	40.18	38
10	एस.बी.-69 खेल नर्सरी	0.94	0.44	47	0.38	40
11	एस.बी.-86 खेल उपकरण स्कीम	14.99	4.49	30	4.49	30
12	एस.बी.-89 गहन प्रशिक्षण स्कीम	0.01	0.01	100	0.01	100
13	एस.बी.-94 खेल के मैदानों का रख-रखाव	0.06	0.04	67	0.02	33
14	एस.बी.-96 स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप	0.15	0.15	100	0.15	100
15	एस.बी.-97 खेल परिषद सहायतानुदान	0.06	0.06	100	0.06	100
16	एस.बी.-99 अनुसूचित जातियों के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	12.71	4.09	32	3.60	28
17	एस.बी.-96 खेल एवं उपकरण का प्रावधान तथा स्कूलों में खेल के मैदानों का विकास	3.50	1.65	47	0.45	13
	<b>कुल</b>	<b>228.71</b>	<b>102.58</b>	<b>45</b>	<b>79.38</b>	<b>35</b>

**परिशिष्ट 2.21**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 49)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	मूल बजट	पुनर्विनियोजन
1	2225-01-277-70	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	5.00	5.00
2	2225-01-277-84	गर्ल्ज ब्वायज हॉस्टल	1.00	1.00
3	2225-01-793-78	अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मूलभूत संरचना विकास कार्यक्रम	1.20	1.20
4	2225-01-793-80	अनुसूचित जातियों के 50% से अधिक बाहुल्य वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	5.00	5.00
5	2225-03-277-91	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स (डी.एन.टीज) हेतु डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	2.50	2.50
6	2225-03-277-92	ओ.बी.सी. ब्वायज तथा गर्ल्ज के लिए हॉस्टल का निर्माण	5.00	5.00
7	2225-03-277-93	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	30.00	30.00
8	4225-03-800-99	हॉस्टलों के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख स्कीम	4.00	4.00
		<b>कुल</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>

## परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 49)

पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए बच्चों को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु स्टॉफ (2225-01-001-96)	2016-17	1.49	0.98	0.51	34
		2015-16	1.61	0.98	0.63	39
		2014-15	1.37	0.91	0.46	34
2.	अनुसूचित जातियों के परीक्षार्थियों के लिए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (2225-01-001-97)	2016-17	1.45	1.06	0.39	27
		2015-16	1.56	1.01	0.55	35
		2014-15	1.30	1.05	0.25	19
3.	जिला स्टॉफ (2225-01-001-98)	2016-17	26.32	21.01	5.31	20
		2015-16	27.77	19.49	8.28	30
		2014-15	23.16	18.83	4.33	19
4.	मुख्यालय स्टॉफ: स्थापना व्यय (2225-01-001-99)	2016-17	7.06	5.81	1.25	18
		2015-16	5.55	4.01	1.53	28
		2014-15	5.42	3.64	1.78	33
5.	जिला स्टॉफ (2225-01-102-97)	2016-17	0.90	0.54	0.36	41
		2015-16	1.10	0.56	0.54	49
		2014-15	1.20	0.81	0.39	33
6.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (2225-01-277-70)	2016-17	5.00	0.00	5.00	100
		2015-16	3.00	2.00	1.00	33
		2014-15	2.00	0.00	2.00	100
7.	अनुसंधान तथा अध्ययन (2225-01-277-72)	2016-17	0.30	0.06	0.24	80
		2015-16	0.10	0.09	0.01	10
		2014-15	0.12	0.00	0.12	100
8.	एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों की मैरिट का उन्नयन (2225-01-277-80)	2016-17	0.15	0.07	0.08	53
		2015-16	0.10	0.07	0.03	30
		2014-15	0.15	0.07	0.08	53
9.	गर्ल्ज ब्वॉयज हॉस्टल (2225-01-277-84)	2016-17	1.00	0.00	1.00	100
		2015-16	0.95	0.00	0.95	100
		2014-15	2.00	0.00	2.00	100
10.	एस.सी. विद्यार्थियों को उच्चतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता (2225-01-277-88)	2016-17	0.50	0.40	0.10	20
		2015-16	0.50	0.00	0.50	100
		2014-15	3.50	0.00	3.50	100
11.	अनुसूचित जातियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (2225-01-277-99)	2016-17	313.87	238.99	74.88	24
		2015-16	388.12	176.31	211.81	55
		2014-15	129.76	109.18	20.58	16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
12.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (अनुसूचित जातियों के लिए आवास स्कीम) (2225-01-283-99)	2016-17	40.00	10.00	30.00	75
		2015-16	40.00	6.57	33.43	84
		2014-15	40.00	28.84	11.16	28
13.	अनुसूचित जातियों के 50% से अधिक बाहुल्य वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम (2225-01-793-80)	2016-17	5.00	0.00	5.00	100
		2015-16	5.00	0.00	5.00	100
		2014-15	5.00	0.00	5.00	100
14.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में नाम बदला गया (2225-01-800-82)	2016-17	100.00	80.18	19.82	20
		2015-16	89.84	67.17	22.67	25
		2014-15	75.00	65.71	9.29	12
15.	अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन- मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना के रूप में नाम बदला गया (2225-01-800-89)	2016-17	3.95	2.40	1.55	39
		2015-16	2.00	1.80	0.20	10
		2014-15	2.00	1.25	0.75	38
16.	कानूनी सहायता (2225-01-800-90)	2016-17	0.06	0.02	0.04	67
		2015-16	0.06	0.02	0.04	67
		2014-15	0.06	0.02	0.04	67
17.	ओ.बी.सी. ब्वायज तथा गर्ल्स के लिए हॉस्टल का निर्माण (2225-03-277-92)	2016-17	5.00	0.00	5.00	100
		2015-16	5.00	0.00	5.00	100
		2014-15	4.80	0.00	4.80	100
18.	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (2225-03-277-93)	2016-17	37.36	5.12	32.24	86
		2015-16	35.56	11.78	23.78	67
		2014-15	12.36	4.11	8.25	67
19.	हरियाणा राज्य वित्त विकास निगम को प्रोत्साहन गतिविधियों, वसूली एवं मूल्यांकन हेतु 1% एवं 3% की दर पर शेयर पूंजी एवं मैचिंग असिस्टेंस (4225-01-190-99)	2016-17	1.30	0.96	0.34	26
		2015-16	1.96	1.00	0.96	49
		2014-15	1.96	0.00	1.96	100
20.	कल्याण भवन का निर्माण (4225-01-800-99)	2016-17	5.00	0.86	4.14	83
		2015-16	0.40	0.00	0.40	100
		2014-15	0.01	0.00	0.01	100

## परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (v); पृष्ठ 49)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह का व्यय
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	एस.बी.-99 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए स्टॉफ	1.38	0.70	51	0.62
2	एस.बी.-99 मुख्यालय स्टॉफ (स्थापना व्यय)	5.81	1.87	32	1.20
3	एस.बी.-97 अनुसूचित जातियों के परीक्षार्थियों के लिए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	1.06	0.33	31	0.17
4	एस.बी.-97 जिला स्टॉफ	0.54	0.24	44	0.12
5	एस.बी.-88 एस.सी. विद्यार्थियों को उच्चतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता.	0.40	0.40	100	0.40
6	एस.बी.-99 डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना	10.00	10.00	100	10.00
7	एस.बी.-82 इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में नाम बदला गया	80.18	33.87	42	17.73
8	एस.बी.-77 डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना	16.19	8.70	54	2.96
9	एस.बी.-99 मुख्यालय स्टॉफ (सूचना प्रौद्योगिकी)	0.20	0.12	60	0.12
10	एस.बी.-73 कंप्यूटर के माध्यम से एस.सी./बी.सी. बेरोजगार युवाओं के टाईपिंग एंड डाटा एण्ट्री स्किल का उन्नयन	0.46	0.13	28	0.11
11	एस.बी.-80 महान संतों की जयंतियां मनाना- डॉ. बी.आर. अंबेडकर, गुरु रविदास, महर्षि बाल्मिकी तथा संत कबीर दास की जयंतियां	0.29	0.29	100	0.29
12	एस.बी.-95 पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	3.84	2.26	59	2.26
13	एस.बी.-90 कानूनी सहायता	0.02	0.01	50	0.01
14	एस.बी.-89 अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन	2.40	0.86	36	0.50
15	एस.बी.-85 अत्याचारों के शिकार को वित्तीय राहत	4.30	1.35	31	1.32
16	एस.बी.-88 पंचायतों को उनके बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार	0.48	0.39	81	0.31
17	एस.बी.-87 डिबेट्स एंड सेमिनार्ज ऑन रीमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी	0.05	0.03	60	0.03
18	एस.बी.-84 स्कीमों का प्रचार	0.20	0.17	85	0.16
19	एस.बी.-99 अनुसूचित जातियों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप	125.23	84.22	67	67.43
20	एस.बी.-99 पारंपरिक स्कीमों जैसे डेयरी, सूअरपालन तथा अन्य स्कीमों के लिए सबसिडी	7.39	4.89	66	0.00
21	एस.बी.-99 हरियाणा राज्य वित्त विकास निगम को प्रोत्साहन गतिविधियों, वसूली एवं मूल्यांकन हेतु 1% एवं 3% की दर पर शेयर पूंजी एवं मैचिंग असिस्टेंस	0.96	0.96	100	0.96
22	एस.बी.-98 भूमिहीन हरिजनों को निवास स्थलों के आबंटन हेतु भूमि का अधिग्रहण (आर.ई.वी.)	1.14	1.14	100	0.00
	<b>कुल</b>	<b>262.52</b>	<b>152.93</b>	<b>58</b>	<b>106.70</b>

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2017 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग (2852)	2011-12	13	6.77	2	0.02	0	0.00	2	0.02
		2012-13	32	10.74	2	0.01	0	0.00	2	0.01
		2013-14	49	20.04	6	8.47	3	4.69	3	3.78
		2014-15	184	39.39	12	12.92	5	2.91	7	10.01
		2015-16	28	31.02	28	31.02	7	3.65	21	27.36
2	पुलिस (2055)	2014-15	4	68.00	4	68.00	3	48.00	1	20.00
		2015-16	3	65.17	3	65.17	2	35.33	1	29.84
3	वानिकी एवं वन्यजीव (2406)	2015-16	1	2.89	1	2.89	0	0.00	1	2.89
4	पशुपालन (2403)	2014-15	18	81.55	6	2.12	3	2.00	3	0.12
		2015-16	43	82.77	43	82.77	13	70.86	30	11.91
5	ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत (2810)	2015-16	5	1.21	5	1.21	2	1.15	3	0.06
6	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)	2013-14	15	10.75	1	3.49	0	0.00	1	3.49
		2014-15	33	43.71	23	30.12	13	14.07	10	16.06
		2015-16	355	50.55	355	50.55	311	29.12	44	21.43
7	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2014-15	349	61.91	57	9.14	56	9.01	1	0.13
		2015-16	130	124.02	130	124.02	46	79.87	84	44.15
8	सामान्य शिक्षा (2202)	2013-14	150	677.49	1	2.69	0	0.00	1	2.69
		2014-15	739	1,382.54	13	33.73	5	32.72	8	1.01
		2015-16	1,063	1,542.62	1,063	1,542.62	1,003	760.36	60	782.26
9	ग्रामीण विकास (2505 एवं 2515)	2008-09	69	412.16	2	0.40	0	0.00	2	0.40
		2009-10	68	366.26	11	98.90	1	80.00	10	18.90
		2010-11	48	267.83	13	51.58	0	0.00	13	51.58
		2011-12	442	808.23	109	315.83	5	13.57	104	302.26
		2012-13	401	961.88	231	501.61	89	175.11	142	326.50
		2013-14	410	1,353.50	215	788.37	37	142.76	178	645.61
		2014-15	4,036	1,525.02	370	1,218.53	154	381.72	216	836.81
		2015-16	3,893	1,547.46	3,893	1,547.46	3,517	292.82	376	1,254.64
10	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2014-15	79	52.04	2	8.34	0	0.00	2	8.34
		2015-16	103	64.19	103	64.19	40	10.19	63	54.00
11	शहरी विकास (2217)	2011-12	64	894.67	4	12.53	2	2.66	2	9.87
		2012-13	96	1,274.01	53	868.22	6	7.96	47	860.26
		2013-14	73	1,120.80	48	1,004.01	4	43.31	44	960.70
		2014-15	87	1,115.43	74	988.64	1	30.00	73	958.64
		2015-16	122	1,478.70	122	1,478.70	10	58.50	112	1,420.20

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
12	सहकारिता (2425)	2015-16	18	108.12	18	108.12	17	106.51	1	1.61
13	फसल पालन (2401)	2015-16	7	130.73	7	130.73	5	109.07	2	21.66
14	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2015-16	17	24.67	17	24.67	16	24.51	1	0.16
15	मछली पालन (2405)	2014-15	42	2.16	5	0.09	0	0.00	5	0.09
		2015-16	64	3.89	64	3.89	35	2.94	29	0.95
16	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2012-13	28	17.41	1	10.50	0	0.00	1	10.50
		2013-14	23	18.11	1	10.50	0	0.00	1	10.50
		2015-16	52	21.94	52	21.94	41	12.34	11	9.60
17	सूचना एवं प्रचार (2220)	2014-15	23	15.89	16	12.26	9	7.62	7	4.64
		2015-16	42	9.08	42	9.08	9	1.73	33	7.35
18	इकोलोजी एवं पर्यावरण (3435)	2012-13	6	1.22	6	1.22	3	0.26	3	0.96
		2013-14	5	1.17	5	1.17	1	0.22	4	0.95
		2014-15	12	2.17	12	2.17	2	0.39	10	1.78
		2015-16	8	2.15	8	2.15	1	0.40	7	1.75
19	संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका (2011)	2015-16	1	0.35	1	0.35	0	0.00	1	0.35
20	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2015-16	2	1.16	2	1.16	0	0.00	2	1.16
21	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार (2408)	2015-16	1	0.43	1	0.43	0	0.00	1	0.43
22	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2015-16	5	0.57	5	0.57	0	0.00	5	0.57
23	एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2015-16	1,119	74.42	1,119	74.42	1,108	73.14	11	1.28
24	सिविल एविएशन (3053)	2015-16	4	0.40	4	0.40	2	0.11	2	0.29
25	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	7	3.51	1	0.17	6	3.34
26	कमांड एरिया डिवेलपमेंट (2705)	2015-16	21	212.59	21	212.59	6	110.51	15	102.08
27	परिवार कल्याण (2211)	2015-16	17	0.69	17	0.69	6	0.12	11	0.57
28	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (2415)	2015-16	11	318.67	11	318.67	6	145.78	5	172.89
29	श्रम एवं रोजगार (2230)	2015-16	12	18.15	12	18.15	0	0.00	12	18.15
30	सिविल आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	28	8.22	2	5.14	26	3.08
कुल			14,780	18,543.19	8,487	11,995.92	6,608	2,933.30	1,879	9,062.62

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
1.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2011-12 2014-15 2015-16	1.75 2.18 2.42
2.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14 2014-15	1.16 1.00 1.21
3.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2015-16	2.17
4.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2015-16	7.54
5.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2015-16	9.30
6.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2014-15 2015-16	1.80 2.10
7.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16	1.42 1.50 2.05
8.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16	2.46 2.90 2.89
9.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2015-16	2.03
10.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14 2015-16	2.42 2.54
11.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14 2014-15 2015-16	2.51 2.52 3.18
12.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	3.09 3.30 3.30 3.91
13.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2015-16	2.83
14.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2015-16	2.37
15.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2013-14 2014-15 2015-16	2.52 2.72 2.89

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
16.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39 6.37 7.50
17.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14 2014-15 2015-16	1.15 1.58 1.50
18.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15 2015-16	0.57 0.85
19.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14 2015-16	1.28 1.53 1.88
20.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2015-16	6.74
21.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15 2015-16	3.54 3.49
22.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2015-16	2.42
23.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14 2015-16	1.97 1.78
24.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	5.38 6.41 6.22 6.95
25.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2014-15 2015-16	0.46 1.31
26.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2014-15 2015-16	1.72 1.91
27.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुरुग्राम	2015-16	1.19
28.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	3.87 4.29 4.51 4.43 5.65 5.77
29.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2015-16	2.36
30.	डी.ए.वी. सैनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13 2015-16	3.07 2.77 2.79 3.47
31.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2014-15 2015-16	3.99 3.91

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
32.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	0.86 1.04 0.52 0.72 1.03 1.64
33.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	0.28 0.38 0.40 0.68 0.81 0.38 0.69 1.18 1.50 1.27
34.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2015-16	1.55
35.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	0.96 1.21
36.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2015-16	5.48
37.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	3.39 4.28
38.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2015-16	2.08
39.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2015-16	3.88
40.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2015-16	2.89
41.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2015-16	4.96
42.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2015-16	4.30
43.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2014-15 2015-16	1.08 1.41
44.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढौरा	2015-16	2.08
45.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2014-15 2015-16	3.51 4.10
46.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2015-16	4.41
47.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2015-16	6.55
48.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2015-16	1.29
49.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2014-15 2015-16	5.66 6.46
50.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2015-16	3.59
51.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2015-16	4.59
52.	निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरियल महाविद्यालय, सोहाना	2014-15 2015-16	2.26 2.03
53.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2014-15 2015-16	1.37 1.57
54.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15 2015-16	6.39 7.66

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
55.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली (रेवाड़ी)	2014-15 2015-16	0.25 0.56
56.	अखिल भारतीय जाट हीरोज मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	9.30 11.54
57.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	0.66 0.80
58.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	3.15 3.86
59.	एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला कैंट	2015-16	7.60
60.	एस.एन.आर.एल. जय राम कन्या महाविद्यालय, लोहर माजरा, कुरुक्षेत्र	2015-16	0.78
61.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	7.89
62.	बी.पी.एस. खानपुर कला (सोनीपत)	2014-15 2015-16	0.32
63.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2014-15 2015-16	1.61 1.60
64.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2014-15 2015-16	4.85 5.06
65.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16	0.96 1.21
66.	गुरु नानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14 2015-16	6.59 9.30
67.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2015-16	3.73
68.	जे.वी.एम.जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	4.64
69.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2015-16	3.46
70.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	2.58
71.	एम.एल.आर. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	0.86
72.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2015-16	0.44
73.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	1.66
<b>कुल</b>			<b>455.04</b>

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 53)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2014-15	2014-15	2011-12	2015-16	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2015-16	2014-15	2008-09	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2012-13	--	--
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2014-15 से 2018-19	2015-16	2013-14	2011-12	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2015-16 से 2019-20	2015-16	2015-16	2013-14	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18 कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	--	--
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम	-सम-	2015-16	2012-13	1996-97	--	--
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2015-16	20 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2014-15	2014-15	1999-2000	2015-16	एक वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	1996-97	2015-16	पांच वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2015-16	2013-14	1996-97	--	--
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2017 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	1996-97	--	--
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2015-16	2013-14	1996-97	--	--
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2015-16	दो वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2015-16	2014-15	1996-97	--	--
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	1996-97	2008-09 से 2015-16	आठ वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16	एक वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	2009-10	2015-16	एक वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14 से 2015-16	तीन वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2015-16	2013-14	2008-09	--	--

## परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम <sup>1</sup>	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	-	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् पीड़कनाशी/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2014-15	6,636.74	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज <sup>2</sup>	2010-11	774.86	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
<b>कुल</b>				<b>7,429.57</b>	

<sup>1</sup> ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

<sup>2</sup> 2010-11 के पश्चात् लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2017 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	-	1 (6.50)	-	-	-	1 (6.50)
2	शिक्षा	7 (25.02)	2 (0.60)	4 (2.01)	1 (0.57)	1 (0.65)	3 (1.86)	18 (30.71)
3	वन	-	-	-	1 (0.80)	-	-	1 (0.80)
4	चिकित्सा	3 (0.00)*	-	1 (0.01)	-	1 (1.50)	2 (11.92)	7 (13.43)
5	तकनीकी शिक्षा	-	-	2 (16.06)	-	-	1 (0.02)	3 (16.08)
6	राजस्व	-	-	-	1 (9.28)	-	-	1 (9.28)
7	पुलिस	1 (13.99)	-	1 (3.79)	-	-	-	2 (17.78)
8	समाज कल्याण	3 (8.63)	-	-	-	-	-	3 (8.63)
9	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
10	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1 (0.23)	-	-	-	-	-	1 (0.23)
11	नगर एवं ग्राम आयोजना	1 (1.44)	-	-	-	-	-	1 (1.44)
12	खजाना एवं लेखा	1 (0.00)*	-	-	-	-	-	1 (0.00)*
13	स्किल डिवेलपमेंट एंड औद्योगिक प्रशिक्षण	2 (0.40)	-	-	-	-	-	2 (0.40)
14	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1 (3.00)	-	-	-	-	-	1 (3.00)
15	विकास एवं पंचायत	-	1 (0.00)*	-	-	-	-	1 (0.00)*
16	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1 (1.61)	2 (16.11)	-	-	-	-	3 (17.72)
17	सिंचाई एवं जल संसाधन	-	9 (4.73)	13 (3.52)	4 (0.48)	6 (0.25)	17 (2.07)	49 (11.05)
18	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	-	1 (0.00)*	-	-	-	-	1 (0.00)*
	<b>कुल</b>	<b>21 (54.32)</b>	<b>15 (21.44)</b>	<b>22 (31.89)</b>	<b>8 (14.30)</b>	<b>8 (2.40)</b>	<b>24 (16.47)</b>	<b>98 (140.82)</b>

अर्थात् ₹ 1.41 करोड़

\* शून्य मूल्य उन मामलों में दिया गया है जहां राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

## परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
पशुपालन	1	6.5	0	0	1	6.50
शिक्षा	16	29.32	2	1.39	18	30.71
वन	0	0	1	0.80	1	0.80
चिकित्सा	4	0.01	3	13.42	7	13.43
तकनीकी शिक्षा	3	16.08	0	0	3	16.08
राजस्व विभाग	0	0	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	0	0	2	3.77	2	3.77
पुलिस	0	0	2	17.78	2	17.78
समाज कल्याण	3	8.63	0	0	3	8.63
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1	0.23	0	0	1	0.23
नगर एवं ग्राम आयोजना	0	0	1	1.44	1	1.44
खजाना एवं लेखा			1	0	1	0
स्किल डिवेलपमेंट एंड औद्योगिक प्रशिक्षण	2	0.40	0	0	2	0.40
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1	3.00	0	0	1	3.00
विकास एवं पंचायत	1	0	0	0	1	0
जन स्वास्थ्य	2	9.61	1	8.11	3	17.72
सिंचाई	37	10.5	12	0.55	49	11.05
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	0	0	1	0	1	0
<b>कुल</b>	<b>71</b>	<b>84.28</b>	<b>27</b>	<b>56.54</b>	<b>98</b>	<b>140.82</b>

अर्थात् ₹ 1.41 करोड़

# शब्दावली

## पारिभाषिक शब्दावली

<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।
<b>पूंजीगत प्राप्तियां</b>	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।
<b>राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज</b>	राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्तों में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्तों की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जाएगी।
<b>कोर पब्लिक गुड्स</b>	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव ऋ प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
<b>मैरिट गुड्स</b>	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

<b>विकास व्यय</b>	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।
<b>ऋण पोषण सक्षमता</b>	ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।
<b>गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता</b>	राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
<b>उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता</b>	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।
<b>प्राथमिक राजस्व व्यय</b>	प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
<b>उपलब्ध शुद्ध ऋण</b>	लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण का ब्याज भुगतान का आधिक्य राज्य के पास उपलब्ध शुद्ध ऋण है।

## संकेताक्षरों की शब्दावली

अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
आ.सा.	आकस्मिक सार
आ.वा.ला.	आपूर्ति की वास्तविक लागत
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
उदय	उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ए.बा.वि.स्की.	एकीकृत बाल विकास स्कीम
ऋ.स. व रा.सु.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
औ.प्र.सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
क.श. तथा श.	कर्तव्य, शक्तियां तथा शर्तें
कु.व्य.	कुल व्यय
कु.त.एवं वा.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन
चौ.वि.आ.	चौदहवां वित्त आयोग
जि.ग्रा.वि.अ.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
डिस्कॉमज	वितरण कंपनियां
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार
प्र.सू.प्र.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
पूं.व्य.	पूंजीगत व्यय
पूं.प.	पूंजीगत परिव्यय
पूं.प्रा.	पूंजीगत प्राप्तियां
पृ.ले.प.प्र.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ब्या.भु.	ब्याज भुगतान
ब.अ.	बजट अनुमान
भा.स.	भारत सरकार
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
म.ले.	महालेखाकार
म.वि.का.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर
यो.रा.व्य.	योजनागत राजस्व व्यय
यो.रा.व्य.	योजनेतर राजस्व व्यय

यो.रा.प्रा.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
रा.सु.प.	राजकोषीय सुधार पथ
रा.दा. व ब.प्र.अ.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
रा.आ.प्र.नि.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
रा.प्रा.	राजस्व प्राप्तियां
रा.व्य.	राजस्व व्यय
रा.वि.ऋ.	राज्य विकास ऋण
रा.स्त.मॉ.स.	राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति
रि.वा.द.	रिटर्न की वार्षिक दर
ले. व हक.	लेखा व हकदारी
व्य.ले.ले.	व्यक्तिगत लेजर लेखे
व.ले.कं.	वाऊचर लेवल कंप्यूटरीकरण
वि.प्र.आ.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
वि.व्य.	विकास व्यय
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
ह.वि.उ.नि.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
सं.व्य.	संकलित व्यय
सं.औ.वृ.द.	संयोजित औसत वृद्धि दर
स्टे.बैं.ऑ.इं.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सं.अ.	संशोधित अनुमान
सा.क्षे.उ.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय

© भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.aghry.nic.in](http://www.aghry.nic.in)